

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXVII, Thirteenth Session, 2017-2018/1939 (Saka)
No. 9, Friday, December 29, 2017/Pausha 8, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
 REFERENCE BY THE SPEAKER	
Loss of lives and property in tragic incidents	24
 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 161 to 166	25-70
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 167 to 180	71-111
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	112-604

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	605-622
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	623-624
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE	
10th Report	625
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE	
20th Report	625
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE	
(i) 46th Report	625
(ii) Statements	626
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY	
(i) 42nd to 44th Reports	626
(ii) Statements	627-629
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT	
40th and 41st Reports	629
MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016- EXTENSION OF TIME	630
BUSINESS OF THE HOUSE	631-636

NATIONAL MEDICAL COMMISSION BILL, 2017 637-639

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL
OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2017
AND
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE
(AMENDMENT) BILL , 2017**

	665-800
Motions to Consider	665
Shri Arun Jaitley	665-668, 736-741
Shri N.K. Premachandran	669-677 772-774
Prof. K. V. Thomas	679-683
Dr. Sanjay Jaiswal	684-688
Dr. P. Venugopal	689-692
Prof. Saugata Roy	693-697
Shri Bhartruhari Mahtab	698-703
Shri Jayadev Galla	704-706
Shri B. Vinod Kumar	707-710
Shri P. Karunakaran	711-716
Shri Varaprasad Rao Velagapalli	717-719
Shri Subhash Chandra Baheria	720-721
Shri Dushyant Chautala	722-723
Shri Rajesh Pandey	724-727
Shri Gaurav Gogoi	728-735
Statutory Resolution - Withdrawn	744
Clauses 2 to 10 and 1	744
Motion to Pass	744

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER 745 0

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

**(i) Payment of Subsistence Allowance to Farmers and
Agricultural Labourers Bill, 2016**

By Dr. Bhola Singh 746

**(ii) Victims of Natural Calamities (Rehabilitation and
Financial Assistance) Bill, 2016**

By Dr. Bhola Singh 746-747

**(iii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017
(Substitution of New Sections for section 272
and 273)**

By Shri Maheish Girri 747

**(iv) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Article 39)**

By Shrimati Meenakashi Lekhi 747-748

**(v) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Article 102)**

By Shrimati Meenakashi Lekhi 748

- (vi) Indian Veterinary Council (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of sections 2 and 15)**
- By Shrimati Meenakashi Lekhi** 748-749
- (vii) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Article 366)**
- By Shrimati Meenakashi Lekhi** 749
- (viii) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Article 22)**
- By Shrimati Darshana Vikram Jardosh** 749-750
- (ix) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Article 323B)**
- By Shrimati Darshana Vikram Jardosh** 750
- (x) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Article 51A)**
- By Shrimati Darshana Vikram Jardosh** 750-751
- (xi) Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of section 46, etc.)**
- By Shri Jayadev Galla** 751

(xii) Special Financial Assistance to the State of Rajasthan Bill, 2017

By Dr. Manoj Rajoria

751-752

**(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Insertion of new article 21B)**

By Dr. Manoj Rajoria

752

(xiv) Armed Forces(One Rank One Pension) Bill, 2017

By Shri Deepender Singh Hooda

752-753

**(xv) Academy of Scientific and Innovative Research
(Amendment) Bill, 2017
(Insertion of new section 4J)**

By Shri Raghav Lakhanpal

753

(xvi) Water Conservation Authority of India Bill, 2017

By Dr. Manoj Rajoria

754

(xvii) High Courts (Use of Official Languages) Bill, 2017

By Dr. Manoj Rajoria

755

**(xviii) Prevention of Extravagance and Unlimited
Expenditure on Marriages Bill, 2017**

By Shri Gopal Shetty

755

- (xix) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of article 324)**
- By Shri Jagdambika Pal** 756
- (xx) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of section 125)**
- By Shri Jagdambika Pal** 756
- (xxi) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017
(Substitution of new section for section 497)**
- By Shri Jagdambika Pal** 757
- (xxii) Electricity (Priority Supply to Metropolitan
Areas) Bill, 2017**
- By Shri Gopal Shetty** 757
- (xxiii) Deposit Insurance and Credit Guarantee
Corporation (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of section 2, etc.)**
- By Shrimati Darshana Vikram Jardosh** 758
- (xxiv) Autism Spectrum Disorders (Recognition and
Treatment) Bill, 2017**
- By Shrimati Supriya Sule** 758

(xxv) Families of Farmers (Financial Assistance and Rehabilitation) Bill, 2017

By Shrimati Supriya Sule 759

(xxvi) Universal Health Coverage (Medical and Financial Assistance) Bill, 2017

By Shrimati Supriya Sule 759-760

(xxvii) Breast Cancer (Awareness and Free Treatment) Bill, 2017

By Shrimati Supriya Sule 760

**(xxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of article 32, etc.)**

By Kumari Sushmita Dev 761

**(xxix) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2017
(Insertion of new Chapter 11A and 11B)**

By Kumari Sushmita Dev 761

(xxx) Compulsory Establishment of Government Women College Bill, 2017

By Shri Ajay Misra 'Teni' 762

(xxxix) Computer Training Centres (Regulation) Bill, 2017	
By Shri Vishnu Dayal Ram	762
(xxxii) Persons Living Below Poverty Line (Reservation of Vacancies in Posts and Services) Bill, 2017	
By Shri Vishnu Dayal Ram	763
(xxxiii) Arsenic Contamination (Prevention) Bill, 2017	
By Shri Nishikant Dubey	763-764
(xxxiv) Voluntary Organisation (Regulation) Bill, 2017	
By Shri Nishikant Dubey	764
(xxxv) Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 83, etc.)	
By Shri Nishikant Dubey	765
(xxxvi) Youth (Eradication of Unemployment and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017	
By Shri Nishikant Dubey	765

(xxxvii) Prevention of Damage to Public Property (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2)	
By Shri Mullappally Ramachandran	766
(xxxviii) Right to Protection of Crop Produce Bill, 2017	
By Shri Shrirang Appa Barne	766
(xxxix) Compulsory Military Training in Schools and Colleges Bill, 2017	
By Shri Shrirang Appa Barne	767
(xl) Sportspersons (Welfare) Bill, 2017	
By Shri Shrirang Appa Barne	767
(xli) Compulsory Voting Bill, 2017	
By Shri Shrirang Appa Barne	768
(xlii) Cotton Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2017	
By Shri A.T. Nana Patil	768
(xliii) Banana Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2017	
By Shri A.T. Nana Patil	769

**(xliv) Special Financial Assistance to the State of
Maharashtra Bill, 2017**

By Shri Rajeev Satav

769-770

**(xlv) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of article 172)**

By Shri Rajeev Satav

770

**(xlvi) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Insertion of new article 47A)**

By Shri Rajiv Pratap Rudy

771

**(xlvii) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of articles 48A and 51A)**

By Shri Rajiv Pratap Rudy

771

**(xlviii) Compulsory Employment and Welfare
Measures for Disadvantaged Persons Bill, 2017**

By Kunwar Pushpendra Singh Chandel

772

**(xlix) Forest (Conservation) Amendment Bill, 2017
(Insertion of new sections 3C and 3D)**

By Shri Sukhbir Singh Jaunapuria

772

**(I) Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Schedule II)**

By Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 773

**(li) Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of section 22, etc.)**

By Shri Balka Suman 774

**(lii) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Insertion of new article 28A)**

By Shri Om Birla 774

**(liii) Constitution (Scheduled Castes) Order
(Amendment) Bill, 2017
(Amendment of the Schedule)**

By Shri Bidyut Baran Mahato 775

**(liv) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of article 84)**

By Shri Om Birla 775

**(lv) Children with Specific Learning Disabilities
(Identification and Support in Education) Bill, 2017**

By Shri Om Prakash Yadav 776

- (Ivi) Compulsory Health Insurance for Senior Citizens, Mentally Retarded Children and Persons with Disabilities Bill, 2017**
- By Shri Om Prakash Yadav** 776
- (Ivii) Right to Adequate Housing Bill, 2017**
- By Shri Om Prakash Yadav** 777
- (Iviii) All India Services (Amendment) Bill, 2016 (Insertion of new section 3A)**
- By Shri Rajeev Satav** 777-778
- (lix) Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of sections 17 and 19)**
- By Shri Sunil Kumar Singh** 778
- (Ix) Agricultural Produce (Remunerative Support Prices and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017**
- By Shri Sunil Kumar Singh** 778-779
- (Ixi) Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 1, etc.)**
- By Shri N.K. Premachandran** 779

(Ixi) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 154)	
By Shri Dushyant Chautala	780
(Ixiii) Cashew Development Board Bill, 2017	
By Shri Sunil Kumar Singh	780
(Ixiv) Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 39)	
By Shri Dushyant Chautala	781
(Ixv) Human Trafficking (Prevention) Bill, 2017	
By Shri Rahul Shewale	781
(Ixvi) Special Financial Assistance to Mumbai Bill, 2017	
By Shri Rahul Shewale	782
(Ixvii) Establishment of Schools upto Senior Secondary Level Bill, 2017	
By Shri Sunil Kumar Singh	782-783

**(I xviii) Financial Assistance for Girl Child born to
Parents Living Below Poverty Line Bill, 2017**

By Shri Ramesh Chander Kaushik 783

**(I xix) Special Educational Facilities (for Children of
Parents Living Below Poverty Line) Bill, 2017**

By Dr. Udit Raj 783-784

(I xx) Uniform Insurance for Affected Pilgrims Bill, 217

By Shri Maheish Girri 784

**(I xxi) Protection of Women from Unnecessary
Caesarean Section Deliveries Bill, 2017**

By Shri Maheish Girri 785

**(I xxii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2017
(Insertion of new section 16A)**

By Shri Gopal Shetty 785

**(I xxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of article 10)**

By Shri Gopal Shetty 786

(lxxiv) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 31)	
By Shri N.K. Premachandran	786
(lxxv) Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 3)	
By Shri N.K. Premachandran	787
(lxxvi) Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new section 10E, etc.)	
By Shri N.K. Premachandran	787
(lxxvii) Agricultural Produce (Remunerative Support Prices and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017	
By Shri Sukhbir Singh Jaunapuria	788
(lxxviii) E-Commerce (Regulation) Bill, 2017	
By Shri Adhalrao Patil Shivajirao	788-789
(lxxix) Agricultural and Other Unorganised Workers (Protection and Welfare) Bill, 2017	
By Shri Adhalrao Patil Shivajirao	789-790

- (lxxx) Victims of Terrorism (Compensation and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017**
By Shri Adhalrao Patil Shivajirao 790-791
- (lxxxi) Management of Religious Institutions and Places of Worship Bill, 2017**
By Shri Adhalrao Patil Shivajirao 791
- (lxxxii) Employment Bill, 2017**
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 792
- (lxxxiii) Violent and Indecent Online Games (Prohibition on Distribution, Sale and Advertisement) Bill, 2017**
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 792
- (lxxxiv) Illegal Immigrants (Identification and Deportation) Bill, 2017**
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 793
- (lxxxv) Payment of Agricultural Inputs Grants Bill, 2017**
By Shri B. Vinod Kumar 793

- (lxxxvi) Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new Section 33A)**
- By Kunwar Pushpendra Singh Chandel** 794
- (lxxxvii) Stray Cows (Protection and Control) Board Bill, 2017**
- By Kunwar Pushpendra Singh Chandel** 794
- (lxxxviii) Bundelkhand Regiment Bill, 2017**
- By Kunwar Pushpendra Singh Chandel** 795
- (lxxxix) Compulsory Sports Education and Basic Infrastructure Development in Schools Bill, 2017**
- By Shri Dhananjay B. Mahadik** 795
- (xc) Railways (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 3)**
- By Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu** 796
- (xci) Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.)**
- By Dr. Udit Raj** 796

(xcii) Removal of Homelessness Bill, 2017	
By Dr. Udit Raj	797
(xciii) Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of the Seventh Schedule, etc.)	
By Shri Bhairon Prasad Mishra	797
(xciv) Gazetted Officers of the Central Government (Compulsory National Disaster Response Training) Bill, 2017	
By Shri Bhairon Prasad Mishra	798
(xcv) Bio-Degradable Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Bill, 2017	
By Shri Parvesh Sahib Singh Verma	798-799
(xcvi) Reorganization of Time Zones Bill, 2017	
By Shri Gaurav Gogoi	799
(xcvii) Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new article 24A)	
By Shri Raghav Lakhanpal	800
(xcviii) Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2)	
By Shri Gaurav Gogoi	800

**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION
(AMENDMENT) BILL, 2015**

	801-835
Shri Harinarayan Rajbhar	801-810
Shri Ravindra Kumar Ray	811-814
Shri Sunil Kumar Singh	815-835

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	836
Member-wise Index to Unstarred Questions	836-842

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	843
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	844

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 29, 2017/Pausha 8, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER
Loss of lives and property in tragic incidents

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 22 दिसम्बर, 2017 को फिलीपींस के दक्षिणी भागों और उसके आसपास के क्षेत्रों में 'टेम्बिन/विन्टा' नामक समुद्री तूफान आया। प्राप्त सूचना के अनुसार इस तूफान में 266 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा फिलीपींस और उसके आसपास के क्षेत्रों में सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा।

सभा इस तूफान में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और दुख की इस कठिन घड़ी में हम उनके साथ हैं।

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 23 दिसम्बर, 2017 को एक बस के बनास नदी में गिरने से 33 लोगों के मारे जाने और अन्य कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

सभा इन दुःखद घटनाओं पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है जिसके फलस्वरूप शोकसंतप्त परिवारों को कष्ट और दुःख झेलना पड़ रहा है। साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11.01 hrs

(The Members then stood in silence for short while.)

11.03 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Now Question hour, Q. No. 161, Shri Ramsinh Rathwa.

(Q. 161)

श्री रामसिंह राठवा: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और क्रेडिट बैंक होता है वह छोटे-छोटे समूह या किसानों का सहकारी बैंक बनता है। यह सहकारी बैंक मार्केट से कोई पूंजी उठाता है और इस स्थिति में 80 (पी) के अंतर्गत कर में छूट वापस लिए जाने का औचित्य साबित नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि इस छूट को वापस लेने से सरकार को कितने राजस्व का नुकसान होगा और क्या इसकी भरपाई किसी और क्षेत्र से पूरी की जा सकती है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि सन् 2006 के फाइनेंस बिल में इन्कम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन-80(पी) है, उसमें जो एग्जम्पशंस थीं, जो वापस ली गई थीं, वह अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स की थीं। उन बैंकों के अलावा, जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटीज और प्राइमरी को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसायटीज और रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनके संबंध में ये लागू नहीं होती थीं। अब यह हर असेसी के ऊपर निर्भर करेगा कि जिनकी एग्जम्पशंस वापस ली जाती हैं, उनका कितना टैक्स पड़ता है। उद्देश्य यह होता है कि जिस भी व्यवस्था में व्यवस्था बढ़ रही हो या उद्योग बढ़ रहा हो या कोई बैंक बढ़ रहा हो या कोई भी संस्था, तो आरंभिक समय में उसको छूट दी जाती है। जब वह बहुत ज्यादा अपने पांव पर खड़ा हो जाए और बाजार में प्रतिस्पर्द्धा में आ सकता है तो फिर उसे उस छूट का लाभ नहीं है। वह कम्पीट कर सकता है, प्रतिस्पर्द्धा में भाग ले सकता है। इसलिए, यह देखा गया कि वर्ष 2006 के बाद जब ये वापस ली गई है तो जिन बैंकों के लिए ये वापस ली गई थी, उनका अपने आप में विस्तार भी काफी हुआ है, तीन-चार गुणा विस्तार हुआ है। इसलिए, उनकी फंक्शनिंग पर कोई एडवर्स असर नहीं पड़ा।

श्री रामसिंह राठवा: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। काफी सही बात सदन के सामने आई।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि सहकारी बैंक पारंपरिक रूप से छोटे किसान और लघु उद्योग को ऋण देते हैं, लेकिन इन बैंकों को क्रेडिट गारंटी कवर नहीं दिया जाता है और अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों को दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्रेडिट गारंटी कवर सहकारी बैंकों को देने हेतु

क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? अगर यह है तो क्या है? साथ में, ये जो सहकारी बैंक हैं, वहां 'प्रधान मंत्री जन-धन योजना' और 'सुकन्या समृद्धि योजना' के अन्तर्गत खाते खोलने पर क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न इन विषयों से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन, प्रयास यह रहा है कि जहां तक सहकारी बैंक्स हैं, उनको धीरे-धीरे करके अन्य बैंकों के साथ 'एट-पार' लेकर आया जाए और उनकी जो फंक्शनिंग है, वह अन्य बैंकों के बराबर लाई जाए। इसलिए, पॉलिसी का निर्माण समय-समय पर होता है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसको हम मद्देनज़र रखेंगे।

PROF. K.V. THOMAS : Madam, during the demonetization period, a large number of cooperative banks in Kerala faced the major problem of managing the banned Rs. 500 and Rs. 1000 notes. This has been brought to the notice of the hon. Finance Minister by our hon. Chief Minister, all political parties, and organizations connected with the banking system.

I would like to know as to what are the steps the Government of India has taken to find a reasonable solution for this major problem, otherwise all these banks will be in great trouble. The pensioners, farmers and small traders are the people who are connected with these banks.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, this question again does not relate to this. But, from the memory I can recollect that in the first 4-5 days during the demonetization period, some of the cooperative banks had taken deposits of Rs.500 and Rs.1000 notes. Thereafter, the Reserve Bank of India had issued a circular directing them not to take those deposits itself. This issue remained pending for a reasonable period of time when representations were made to me and also to the Reserve Bank to find a solution with regard to the amounts which had already been deposited. Thereafter, for the time period in which they had taken those deposits till the Reserve Bank issued a clarification, they had permitted those cooperative banks to make their deposits into the Treasury itself.

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि हम सहकारी बैंकों को कॉमर्शियल बैंकों के 'ऐट-पार' लाना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है और इस दिशा में काफी प्रयास भी हो रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि जो आय कर है, वह एक लाभ है और अगर सहकारी बैंक लाभ कमा रहे हैं तो उस पर हमने वित्त अधिनियम, 2006 के हिसाब से जो छूट दी है, उस छूट को हम नहीं दे रहे हैं या हमने विद्वृत्त किया है।

मैं जानना चाहता हूँ कि ये सहकारी बैंक निश्चित तौर पर कॉमर्शियल बैंकों की तरह से काम करते हैं। आम आदमी, उपभोक्ता अपने पैसों को उसमें जमा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के 14 बैंकों में, जिनमें सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के साथ कई-कई जनपद के बैंक हैं, उनमें आम जनता ने करोड़ों-करोड़ रुपये अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जमा किया है। लेकिन, इन सहकारी बैंकों के लाभ में न होने के कारण उनके विद्वृत्तअल नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, लोगों के समक्ष इसके कारण कठिनाई है। किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। किसान अपने यंत्र और उर्वरक आदि भी नहीं खरीद पा रहा है। यह कठिनाई है। इस सम्बन्ध में क्या भारत सरकार उत्तर प्रदेश के उन को-ऑपरेटिव बैंक्स में, जहां उपभोक्ताओं और आम आदमी के पैसे जमा हैं, उन पैसों को उन्हें देने के सम्बन्ध में कोई विचार करेगी?

श्री अरुण जेटली : मैडम, यह आर.बी.आई. के कार्य क्षेत्र के अन्दर आता है और किसी विशेष बैंक के सम्बन्ध में अगर यह समस्या आ रही है और अगर माननीय सदस्य इसे मेरी जानकारी में लाते हैं और मुझे उसकी डिटेल दे देते हैं तो मैं निश्चित रूप से आर.बी.आई. को उचित कार्रवाई के लिए निवेदन करूंगा।

HON. SPEAKER: Shri P.V. Midhun Reddy – not present.

(Q. 162)

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam, the economic growth of a country depends on various factors as stated by the hon. Finance Minister. It depends upon the growth of agriculture, industry and service sector. On this issue, I would like to ask a specific question. The employment opportunities have a vital role to play in regard to development in all the areas.

At the time of elections, the BJP had stated that if they come to power, they would give employment to two crore people in the country. Now three and half years have passed and in this period seven crore employment opportunities were to be created.

I would like to know from the hon. Finance Minister during this period how many employment opportunities have been created. If so many employment opportunities have not been created, what is the reason?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I am sure the hon. Member knows that in India the employment generation takes place both in the organized and in the unorganized sectors. There are some data which are normally available only with regard to some of the organized sectors but a large amount of employment and the bulk of the employment does get created even in the unorganized sectors like self-employment, small sector, SMEs and so on. For all those sectors, the authentic data at the moment as such is not available as far as I am concerned because the principal question does not relate to that. Whatever official data is available, if the hon. Member writes to me I can certainly have it conveyed to him.

SHRIMATI DEV VARMA : Madam, I think we all know that it takes more than six days to export and more than 13 days to import any commodity. Therefore, India's high logistics cost is hurting the economy of the country. Maybe, everyone is not aware of it. There is involvement of multiple Departments and agencies which is limiting the efficiency of the economy.

Therefore, on account of these facts as also stated by the Chairman of the Economic Advisory Council, I would like to raise a few questions. I would like to know whether the Government has taken any steps to converge multi-departmental action into an integrated logistics policy. I would also like to know whether the Government has taken any steps to facilitate paperless environment across the logistics value chain...*(interruptions)*

HON. SPEAKER: You have to ask only one question.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, for some good reason I am being asked such questions today which are not related to the main Question. But nonetheless since the hon. Member has made a very important point, let me tell the hon. Member that it is a very important point as far as trade is concerned. One of the factors is that facilitation of trade itself helps in cutting down cost and therefore increases trade efficiency as far as the country is concerned. This is one of the serious areas that we are looking at.

A lot of steps have been taken. For instance, our port capacities have expanded; the turn-around timing of our ships, certainly in the shipping sector itself, has expanded. As far as the Customs and Revenue Departments are concerned, most of their procedures have now gone online and therefore the procedures have been expedited. But this is still one area -- because in the 'Ease of doing Business' ranking where our ranking has improved in the last three years from 142 to 100, we have moved 42 positions in the last three years -- where we still need to take a lot more steps. Recently the Government having been seized of it, the Department of Industrial Policy and Promotion, which is the nodal Department which looks after this, is taking a large number of steps and getting various Departments and Ministries of the Government to make sure that efficiencies can be brought into this area also which the hon. Member has referred to.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Madam Speaker, the economic growth of any country depends on how the Government treats its manufacturing sector. This Government, particularly in the last three years, have been doing a lot of good work in

terms of manufacturing in India through programmes like 'Make in India', 'Start-up India' etc. But one sector which has been neglected since last 15 to 20 years is the electronic and IT hardware industry. There is a great scope, particularly in India because the economies of countries like Taiwan and Korea, relatively smaller countries, have progressed since the Governments of those countries have given importance to the electronics and IT hardware sectors, like semi-conductors. In India there are hardly any activities going on in the field of semi-conductors. This is one sector where Indian scientists are working in the Silicon Valley; Indian scientists are working in Korea and Europe and they are doing a good job and doing research in the semi-conductor industry in those countries.

I would like to know from the hon. Finance Minister whether, in the next Budget, the Government will focus on giving importance to the electronics and IT hardware industry.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam Speaker, the hon. Member has raised a very important issue and I think, this goes to the core of India's manufacturing policy itself. There are areas of manufacturing such as the auto sector, the pharmaceutical sector where we have conventionally, in the last one or two decades, done reasonably well. The hon. Member may realise that in the last three years or so -- for example, the assembly of mobile telephones in India which were earlier not taking place -- these areas relating to electronics etc. have now picked up. Recently we have also made some changes in our custom tariffs in order to ensure that domestic manufacturing becomes more competitive rather than imported material only coming to India. Keeping that exactly in mind, about two weeks ago we made certain changes as far as the customs tariff are concerned.

I cannot disclose as to what will happen in the next Finance Bill itself but certainly, the industry has made detailed presentations to us in the pre-Budget consultations. These are all areas which we will certainly look into as far as the electronic sector is concerned.

PROF. SAUGATA ROY: Madam Speaker, the hon. Minister has given a detailed reply to the Question which shows that India's growth rate plummeted to an all-time low of 5.7 per cent in the first quarter of 2017-18 and showed only a small rise in the second quarter of 2017-18. This fall in GDP growth was anticipated. In fact, Dr. Manmohan Singh, speaking in the other House, had said that because of demonetisation, GDP growth is bound to fall by one per cent.

May be we have passed the worst times. The Minister has listed out a number of steps which he had taken to improve the GDP growth which is in a bad shape. He has mainly emphasised on the money being spent on infrastructure, like roads, ports, etc.

When the economy hits a low, the one thing that is expected normally is to introduce financial stimulus into the economy. From the steps taken by the Minister, I do not see any financial stimulus, in particular, has been given in order to especially boost the manufacturing sector which, in quarter one, went down to as much as 1.2 per cent.

May I ask the hon. Minister, apart from the steps listed out here, what further financial stimulus he is proposing to take for the economy to take us out of the rut that we are in? I am asking this because one former Governor of Reserve Bank, Dr. Y.V. Reddy, has said that the economy is not expected to recover for two years from the after-effects of hurried GST implementation. Thank you Madam. I am extremely obliged.

SHRI ARUN JAITLEY: The hon. Member's phraseology, with utmost respect to him, is somewhat exaggerated. Our economy, for three years in a row, is the world's fastest growing economy. This year, even the IMF and the World Bank have said that by 0.1 per cent, ours will be the second fastest growing economy.

Therefore, to exaggerate that situation to say that we have hit the bottom and that it is a 'rot' that has set in is somewhat not correct.

PROF. SAUGATA ROY: I only said 'rut', not 'rot'.

SHRI ARUN JAITLEY: 'Rut' is worse than 'rot'.

So, as I said, it is somewhat an exaggerated explanation or analysis as far as the economy is concerned. Let me tell the hon. Member that in the first quarter, if one analyses the data in detail, the services sector rose by 8.7 per cent which was quite robust, which actually meant that people were making purchases. So, there was no demonetisation effect visible as there was currency available with people in order to make the purchases. It is because the 1st July date for GST has been announced in advance, the de-stocking itself was taking place and manufacturing for that quarter had remained suspended which we have seen in the next quarter that it has suddenly picked up. The second quarter detail itself reflects that. All indications seem to suggest that in the coming quarters the curve is going to be on an upward swing.

Now, as far as expenditure is concerned, we have already seen in the second quarter, the manufacturing sector has touched seven per cent level. Therefore, when the manufacturing sector touches seven per cent level, to say that the Government should go in for tax cuts and for larger fiscal deficits, which are measures the Government takes in extreme situations, is not proper. These are not measures which are normally taken when you have a seven per cent growth in the manufacturing sector in the second quarter itself.

HON. SPEAKER: Very good.

(Q. 163)

श्री विद्युत वरण महतो: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने डीटेल में उत्तर दिया है। मुझे कुछ जानकारी की आवश्यकता है इसलिए मैं आपसे समय का संरक्षण चाहता हूँ। किसी भी कंपनी में स्वामित्व का प्रमाण उसके अंश या शेयर से होता है। अंशधारक ही कंपनी के स्वामी होते हैं। अंश को शेयर सर्टिफिकेट के रूप में जाना जाता है। पुराने समय में सभी किसम के शेयर सर्टिफिकेट अच्छे किसम के कागज में छपे होते थे जिन्हें कंपनी अपने अंशधारकों को निर्गत करती थी।

अभी जो कंपनियां स्टॉक मार्किट में पंजीकृत है, वे सारी कंपनियां इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर निर्गत करती हैं और उन कंपनियों के अंशधारक अपने कागज वाले अंश अपने डीमैट एकाउंट में इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करा सकते हैं। वर्तमान में यह सुविधा उन शेयरों के लिए है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिड हैं। इस सुविधा को पेपरलैस शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। वर्तमान में यह सुविधा उन सभी कंपनियों में नहीं है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिड नहीं हैं चाहे वह लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। इस कारण लाखों टन कागज लगता है जो कि पर्यावरण और लागत के दृष्टिकोण से हानिकारक है। ऐसी कंपनियों की संख्या लिस्टिड कंपनियों से कई गुना ज्यादा है। डिजिटल इंडिया की पहल में सरकार का कदम उठाना जरूरी है। अपव्यय, पर्यावरण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे सभी कंपनियों के शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमैटरियाइजेशन कर इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सके? क्या इतनी बड़ी संख्या में डीमैटरियाइजेशन को लागू करने के लिए सरकार डिपोजिटर्स की संख्या बढ़ा रही है? क्या पेपरलैस शेयर इश्यू करने के लिए सरकार कोई नया कानून बनाने जा रही है?

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष जी, डीमैटरियाइज फॉर्म में शेयर्स उन कंपनियों के होते हैं जिनकी पब्लिक ऑफरिंग होती है। कंपनीज़ एक्ट के सैक्शन 29 में प्रावधान बहुत स्पष्ट है, अनिवार्य है कि जो कंपनी पब्लिक ऑफरिंग करती है उसे डीमैटरियाइज फॉर्म में अपने शेयर रखने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार अन्य कंपनियां, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए डीमैटरियाइज फॉर्म की कैटेगरी कर सकती है। इस संबंध में अध्ययन हो रहा है और अध्ययन होने के बाद सरकार निर्णय लेगी, निर्णय घोषित करेगी और तब अगर सरकार तय करती है तो उन कंपनियों को फिर डीमैटरियाइज फॉर्म में रखना होगा। प्राइवेट कंपनियों के लिए यह प्रावधान नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में शेयर होल्डर्स की संख्या बहुत छोटी होती है इसलिए पेपर का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता है।

श्री विद्युत वरण महतो : माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में पेपर वाले सर्टिफिकेट को डीमैट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या सरकार कोई प्रोत्साहन के रूप में इन्सेंटिव देने की सोच रही है? अनलिस्टिड कंपनियों को डीमैट शेयर के दायरे में लाया गया तो क्या एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड) और सीडीएसएल (सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड) इसे हैंडल करने के लिए तैयार है? यदि हां, तो क्या इससे स्टेक होल्डर्स पर कोई आर्थिक बोझ पड़ेगा? इस विषय में इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन होगा?

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई इन्सेंटिव देने की जरूरत नहीं है, कारण यह है कि इसमें कानून का प्रावधान है। कानून के प्रावधान में उन कंपनियों या उनकी कैटेगिरीज़ की सूची स्पष्ट है, इसमें डीमैटीरियलाइज्ड फॉर्म में रखना अनिवार्य होगा। कोई कंपनी आज पब्लिक शेयर इश्यू करती है, पब्लिक ऑफरिंग करती है, उसके लिए आवश्यक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है लेकिन पब्लिक ऑफरिंग नहीं करती है, उसके संबंध में अभी सरकार ने निर्णय लेना है। अगर सरकार निर्णय लेती है तो सबके लिए अनिवार्य होगा, उसमें कोई प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में काले धन पर कड़ा प्रहार करने एवं काले धन का सम्पूर्ण विनाश करने के लिए सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, जिनमें विमुद्रीकरण, जीएसटी एवं इन्हीं में से एक अन्य क्रांतिकारी कदम, जिसके तहत देश की एक लाख से अधिक फर्जी कम्पनियों को बंद करना शामिल है।

महोदया, देश में कई असूचीबद्ध कम्पनियां कई प्रकार की धोखाधड़ी, कर चोरी में संलिप्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय इन सब असूचीबद्ध कम्पनियों को इस बारे में बाध्य कर सकेंगी? इस विषय में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या इसमें सेबी से सम्पर्क किया जायेगा? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आप इसमें आगे क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, मूल प्रश्न डीमैटेरियलाइज्ड फार्म से संबंधित है। यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कई कम्पनीज इस प्रकार की लिस्टेड होती हैं, जो कार्रवाई नहीं करतीं, अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करतीं और अगर एक अवधि काल के लिए अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करतीं और वे डीफंक्ट कम्पनीज बन जाती हैं, तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाता है। उसी प्रकार कई

ऐसी कम्पनीज हैं, जिन्हें शेल कम्पनीज के रूप में केवल मनी ट्रांसफर्स, गैरकानूनी तरीके की मनी और काला धन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनका नाम, हालांकि इस शब्दावली का प्रयोग किसी कानून में नहीं है, लेकिन आम भाषा में उसे शेल कम्पनी के रूप में माना जाता है। इनकम टैक्स विभाग और कम्पनीज एक्ट के तहत जो जांच एजेंसीज हैं और उसमें एसएफआईओ भी एक जांच एजेंसी है, जो इस प्रकार के केसेज बड़ी मात्रा में सामने आये हैं, उनके खिलाफ आलरेडी सख्त कार्रवाई कर रही है।

(Q. 164)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्ष जी, भारत और क्यूबा के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 दिसम्बर, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार का यह सराहनीय कदम है।

महोदया, क्यूबा में मेडिकल सेवाएं बहुत सस्ती हैं, जिसके कारण काफी लोग क्यूबा जाकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। हमारे देश में कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट के इलाज में बहुत खर्चा आता है। इसके लिए पंत प्रधान राहत कोष सहायता मिलती है, लेकिन यह सहायता सबको नहीं मिल पाती। देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बारणे जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: मैडम, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इसके अतिरिक्त देश भर में आदिवासी इलाके बहुत सारे हैं, जहां इन रोगों के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चा होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समझौते से देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों में कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट आदि गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता और सुचारु रूप से मिलने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक क्यूबा के साथ एमओयू का सवाल है, तो वह हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स की आपस में ट्रेनिंग की दृष्टि से है। दूसरा, जो हमारी रॉ ह्यूमन फोर्स है, उसे हम कैसे मेडिकल की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उस विषय को लेकर है। फार्मास्यूटिकल्स को लेकर है और फार्मास्यूटिकल्स के साथ-साथ हमारी इनडिजिनस मेडिसिन्स के बारे में भी यह समझौता है।

जहां तक आपने ट्राइबल इलाके की समस्या की बात कही और विशेष कर आपने कैंसर, कार्डियोवासकुलर डिजीज, किडनी डिजीज आदि की बात कही, तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत से प्रोग्राम्स चला रखे हैं। जहां तक कैंसर का सवाल है, तो उसके लिए हम नैशनल कैंसर सेंटर से लेकर स्टेट कैंसर सेंटर और उसके साथ-साथ टर्शियरी कैंसर सेंटर भी दे रहे हैं और उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर की दृष्टि से, जो इक्विपमेंट में टेक्नीकल सपोर्ट और ट्रेनिंग में सपोर्ट दिया जाये, वह हम प्रदेश सरकारों को दे रहे हैं।

उसी तरीके से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं बाकी सभी जगहों पर टर्शियरी कैंसर सेंटर्स और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं। एक कैंसर इंस्टीट्यूट 120 करोड़ रुपये और टर्शियरी कैंसर सेंटर पर 45 से 50 करोड़

रुपये खर्च करके हम देते हैं। जहां तक सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल कॉलेजेज की बात है, हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं और सुपर-स्पेशियलिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वह हम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। ट्राइबल एरियाज के बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो प्रपोजल्स आते हैं, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को टेक्नीकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है।

श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय मंत्री जी ने लिखित रूप से समझौतों के आदान-प्रदान के बारे में बताया, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज भी देश की आबादी का साठ प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है। आज भी स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल केयर पर्सन्स नहीं होते हैं और कई स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर्स की संख्या भी कम है। टेक्नीशियन भी नहीं होते हैं। साधनों एवं प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के लिए करार हुआ है, लेकिन देश भर के कई ऐसे इलाके हैं, जहां मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर्स चलते हैं, लेकिन वहां डाक्टर्स ही नहीं होते हैं। यह आदान-प्रदान कैसे होगा?

माननीय अध्यक्ष: क्या इसके लिए एमओयू नहीं करें? आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीरंग आप्पा बारणे: वहां लोगों को स्वास्थ्य केन्द्रों से कैसे राहत मिलेगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, यह प्रश्न मूल प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। प्रश्न संख्या-8 माननीय सदस्य के इसी प्रश्न से संबंधित है, जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स के बारे में है। ... (व्यवधान)

इसके बारे में, मैं एक ही बात कहूंगा। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, हमने कोशिश की है कि सबसे पहले मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएं। मेडिकल प्रोफेशन की दृष्टि से पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में इसी साल के अंदर 5000 सीट्स बढ़ाई गई हैं। सुपर-स्पेशियलिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा कहना है कि *to make available the doctor in the Rural CHCs, whatever facilities you need, the Government of India is committed. It is for the State Governments to come up.* हमने उनसे यह भी कहा है कि अगर आपको गायनाकोलॉजिस्ट चाहिए, वह जिस तनखाह पर मिलती है, वह जिस तनखाह पर आपको अवेलेबल हो सकती है, आप देने की कृपा करें, भारत सरकार उनकी तनखाह देगी। *That is our commitment. We will do it.*

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा। पूरे विश्व में क्यूबा एक आइडियल सेंटर है कि कैसे कम खर्च में बहुत बढ़िया इलाज हो सके। भारत को भी क्यूबा से सीखने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए एमओयू साइन किया है। माननीय मंत्री जी ने ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक्टिव सर्विलेंस का कार्यक्रम चलाया, मिशन इन्द्रधनुष चलाया, उसे क्यूबा को सीखने की जरूरत है। हमें भी क्यूबा से सीखने की जरूरत है कि वे कैसे कम खर्च में अपने राष्ट्राध्यक्षों तक का इलाज अपने ही यहां करते हैं और बहुत अच्छा

इलाज करते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो सात चीजें बताई हैं, उनमें पॉलिसी मेकिंग नहीं है। मेरा अनुरोध है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वे क्यूबा में जाकर सीख सकें कि कम से कम खर्च में कैसे दुनिया के विकसित देशों के बराबर की सुविधा दी जा सके। इसके लिए क्या स्वास्थ्य मंत्री अपनी किसी टीम को क्यूबा का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने के लिए वहां भेजेंगे, जिससे भारत भी कम खर्च में उसी तरह से फॉलो कर सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा, उसमें हम इस सुझाव को रखेंगे। पिछले साल हमारे एमओएस क्यूबा गए थे और वहां उन्होंने ऑफिसर्स के साथ स्टडी की थी, लेकिन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में certainly, we will look into it.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, there is an adage that 'necessity knows no bounds.' Out of desperation, I am going to deviate from the core issue of the question.

HON. SPEAKER: No, please.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I am seeking your indulgence. Just listen to me, Madam... (*Interruptions*)

West Bengal has been ravaged by dengue.

HON. SPEAKER: If the hon. Minister wants to answer it, I have no objection.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Actually, dengue has assumed an epidemic proportion in West Bengal. But we do not have even an iota of knowledge of what is the exact figure of dengue casualties.

I have persuaded your Ministry also to extend all kinds of cooperation. Even in Bengal, doctors have been forced not to mention the cause of death. It is really a matter of great concern.

Therefore, I would like to get the information from your Ministry as to what is the exact position concerning West Bengal in so far as Dengue invasion is concerned. It is because Dengue has almost assumed epidemic proportions and doctors have been forced not to mention the cause of death.

HON. SPEAKER: This is not related to this Question.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, it is not related to this Question.

(Q. 165)

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY: Madam, I thank the hon. Minister for his elaborate answer. But cancer is a deadly disease. It is spreading like epidemic among adults, children and, especially, among ladies in the form of breast cancer. The treatment of this disease is very costly. It is beyond the limit of common citizen.

Therefore, the Government has to develop some alternative medicines or some Ayurvedic medicine which should also be cost effective. It should not have any side effects. That is why, I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India proposes to set-up Ayurvedic dispensaries or hospitals for poor people at various places across the country to treat this disease free of cost.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कैंसर के बारे में जो प्रश्न पूछा है, आज देश में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है, यह बात सब लोग मानेंगे। इसलिए हमारा आयुष मंत्रालय इसके लिए बहुत तरह से काम कर रहा है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, हम सब जानते हैं। आयुष मंत्रालय जो केन्द्र सरकार का है, वह रिसर्च ऑफ एजुकेशन पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अच्छी दवाइयां लोगों तक पहुंचाने के लिए रिसर्च पर हमने बहुत जोर दिया है। आप तो जानते हैं कि कई संस्थाएं हैं और एम्स जैसी संस्था में हमारा कॉलेबोरेटिव प्रोजेक्ट है। उसमें हम नयी-नयी दवाइयां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको नीचे तक पहुंचाने का जो काम है और राज्यों को जो आर्थिक सपोर्ट चाहिए, वह हम देने के लिए तैयार हैं। हमने आयुष मिशन के द्वारा, हर जिले को एक आयुष अस्पताल देने का वादा किया है। आज तक हमने कम से कम 69 हॉस्पिटल्स ऑलरेडी एप्रूव किये हुए हैं और यहां जब मेडिसिन्स अच्छी बनेंगी और मेडिसिन्स देने के लिए राज्य में ही आयुष की संस्था रहे, इसी के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसलिए हम दोनों तरफ से आयुष मिशन के जरिये काम कर रहे हैं। कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हमें जोर देना है। योगा के द्वारा लाइफ स्टाइल बदलने के द्वारा कैंसर रोगियों की संख्या में जितनी ज्यादा कमी आए, इसके लिए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY: Madam, my second supplementary is regarding the finances. As you also know, when we are in our Constituencies, many people come to us for the Prime Minister's Relief Fund. We write letters. But money from the Prime Minister's Relief Fund is not being released in all the cases that we have referred to.

Therefore, I would like to know from the Government whether you are proposing any fund, under the Department of AYUSH, to treat cancer patients, so that when Members of Parliament write to you, you can also do the needful. This is a very important thing. A lot of people are coming to us. We are writing letters for releasing money from the Prime Minister's Relief Fund but we are not getting this fund released in all the cases. That is why, I would like to ask you this question.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह गंभीर है, लेकिन फाइनेंस के बारे में, आयुष मंत्रालय के बारे में फाइनेंस करने की ताकत नहीं है और बजट भी नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर योजना से जो भी कैंसर रोगी हैं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी अगर कोई कैंसर पेशेंट आता है तो हम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रपोजल भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निश्चित तौर से मदद मिलती है। ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहां नहीं है। हम रिसर्च और मेडिसिन्स के द्वारा राज्य सरकारों को जितना ज्यादा फंड हो सकता है, वह देने की कोशिश करेंगे।

डॉ. मनोज राजोरिया: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मूल प्रश्न था कि डिपार्टमेंटल आयुष की जो भी पद्धतियां हैं, उनमें कैंसर के इलाज के लिए सरकार क्या-क्या सहयोग कर रही है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के 69 जिलों में आयुष अस्पताल खोलने की बात कही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि देश के जो बाकी जिले हैं, इनमें जल्दी से जल्दी आयुष अस्पताल खोलने का प्रयत्न करें और विशेषकर राजस्थान के 33 जिलों में तो जल्दी से जल्दी आयुष संस्थान खोलने के लिए मैं इनसे निवेदन करता हूँ।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 5 ऑटोनॉमस रिसर्च काउंसिल्स- आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध सबके लिए रिसर्च काउंसिल्स के माध्यम से बजट एलोकेशन होता है। मैं हैल्थ कमिटी का मੈम्बर भी हूँ और जब यह रिसर्च काउंसिल्स हमारे सामने आती हैं, तो ये सिर्फ बजट एलोकेशन के लिए आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि रिसर्च की जो बात होती है कि एक सैट पैटर्न होता है और उसी सैट पैटर्न के आधार पर ये रिसर्च लेकर आ जाते हैं और हर बार बजट बढ़ाकर आ जाते हैं लेकिन रिसर्च में वास्तव में ही क्या काम हो रहा है? मैं स्वयं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन जब

रिसर्च की बात आती है तो इन सबमें रिसर्च का बहुत अभाव है जिसके कारण जितना उपयोग हो सकता है, वह नहीं हो पा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह सभी रिसर्च काउंसिल्स के बारे में तय करें कि जो रिसर्च काउंसिल परिणाम देगी, उसको ज्यादा अच्छा बजट मिलेगा। जो परिणाम नहीं देगी, उसको बजट नहीं मिलेगा ताकि रिसर्च काउंसिल का स्टैंडर्ड बढ़े। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सजेशन दे रहे हैं?

डॉ. मनोज राजोरिया: जी, मैडम। जो इन रिसर्च काउंसिल्स के अलावा जो ऐसी बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो रिसर्च करने में इच्छुक हैं, क्या भारत सरकार उनको भी सहयोग देने की कोई योजना बना रही है जिससे कैंसर पीड़ितों को मदद मिले और दूसरी जो लाइफ-स्टाइल जनित बीमारियां हैं, उनमें भी सहयोग मिले?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकारी संस्थाएं हैं और जो रिसर्च के लिए हम मदद देते हैं, उससे बाहर जाकर आयुष मिशन के द्वारा हमारी एक स्कीम है, उसमें एक्सट्रा मोरल एक्टिविटीज के द्वारा हम इसको प्राइवेटली भी फंडिंग देते हैं। इस रिसर्च में हमने काफी फंडिंग की हुई है जिसके डिटेल्स मैं डॉ. साहब को दे दूंगा।

SHRI VINCENT H. PALA : Thank you, Madam. In the North East, cancer is one of the highest in the world. May I know from the hon. Minister, through you, what initiative the Central Government has taken in terms of integrating the AYUSH system of treatment with the other system of treatment in the North East, especially in the areas where people consume lots of betel nuts etc.? In terms of research, in terms of treatment, what is the initiative taken by the Government and how much money has been spent in case any initiative has been taken in the North-East specially to reduce cancer there?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और मैंने पहले भी यह कहा था कि रिसर्च और एजुकेशन के बारे में केन्द्र सरकार की जो भूमिका है, उसे भी हम यहां जोड़ देते हैं। हमारे रिसर्च सेंटर भी नॉर्थ-ईस्ट में हैं। इसीलिए हमने होम्योपैथी का भी रिसर्च सेंटर वहां खोला है और अभी दो-तीन महीने पहले हमने उसका उद्घाटन किया था। इन केन्द्रों के द्वारा हम नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की सेवा कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह जो फंडिंग है और जो राज्य का बजट होता है, इसके द्वारा हम पोपुलेशन और उस राज्य के पिछड़ेपन के आधार पर बजट एलोकेट करके राज्य सरकार को यह मदद देते हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न उन सभी चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ा है, खास कर जो देसी चिकित्सा पद्धति हैं और जिसके आदरणीय जे.पी. नड्डा जी मंत्री हैं। जब कैंसर ऑपरेशन की स्थिति में होता है तब परिस्थिति अलग होती है, ऑपरेशन के बाद भी उसका लगातार ट्रीटमेंट चलता है। जब वह रिपीट होता है तो उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, वह अलग है। ऑपरेशन और बाकी ट्रीटमेंट के लिए हम पूरी तरह से एलोपैथी पर ही निर्भर हैं। जब वह रिपीट होता है तब ऐसी स्थिति होती है कि परिवार उसे संभाल नहीं पाता है और खर्चा होता ही है लेकिन उसको अटेंडेंट्स नहीं मिलते हैं। हॉस्पिटल से ज्यादा महत्वपूर्ण हॉस्पिस है। मैं जबलपुर में 'विराट हॉस्पिस' से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें ज्ञानेश्वरी देवी काम कर रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी भी पद्धतियां हैं, खास आयुर्वेद और हॉस्पिस के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से दोनों विभाग के मंत्रियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या हॉस्पिस को प्रमोट करने की कोई योजना है क्योंकि वहां पर औषधि भी चाहिए और सर्विस करने वाले लोग भी चाहिए, भले आपके पास अनुसंधान नहीं है, लेकिन वर्षों से जो लोग कर रहे हैं, क्या उनकी मदद करने की कोई योजना सरकार के पास है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न पूछा है। यह समाज की जरूरत है। आज तक हॉस्पिटल में ये सभी केयर किए जाते हैं और जब रोगी घर पर जाते हैं तो मंत्रालय या अन्य कुछ कर नहीं पाते हैं। निश्चित तौर पर इसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत करके, हम सोच सकते हैं।

(Q. 166)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अध्यक्ष महोदया, आयुष और आयुर्वेद सारे विश्व के मानव की स्वास्थ्य के संरक्षण का एक विज्ञान है, उसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए मैं सदन में खड़ा हूँ। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से पूरी दुनिया के 177 देश योग और आयुर्वेद पर हमारे पीछे खड़े हुए हैं, इसने इस बात को साबित कर दिया है कि योग और आयुर्वेद पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण का कुशल नेतृत्व कर सकता है। इस सदन में कैंसर पर भी लगतार चिंता होती रही है। जहां दुनिया के प्रतिष्ठित नामी-गिरामी चिकित्सा संस्थान कैंसर के लिए, एम. डी. एंडर्सन हो, कैलिफॉर्निया हो, मेरीलैंड विश्वविद्यालय हो, हार्वर्ड हो या एरिज़ोना विश्वविद्यालय हो, दुनिया के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में एलोपैथ के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा का संयुक्त प्रबंधन बहुत तेजी से हो रहा है। मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह दस-बीस सालों से है, अभी आयुर्वेद बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, उस गति से क्या हमने कोई राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान के रूप में सस्ती और सुदृढ़ एकीकृत चिकित्सा पद्धति का विकास करने की विशेष योजना में कोई योजना बनाई है? यदि बनाई गई है तो वह क्या है, और यदि नहीं बनाई गई है तो वह कब तक बनाएंगे और कब तक उसे लागू कर सकेंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने इंटीग्रेशन के बारे में पूछा है। इंटीग्रेशन का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आयुष मिशन के जरिए, हमारी स्कीम कोलोकेशन है, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे आयुषपैथी के डॉक्टर तैनात किये जा रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सभी राज्यों में कोलोकेशन की स्कीम शुरू है। यहां इंटीग्रेशन सही तरह से शुरू हो गया है।

हमने पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत छह डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, वहां योगा और एलोपैथी कॉमन हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेद है, एक में होम्योपैथी है और सभी मिलकर प्राइमरी सेंटर या सेंटर सारे गांव की स्क्रीनिंग करते हैं। यदि रोग का निदान पहले कर लिया जाए, तो बाद में कॉम्प्लीकेशन नहीं आएगा। डॉक्टर्स का भी कहना है कि यदि कैंसर का पहली स्टेज में पता चल जाए, तो उसका इलाज भी हो सकता है। इसी तरह से हम सभी कार्यक्रम चलाएंगे। इसका रिजल्ट आने के बाद सौ डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को चलाने की हमारी मंशा है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : महोदया, मैं दोनों मंत्रियों से इस बारे में अलग से चर्चा करूंगा कि जो योजना बनी है, वह कितनी क्रियान्वित हुई है, हम उसे बहुत निकटता से देख रहे हैं।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम एक हजार लोगों पर एक डाक्टर होना चाहिए। हमारे देश में 1674 से भी अधिक लोगों पर एक डाक्टर भी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि सीटों को बढ़ाया है। मैंने पिछले सत्र में भी मंत्री जी से कहा था कि जो सरकारी और गैर सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हैं, वहां जितने प्रोफेसर्स या रीडर्स की जरूरत है, यदि मानक के अनुसार देखा जाए, जिन्हें प्रशिक्षण मिला है, उनकी संख्या 50 प्रतिशत भी नहीं है। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि इन कालेजों में कौन लोग पढ़ा रहे हैं? यदि प्रोफेसर और रीडर नहीं होंगे, तो इन संस्थानों में कौन पढ़ाएगा? स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री जी से मेरा कहना है कि क्या आप संयुक्त रूप से बैठ कर कोई विशेष परियोजना बनाएंगे, जो सस्ती और सुदृढ़ एकीकृत चिकित्सा पद्धति एक अभियान के साथ बनाएंगे कि पांच वर्षों के अंदर-अंदर इस सीमा तक इतनी आपूर्ति हो सके? क्या ऐसी कोई योजना बनाई है? यदि योजना बनाई है, तो वह योजना क्या है और यदि योजना नहीं बनाई है, तो कब तक बनाएंगे और वह योजना कब लागू होगी?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष जी, आयुष मंत्रालय की तरफ से इस बारे में हमारा जो प्रयास चल रहा है, मैं उसका ब्योरा देना चाहूंगा। आज आयुष पद्धति की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। अच्छे अस्पताल भी खुल रहे हैं, लेकिन हमने नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सीटें हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेसर बनते हैं, उन सीटों में हमने बढ़ोतरी की है। जो प्राइवेट कालेज हैं, उनके लिए भी हमने इस कोर्स के लिए परमिशन दी है, ताकि प्रोफेसर्स की संख्या बढ़ सके, इससे माननीय सदस्य की शंका का निराकरण होगा। हमारी और भी कोशिश है कि इस तरह से इंस्टीट्यूट्स बनें और प्रोफेसर्स की संख्या बढ़े। यह बात सही है कि हमारी जनसंख्या बढ़ने की दर भी ज्यादा है, इसी तरह से हमें भी अपने काम में तेजी लानी चाहिए। आयुष मंत्रालय की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन के कालेज खुलें और ज्यादा प्रोफेसर तैयार हों, इस दिशा में हम तेज गति से चल रहे हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: अध्यक्ष जी, आयुर्विज्ञान भी विज्ञान है, जिस तरह से एलोपैथी है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं, जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। उदाहरण के लिए हम थॉयराइड बीमारी को ले सकते हैं, क्योंकि इसे डेफिशिएंसी डिस्ऑर्डर माना जाता है और पूरी उम्र इसकी दवा खानी पड़ती है। आयुर्वेद के अंदर थॉयरोबीन नाम से दवाई है, जिसके लिए क्लेम करते हैं कि चार महीने के भीतर थॉयराइड का इलाज हो जाता है और हाईपोथायडिज्म क्योर की जा सकती है। ऐसी जितनी बीमारियां हैं, उनके लिए हमारे आयुर्विज्ञान के जो डाक्टर्स हैं, जिन्हें हम वैद्य भी कहते हैं, उनके पास कोई सिस्टम या प्रणाली नहीं है कि वे उस दवा को अपने नाम से रजिस्टर कर सकें और पेटेंट बना सकें। जो एमएनसीजे कम्पनियां होती हैं, वे इन दवाओं का फार्मूलेशन लेकर पेटेंट को अपने नाम कर लेती है। क्या मंत्रालय इस बारे में कोई कार्रवाई कर रहा है कि उस दवाई के

पेटेंट की व्यवस्था की जाए और वकीलों को उनके साथ लगाया जाए तथा उन फार्मूलेशन्स को हिन्दुस्तान की प्रोपर्टी माना जाए?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।

इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि तरह-तरह के पेटेन्ट्स करने का सिस्टम हमारे आयुष मंत्रालय में भी है। आज तक हम इस संबंध में रिसर्च के क्षेत्र में ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़े थे। अब माननीय प्रधान मंत्री जी ने आयुष को एक नया मंत्रालय बनाया है। अब इस क्षेत्र में हमारा बजट भी बढ़ा है। हमने नई-नई लैबॉरिट्रीज़ भी प्रस्थापित की हैं।

माननीय सदस्या ने कहा है कि यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी चाइना पेटेंट के काम की दिशा में किस प्रकार तेजी से आगे गया है। हमें इस सिस्टम को जगह पर लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा।

मैं माननीय सदस्या को आश्वासन करता हूँ कि उन्होंने जो बताया है, हम उस ओर जल्द ही कोशिश करेंगे कि वह काम ठीक तरह से हो जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, आप शॉर्ट में बोलिए। समय समाप्त हो रहा है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, it is a welcome step on the part of the Government to integrate the systems of medicine in India under the AYUSH Ministry. The traditional system of medicine is ayurveda. It is facing a severe crisis due to the shortage of ayurvedic medicinal plants and herbs. My specific question to the hon. Minister is this. In order to promote the cultivation of ayurvedic medicinal plants and herbs, is there any proposal to have a National Herbal Research Institute? If so, when will it be established and will it be an institute at the national level?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्लांटेशन के बारे में बताया है। हमने अपने नेशनल मेडिसिन प्लांटेशन बोर्ड का बजट बढ़ाया है। हम सभी राज्यों के साथ मिलकर प्लांटेशन का काम कर रहे हैं।

जैसा कि आपने हर्बल के बारे में भी कहा है, मैं बताना चाहूँगा कि यह भी उस में आता है। इस संबंध आपको यदि अन्य कोई सजेसन देना है, तो आप दे दीजिए। हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

HON. SPEAKER: The Question Hour is over.

12.00 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8205/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8206/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8207/16/17]

- (3) A copy of Notification No. S.O.2836(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st August, 2017, making certain amendments in Notification No. S.O.1174(E) dated 18th July, 2007 issued under Sections 12 &13 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 8208/16/17]

- (4) A copy of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1203(E) in Gazette of India dated 26th September, 2017 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 8209/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON
RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 29th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, December, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8210/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8211/16/17]

- (3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8212/16/17]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8213/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2016-2017.
- [Placed in Library, See No. LT 8214/16/17]
- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2016-2017.
- [Placed in Library, See No. LT 8215/16/17]
- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2016-2017.
- [Placed in Library, See No. LT 8216/16/17]
- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8217/16/17]

- (9)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8218/16/17]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.1324(E) in Gazette of India dated 24th October, 2017.
- (ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.1386(E) in Gazette of India dated 14th November, 2017.
- (iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.1374(E) in Gazette of India dated 7th November, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8219/16/17]

(11) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the second quarter of the Financial year 2017-2018 and Statement explaining deviations in meeting the obligations of the Government under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 8220/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) इश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8221/16/17]

(2) लाइफ इश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 की 47वें मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8222/16/17]

(3) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीओ.एचआरएमडी सं. 6563/21/01/2017-18 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8223/16/17]

(4) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2017 जो 4 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीओडी एंड जीओ/विकेके/470 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8224/16/17]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 17 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचओ/एडमिन/3एफ-49/1512 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना सं. एफ.सं. एचओ/जीएम-सचि./पीए/डीसी/2017/1163 जो 30 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुसाशन और अपील) विनियम, 1976 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 8225/16/17]

(6) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं तथा बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन या पारिश्रमिक या पारितोषिक का संदाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 23 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीआई/रेग./9/146/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8226/16/17]

(7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एचआरवीसं.एल00141487/ स्टाफ जनरल (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8227/16/17]

(8) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुसूचना) 7वां संशोधन नियम, 2017 जो 12 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8228/16/17]

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2017 जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8229/16/17]

(10) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 994(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 995(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2 में आवक प्रदायों के ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 996(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 997(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3खे भरने के लिए तारीख दर्शाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम 2017 जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1023(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 1024(अ) जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने के लिए तारीख और शर्तें अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 1039(अ) जो 21 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने के लिए तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 1070(अ) जो 28 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-5ए में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 1071(अ) जो 28 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केंद्रीय माल और सेवा कर (6वां संशोधन) नियम 2017 जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1121(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 1126(अ) जो 1 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने के लिए विलंब शुल्क को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 1129(अ) जो 5 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 और अगस्त, 2017 महीनों के लिए ब्यौरे प्रस्तुत करने/ विवरणी दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 1144(अ) जो 11 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 1145(अ) जो 11 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 1158(अ) जो 15 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हस्तशिल्प सामानों की कर योग्य आपूर्ति करने वाले एक नैमित्तिक कर योग्य व्यक्ति को पंजीकरण प्राप्त करने की जरूरत से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 1163(अ) जो 15 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिन्होंने टीडीएस के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 को अधिसूचित किया तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 1164(अ) जो 15 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगस्त, 2017 से दिसंबर, 2017 महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने की अंतिम तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) केंद्रीय माल और सेवा कर (7वां संशोधन) नियम 2017 जो 15 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1165(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (8वां संशोधन) नियम 2017 जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1214(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 1218(अ) जो 4 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सभी निर्यातकों तक एल्यूटी सुविधा का विस्तार करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (9वां संशोधन) नियम 2017 जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1251(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा.का.नि. 1252(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 32/2017-केंद्रीय कर में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेइस) सा.का.नि. 1253(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राज्य कर अधिकारियों को प्रतिपूर्ति का प्रक्रमण और प्रदाय करने का अधिकार देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 1254(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपये से कम कुल टर्न ओवर वाले पंजीकृत बिक्रतयों द्वारा इनोविस जारी करने पर कर का भुगतान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 1255(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 1256(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-5ए में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताइस) सा.का.नि. 1257(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) सा.का.नि. 1258(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआईटीसी-01 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (10वां संशोधन) नियम 2017 जो 18 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1304(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 1305(अ) जो 18 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 147 के अंतर्गत कतिपय आपूर्तियों को मानित निर्यातों के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 1306(अ) जो 18 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(2) (छ) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए मानित निर्यात आपूर्तियों के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक सबूतों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 1326(अ) जो 24 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगस्त, और सितंबर, 2017 महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विलंब से विवरणी दायर करने पर देय विलंब शुल्क को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (10वां संशोधन) नियम 2017 जो 28 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1344(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.नि. 1345(अ) जो 28 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआईटीसी-01 में विवरणी जमा करने की निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि. 1346(अ) जो 28 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआईटीसी-04 में विवरणी जमा करने की निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि. 1352(अ) जो 30 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो दिनांक 11 सितंबर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2017-केंद्रीय कर में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीसवां) केंद्रीय माल और सेवा कर (12वां संशोधन) नियम 2017 जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1411(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अडलीस) सा.का.नि. 1412(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2018 तक प्ररूप जीएसटीआईआर-3बी में विवरणी जमा करने का आदेश देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा.का.नि. 1413(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपये से कम कुल टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए तिमाही आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-1 जमा करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सा.का.नि. 1414(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपये से कम कुल टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में विवरणी दायर करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा.का.नि. 1415(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-04 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सा.का.नि. 1416(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई से अक्तूबर, 2017 माहों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-5 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) सा.का.नि. 1417(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई से अक्तूबर, 2017 माहों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-5ए में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवालीस) सा.का.नि. 1418(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई से अक्तूबर, 2017 माहों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सा.का.नि. 1419(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआरआईटीसी-04 में विवरणी जमा करने की निर्धारित तिथि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियालीस) सा.का.नि. 1420(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2017 से प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विलंब से विवरणी जमा करने पर देय न्यूनतम विलंब शुल्क को सीमित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतालीस) सा.का.नि. 1421(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-कामर्स प्लेटफार्म से सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अडतालीस) सा.का.नि. 1422(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में अग्रिम प्राप्त करने वाले सभी कर दाताओं को कर भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनचास) सा.का.नि. 1262(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अंतर्गत 31.03.2017 तक कर भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8230/16/17]

(11) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-.

(एक) सा.का.नि. 1155(अ) जो 14 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सेवाओं का अंतर्राज्यीय प्रदाय करने वाले जाब वर्कर्स को रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1156(अ) जो 14 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हथकरघा सामग्रियों के अंतर्राज्यीय करादेय प्रदाय करने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1259(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 1260(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करादेय सेवाओं के अंतर्राज्यीय प्रदाय करने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 1261(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रसंस्करण तथा रिफंड प्रदान करने के लिए राज्य कर अधिकारियों को क्रास-एंपावर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन नियम, 2017 जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1424(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 1263(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(4) के अंतर्गत 31.03.2018 तक कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8231/16/17]

(12) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1264(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(4) के अंतर्गत 31.03.2018 तक कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8232/16/17]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, on behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8233/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8234/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8235/16/17]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 20 of the Dentists Act, 1948:-

- (i) The “Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (9th Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. DE-22-2017 in Gazette of India dated 5th July, 2017.
- (ii) The “Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (11th Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. DE-22-2017 in Gazette of India dated 5th July, 2017.
- (iii) The Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017 published in Notification No. DE-87-2017 in Gazette of India dated 5th September, 2017.
- (iv) The Revised BDS Course (8th Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. DE-87(1)(8)-2017 in Gazette of India dated 27th July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8236/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8237/16/17]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, on behalf of Shrimati Anupriya Patel, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 8238/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Maharaja Sayajirao University of Baroda), Shimla, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Maharaja Sayajirao University of Baroda), Shimla, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8239/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI
P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1372(E) in Gazette of India dated 7th November, 2017.
- (ii) The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1267(E) in Gazette of India dated 13th October, 2017.
- (iii) The Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.955(E) in Gazette of India dated 27th July, 2017.
- (iv) The National Company Law Appellate Tribunal (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1061(E) in Gazette of India dated 24th August, 2017.
- (v) The Companies (Arrests in connection with Investigation by Serious Fraud Investigation Office) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1062(E) in Gazette of India dated 24th August, 2017.
- (vi) The Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1172(E) in Gazette of India dated 20th September, 2017.
- (vii) The Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1176(E) in Gazette of India dated 21th September, 2017.

- (viii) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1316(E) in Gazette of India dated 18th October, 2017.
- (ix) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1371(E) in Gazette of India dated 7th November, 2017.
- (x) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1480(E) in Gazette of India dated 4th December, 2017.
- (xi) The Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1498(E) in Gazette of India dated 8th December, 2017.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iii) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8240/16/17]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 458 of the Companies Act, 2013:-

- (i) S.O.2938(E) published in Gazette of India dated 6th September, 2017, regarding delegation of powers to Regional Directors, mentioned therein.
- (ii) S.O.3401(E) published in Gazette of India dated 23th October, 2017, regarding delegation of powers under Section 247 of Companies Act, 2013 to Insolvency and Bankruptcy Board of India.

[Placed in Library, See No. LT 8241/16/17]

(4) A copy of the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.3400(E) published in Gazette of India dated 23th October, 2017 under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 8242/16/17]

12.03 hrs**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:

- (1) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th December, 2017 agreed without any amendment to the Indian Forest (Amendment) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th December, 2017.”
- (2) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th December, 2017 agreed without any amendment to the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th August, 2017.”
- (3) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th December, 2017 agreed without any amendment to the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th December, 2017.”
- (4) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th December, 2017 agreed without any amendment to Repealing and Amending Bill,

2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th December, 2017.”

- (5) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th December, 2017 agreed without any amendment to the Repealing and Amending (Second) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th December, 2017.”

12.04 hrs

**COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM
SITTINGS OF THE HOUSE**
10th Report

SHRI LAKHAN LAL SAHU (BILASPUR): Madam, I beg to lay the Tenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.05 hrs

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
20th Report

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, I beg to present the Twentieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Vigilance in Indian Railways' (Hindi and English versions) of the Railway Convention Committee.

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
(i) 46th Report

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) Statement

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(दो) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

12.07 hrs**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY****(i) 42nd to 44th Reports**

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2017-18):-

- (1) Forty-second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of Electronics and Information Technology'.
- (2) Forty-third Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Issues Related to Quality of Services and Reported Call Drops' relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

- (3) Forty-fourth Report on 'Status of Cable TV Digitisation and Interoperability of Set Top Boxes' relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

(ii) Statements

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Madam, I beg to lay the Statements (Hindi and English versions) showing further Action Taken by the Government on the following Reports of the Standing Committee on Information Technology:-

- (1) Eighteenth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Second Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Electronics and Information Technology.
- (2) Nineteenth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Eighth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Information and Broadcasting.
- (3) Twenty-second Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Sixth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Electronics and Information Technology.
- (4) Thirtieth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-third Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Information and Broadcasting.
- (5) Thirty-first Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-fourth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).
- (6) Thirty-second Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-fifth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Electronics and Information Technology.

(7) Thirty-third Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-sixth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2016-17)' of the Ministry of Communications (Department of Posts).

(8) Thirty-ninth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Thirty-fourth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Information and Broadcasting.

(9) Forty-first Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Thirty-seventh Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Communications (Department of Posts).

12.09 hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

40th and 41st Reports

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

(1) Fortieth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G)' previously Indira Awas Yojana (IAY) 27 of the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

(2) Forty-first Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-fourth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2017-18)' of the Ministry of Panchayati Raj.

12.10 hrs**¹MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON CITIZENSHIP
(AMENDMENT) BILL, 2016 – EXTENSION OF TIME**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :-

“ कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र 2018 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है। ”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 upto the First day of the last week of the Budget Session, 2018.”

The motion was adopted.

¹ Memorandum giving reasons for extension of time circulated separately.

12.13 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 1st of January, 2018 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - {it contains discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 7 of 2017) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017 and consideration and passing of (a) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017. (b) The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2017. (c) The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017. (d) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017 and (e) The Dentists (Amendment) Bill, 2017}
2. Consideration of the amendments made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.
3. Consideration and passing of the following Bills: -
 - (a) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017.
 - (b) The Specific Relief (Amendment) Bill, 2017.
 - (c) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2017.
 - (d) The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017.

(e) The National Medical Commission Bill, 2017.

HON. SPEAKER: Shri Rattan Lal Kataria – Not present.

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में कृपया निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए।

1. सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश भर के विद्यालयों में कतिपय विकास कार्य जैसे कमरों के निर्माण, बाउंड्रीवाल का निर्माण आदि कार्य करवाए जा सकते थे। विगत कुछ समय से सरकार ने इन विकास कार्यों पर रोक लगा दी। इस कारण विद्यालयों के विकास का कार्य पूरी तरह रूक गया है। अतः सरकार को सर्व शिक्षा अभियान के तहत आगामी बजट में विकास कार्यों हेतु जरूरी धनराशि का प्रावधान करना चाहिए ताकि जरूरी विकास कार्य जैसे कमरों तथा चाहरदीवारी का निर्माण आदि कार्य करवाए जा सकें।

2. 22101/22102 राज्यरानी एक्सप्रेस इस समय मनमाड व मुम्बई के बीच चलती है। यदि इस गाड़ी को विस्तार कर जलगाँव व मुम्बई के बीच कर दिया जाए तो इससे जलगाँव जिले के निवासियों को मुम्बई जाने के लिए सुविधा हो जाएगी और रेलवे को भी अच्छा राजस्व मिलेगा। यह उल्लेखनीय है कि इस गाड़ी का जलगाँव तक विस्तार करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है क्योंकि यह गाड़ी काफी समय मनमाड पर यार्ड में खड़ी रहती है। अतः सरकार को राज्यरानी एक्सप्रेस को विस्तार कर जलगाँव व मुम्बई के बीच चलाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल कराने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी मिर्जापुर मार्ग की हालत कर्वी से शंकरगढ़ तक बहुत ही खराब हो गई है। अस्तु यथाशीघ्र उसे बनाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था अतिन्यून है। यमुना नदी में पर्याप्त जल है। अस्तु यहां से लिफ्ट योजनाएं एवं नहरें बनाकर पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Respected Madam Speaker, I request that the following items may be included in the List of Business for next week.

1. The alarming increase in atmospheric pollution in the National Capital Region is threatening the very lives of the people.

2. The bottlenecks on NH-66 between Kozhikode and Kannur in North Kerala, especially at Moorad Bridge, 4 kms south of Vadakara, is causing misery and loss of precious time to lakhs of people of Kerala.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर अंतर्गत जुगसलाई ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे अधिकारियों के गलत निर्णयों के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। रेलवे अधिकारियों के द्वारा पहले तय हुआ था कि रेलवे की जमीन 10 हजार स्कवायर फीट के बदले सात करोड़ रुपये, जब राज्य सरकार ने उक्त राशि देने को तैयार हुआ और निविदा भी निकाल दिया तो इसी जमीन का मूल्य अब रेलवे के द्वारा जीएसटी का नाम लेकर 12 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।

2. चांडिल, बडाम, पटमदा, वॉधवान वाया झाड़ग्राम लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लाइन निर्माण का सर्वे हो चुका है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ चाकुलिया, बहरागोडा, बुडामारा, उड़ीसा तक का दस वर्ष पूर्व सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक इस नई रेलवे लाइन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं एवं टाटा से बडाम पहाड़ होते क्यॉंझर तक डबल लाइन बनाई जाए। धन्यवाद।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदया, न्यूज चैनलों के माध्यम से संस्कृत में प्रसारण के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु न्यूज चैनलों के माध्यम से समाचारों का प्रसारण कराया जाए। अगर इस ओर हम सबने ध्यान नहीं दिया तो इस भाषा की स्थिति विलुप्त हो जायेगी। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि उक्त भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसका वर्तमान माध्यम न्यूज चैनल हैं, इनके माध्यम से इसे हर जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जो भविष्य में सार्थक साबित होगा। धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदया, कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर के ग्राम सचेंडी एवं जनपद कानपुर देहात के ग्राम रनिया में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर ओवरब्रिज/अंडरपास के निर्माण की महती आवश्यकता को देखते हुए निर्माण हेतु आदेशित किया जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर से तहसील घाटमपुर एवं तहसील बिल्हौर के न्यायिक क्षेत्र को जनपद कानपुर देहात में स्थानांतरित कर दिया गया है। जनपद कानपुर नगर में उक्त दोनों तहसील का प्रशासनिक क्षेत्र होने तथा वादकारियों को आवागमन में आने वाली असुविधाओं को देखते हुए उक्त दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्र को पुनः जनपद कानपुर नगर में लाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): The following item may be taken for discussion during the next week business.

The Ministry of Finance has refused to release grants of Rs. 522.91 crore due to the Government of Tamil Nadu based on 13th Finance Commission recommendations, even in respect of expenditure incurred during the Finance Commission period of 2010-15, despite having submitted utilisation certificates on time. The reason it has cited is that the 13th Finance Commission period ended on 31st March, 2015 and no balance is payable to the States thereafter. How has the Ministry of Finance, Government of India, expected the State Government to submit the utilisation certificate for expenditure incurred up to 31st March, 2015 before 31st March, 2015? Hence, the ground of rejection of the Government of Tamil Nadu is totally unjustified.

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I request you to include the following issues for discussion in the List of Business for next week.

1. The status and efforts made by the Government and outcome of recently held WTO Conference at Argentina, particularly, agriculture subsidy and e-commerce.
2. The horrible fraud going on in the name of so-called cryptocurrency, Bitcoin and block chain, and the measures being taken by the Government to check this fraud. It is ponzi and is being used like penny stock for money laundering.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Madam Speaker, the important issue of 'Privatisation of Salem Steel Plant' may please be added in the next week's business of the House.

12.16 hrs

NATIONAL MEDICAL COMMISSION BILL, 2017*

HON. SPEAKER: Item No. 19 – Shri Jagat Prakash Nadda.

... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, this is a very important Bill.

It should be sent to the Standing Committee. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। This is introduction only.

... (ब्यवधान)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a medical education system that ensures availability of adequate and high quality medical professionals; that encourages medical professional to adopt latest medical research in their work and to contribute to research; that has an objective periodic assessment of medical institutions and facilities maintenance of a medical register for India and enforces high ethical standards in all aspects of medical services; that is flexible to adapt to changing needs and has an effective grievance redressal mechanism and for matters connected there with or incidental thereto .

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for a medical education system that ensures availability of adequate and high quality medical professionals; that encourages medical professional to adopt latest medical research in their work and to contribute to research; that has an objective periodic assessment of medical institutions and facilities maintenance of a medical register for India and enforces high ethical standards in all aspects of medical services; that is flexible to adapt to changing needs and has an effective grievance redressal mechanism and for matters connected there with or incidental thereto.”

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section -2 dated 29.12.2017.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Minister may now introduce the Bill.

... (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I introduce* the Bill.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : समय पर नोटिस क्यों नहीं देते हो?

... (व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, we are not able to raise issues in the House. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। जो बिल इंट्रोड्युज़ हुआ है, वह नियम के मुताबिक ही हुआ है। आपको विरोध करना है तो उसके भी नियम बने हुए हैं। आपको नहीं मालूम है तो प्रेमचंद्रन जी से पूछ लो। वे इंट्रोडक्शन का हर समय डालते हैं। ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Please allow us to put forward our views, Madam. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, इंट्रोडक्शन का अगर विरोध करना हो तो आपको समय पर नोटिस देना चाहिए। मैं कर दूंगी, वह नहीं करोगे तो कैसे होगा? Things do not happen like this, and it is only introduction.

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैडम, फिर तो स्टैण्डिंग कमेटी को डिज़ॉल्व कर दें? स्टैण्डिंग कमेटी में तो कुछ हुआ ही नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी तो केवल इंट्रोडक्शन ही हुआ है। आप करो, देना हो तो मैं यह नहीं कहूंगी। प्लीज़ ऐसा नहीं होता है।

* Introduced with the recommendation of the President.

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैडम, बीएसी में हाऊस में रेज़ करने के लिए कहा जाता है, हाऊस में रेज़ करते हैं तो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ही हुआ है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि वे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लें क्योंकि उस रिपोर्ट के आधार पर ही यह बिल आया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। अब आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now 'Zero Hour'.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री किरिंट सोमैया जी बोलिए क्या कहना है?

... (व्यवधान)

डॉ. किरिंट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : मैडम, मुंबई में कमला मिल कम्पाउण्ड में आग लगी है, उसमें 18 लोग जिंदा जल कर मर गए हैं। मेरी जो जानकारी है कि वहां पर जो पब था, रेस्टोरेंट था, वह गैरकानूनी था, उसके पास परमिशन नहीं थी। कमला मिल कम्पाउंड और बगल के फिनिक्स मिल कम्पाउंड में इस प्रकार के दर्ज़नों होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स हैं। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नगर विकास मंत्री और महाराष्ट्र सरकार को सूचना दी जाए कि इन सबका स्पेशल फायर ऑडिट किया जाए। **Kamala Mills and Phoenix Mills are nothing but death traps.**

मैडम, 15 दिन पहले मेरे मतदान क्षेत्र को लगकर इसी प्रकार से फरसान मार्ट में आग लगी थी, जिसमें कि 12 मज़दूर जिंदा जल कर मर गए थे। इस प्रकार की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। मुंबई महानगर पालिका, उनके अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी क्या कर रहे हैं। फायर ऑडिट नहीं होता है। उसको जो परमिशन जो दी गई, वह गैर कानूनी थी। इसलिए दोनो मॉल्स का स्पेशल ऑडिट हो, फायर इंस्पेक्शन हो, और आम आदमी की जान की रक्षा की जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी को डॉ. किरिंट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अरविंद सावंत जी, आपकी भी यही चिंता है?

... (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: मैडम, आज सुबह ही मैंने इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है। यह मेरे चुनाव क्षेत्र की घटना है। इनको तो घुसने की आदत है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अरे तो मैं आपको अलाऊ कर रही हूँ न?

... (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: मैडम, उनको बीच में घुसने की आदत है। वे आदत से मज़बूर हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको अलाऊ कर रही हूँ न? ऐसा नहीं होता है, उनका भी अधिकार है।

...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: मैडम, वह छोड़िए, वे आदत से मज़बूर हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र में यह कमला मिल आती है। उस कमला मिल में जो हादसा हुआ, उस हादसे में होटल में आग लगी थी। आग बढ़ कर फैलती गई, ऊपर चली गई। ऊपर जो एग्जिट था, वह बंद था। वहां बहुत सी महिलाएं थी, किसी का बर्थडे सैलिब्रेट कर रही थीं, वे बेचारी बाथरूम में रूकी, वहां आग नहीं पहुंची, लेकिन वहां घुटन हो रही थी। उसमें 14 लोग मरे हैं, जिनमें 11 तो महिलाएं ही हैं। महोदया, इस घटना को ले कर मैं दुखी हूँ कि इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि मुंबई में जितनी भी मिलें हैं, उनके अंदर या तो रैसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होने दो या इस तरह के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स होने दो।

महोदया, आप एकदम चौंक जाएंगी कि इनको परमीशन किसने दी, किस तरह से इन्हें बनाया गया।

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए तो वे गुस्सा हैं।

श्री अरविंद सावंत: महोदया, मेरी माँग दूसरी है। मैं आगे बढ़कर बोलता हूँ। ये होटल बड़े लोगों के हैं, ये छोटे लोगों के नहीं हैं, इनके भी दोस्त लोग वहाँ हैं, हमारे भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। मैं इस हादसे पर दुखी हूँ। मैं माँग करता हूँ कि इस हादसे की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। वह होटल किसी कमिश्नर के बेटे का है। बाद में कोई अधिकारी उसकी जाँच करेगा और एक-दूसरे को बचा लेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इस बार इसकी जड़ पर जाना चाहिए। सारी मिलों के अंदर, रेजीडेंशियल हों या कामर्शियल काम्प्लेक्स हों, उनकी पूरी जाँच होनी चाहिए, खासकर के इस दुर्घटना की जाँच होनी चाहिए। जिन परिवारों के लोग इस हादसे में गुजरे हैं, मैं उनके प्रति दुख प्रकट करता हूँ। मैं इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं दोबारा माँग करता हूँ कि इस हादसे की न्यायिक जाँच की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेट्टी, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री राहुल शेवाले, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्रीमती भावना गवली (पाटील) को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी लोग जानते हैं कि नागपुर जिला पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में संतरे के लिए जाना जाता है। नागपुर के संतरे के टेस्ट से सभी अवगत हैं। आज हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से वहाँ पर हमारे संतरे के पेड़ों पर *Phytophthora Diabia* नामक बीमारी लग रही है।

माननीय अध्यक्ष : आपने तो सतारा डिस्ट्रिक्ट की बात बोलने के लिए कहा है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: महोदया, मैंने नागपुर का दिया है, मैं क्यों सतारा में जाऊँ? मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी की बात रखता हूँ। मैं कहीं और नहीं घुसता हूँ। मैं अपनी तरफ चलता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए। जो यहाँ लिखा है, मैं वह बता रही हूँ।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: महोदया, *Phytocateria Diabia* क्रॉप में जो लगा है, उससे किसानों के संतरे के पेड का काफी नुकसान हो रहा है। जो फल पेड के ऊपर लगे थे, वे फल पूरी तरह से पेड से नीचे गिरते जा रहे हैं। नागपुर का संतरा जो पूरे देश में आता था, वह इस साल अभी तक आया नहीं है, यह उसी के कारण है। यह मौसम उसी का होता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो ऐसी फसलें बर्बाद हुई हैं, वहाँ ऐसी फसलों की कृषि अधिकारी के द्वारा जाँच की जाए और जो किसानों का नुकसान हुआ है, उनको कम से कम 25 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये। यह मुआवजा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, क्योंकि बाकी दूसरे जिलों में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है, उसी तरह से संतरे के लिए भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न्याय दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Speaker Madam, the recent eviction which has taken place in Amchang Wildlife Sanctuary in Assam in the peak of winter is insensitive and inhuman. Children studying in schools were forced to abandon their preparation for examinations and the elderly were forced to sleep in the winter at night. These marginalized communities who are displaced are victims of flood, land loss and erosion. Yet, they were treated as unauthorized occupants by the insensitive Government. I request the Ministry of Environment and Forests that revenue villages, which have been classified under the eco-sensitive zone of wildlife sanctuary, need to be rehabilitated in a proper manner. Mindless eviction is an assault on the rights of indigenous communities. I request the State Governments across India not to carry out evictions in winter when people are most vulnerable and are left to suffer in the cold. I would request the Minister of Environment and Forests to issue a directive to State Governments that all revenue villages falling under eco-sensitive zones in various

wildlife sanctuaries of Assam should be rehabilitated in a proper manner with adequate compensation and adequate provisions for their education and shelter.

HON. SPEAKER: Shri Kaushalendra Kumar – not present.

Dr. Ravindra Kumar Ray.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : महोदया, मैं शून्य काल में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित विषय को रखना चाहता हूँ।

महोदया, अशिक्षा तथा निरक्षरता एक अभिशाप है और यह समाज और देश के लिए कलंक होता है। हमारे देश में यह कलंक न रहे, इसको समाप्त करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय वर्ष 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया और पूरे देश भर में लाखों शिक्षक इसमें बहाल किए गए थे, जो कम संसाधन में, कम मानदेय पर शिक्षा देने का काम कर रहे थे। शिक्षा का कलंक हिन्दुस्तान से मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वर्ष 2001 में भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान चलाने के यह निर्णय हुआ, यह भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत है, जो आगे चल कर भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार का हिस्सा बना।

अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि अभी वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2017 तक जो शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रहे हैं, 17 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अभी तक उनका भविष्य निश्चित नहीं हो पाया है और कम मानदेय पर ही काम कर रहे हैं। उनका भविष्य अनिश्चित है। हमारे झारखंड राज्य में भी ऐसे करीब 55 हजार शिक्षक हैं जो अनिश्चितता की दौर से गुजर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनको नियमित करने का काम किया है। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार के योजना के तहत जन्म लिए ये शिक्षक हैं, इनको सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने के लिए भारत सरकार पहल करें। उनके शिक्षा सेवा का नियमितकरण करने का प्रावधान करें। अब वह तपस्या करने की बात नहीं है; क्योंकि वे बाल-बच्चेदार हो गए हैं, परिवार के लोग हैं तो उनको भी उचित मानदेय मिले, उनको भी समान वेतन का अधिकार मिले, यह व्यवस्था भारत सरकार पहल करके राज्य सरकारों के साथ काम करने की कृपा करें। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। यह एक बहुत ही विकराल समस्या बनती जा रही है और शिक्षक लगातार आंदोलनरत हैं। समाज में शिक्षक आंदोलन करें, यह उचित नहीं है। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. कुलमणि सामल, श्री पशुपति नाथ सिंह, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला जी। आप कभी इधर दिखते हो, कभी उधर दिखते हो।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, जीरो ऑवर में मेरा भी जो मामला है, वह शिक्षकों के प्रति है।... (व्यवधान) आज इस देश के अंदर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए सेन्ट्रल टीचर्स एलिजबिलिटी टेस्ट होता है और हर प्रदेश में; जैसे हरियाणा में हरियाणा टीचर्स एलिजबिलिटी टेस्ट होता है, उड़ीसा के अंदर अलग टेस्ट होता है। हर टेस्ट की जो समय-सीमा है, अगर कोई इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके जे.बी.टी. बनता है, हरियाणा वाले पाँच साल बाद कहते हैं कि टीचर दोबारा टेस्ट दें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सात साल बाद दे; लेकिन सबसे हैरानी की जो बात है कि सेन्ट्रल टेस्ट को क्लियर करने के बाद भी अगर कोई हरियाणा प्रदेश में टीचर लगना चाहे तो उसको दोबारा हरियाणा प्रदेश का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है।

आज सरकार से मेरी यही माँग है कि अगर सरकार मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नीट ला सकती है, इंजीनियरिंग के लिए जीट ला सकती है, तो इसी तरीके से जो सी-टैट है, उसको पूरे देश में यूनफॉर्मली लागू किया जाए, उसकी जो समय-सीमा है, अगर मैंने आज कोई एग्जाम क्लियर किया है और मुझे पाँच या सात साल तक नौकरी नहीं मिलती है तो मुझे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो मैं पूरी जिंदगी पढ़ाने के लिए वैलिड हूँ। उसकी समय-सीमा को भी दस साल तक बढ़ाया जाए और हम पूरे देश के अंदर एक सेन्ट्रल टीचर के लिए एलिजबिलिटी टेस्ट को इम्प्लिमेंट करें, जिसके अंदर अगर कोई हरियाणा का बच्चा उड़ीसा में जाकर हिन्दी का शिक्षक बनना चाहे तो उसको कोई अन्य एग्जाम देने की जरूरत न हो, इस प्रावधान को सेन्ट्रल गवर्नमेंट करें।

मैं आपके माध्यम से माननीय एचआरडी मिनिस्टर जी से यही आग्रह करता हूँ कि देश के अंदर टीचर की एलिजबिलिटी के लिए भी हम एक सेन्ट्रलाइज़्ड एग्जामिनेशन की सुविधा देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : श्री धर्मवीर - उपस्थित नहीं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से देश के उन करोड़ों वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों की आधार से जुड़ी समस्या को सरकार के सामने रखना चाहता हूँ।

महोदया, समस्या यह है कि जो वृद्ध लोग हैं, उनके अंगूठे के निशान मिट जाते हैं, सपाट हो जाते हैं, नतीजा यह है कि विगत एक वर्ष से देश के अंदर करोड़ों वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का जो पेंशन है, वह बंद है।

यह इसलिए है कि अंगूठे के निशान सपाट हो गए हैं, वह मिलता नहीं है, उसका मिलान नहीं हो पाता है, जिसके चलते उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। इसी तरह से जो वृद्ध हैं, उनके आँख की रोशनी खराब हो जाती है, उससे भी मैच नहीं कर रहा है, जिससे यह समस्या खड़ी हुई है।

आधार से जुड़ी हुई एक और समस्या है, एलपीजी गैस की सब्सिडी उन लोगों के बैंक अकाउंट में न जाकर निजी टेलीफोन ऑपरेटरों के बैंक अकाउंट में जा रहा है। ऐसा 31 लाख लोगों के साथ हुआ है, 190 करोड़ रुपये एयरटेल के खाते में चला गया। सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने उसके लाइसेंस को भी कैंसिल किया है और उनसे कहा है कि इस पैसे को ग्राहकों के खाते में डालें। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। मेरी सरकार से दो मांग है। वृद्ध लोगों के अंगूठे के निशान मिट जा रहे हैं, जब कोई वृद्ध अपने नाम से सिम नहीं ले पा रहा है, खुद मेरी माताजी अपने नाम से सिम लेना चाहा तो नहीं मिल सका, मजबूरी में मेरी पत्नी या मेरी भाभीजी के नाम से लेना पड़ा, इस तरह के वाक्य देश के करोड़ों वृद्धों के साथ है। इस समस्या का निदान के बारे में सरकार गंभीरता से सोचे, जिन वृद्धों का आठ-दस महीनों से पेंशन बंद है, उनका पेंशन फिर से कैसे चालू हो, सरकार इसकी व्यवस्था करे।

दूसरी, जो लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एयरटेल का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। यह नाकाफी है, यह एक फ्रॉड है, मेरा पैसा बिना मेरी अनुमति और जानकारी के दूसरे किसी के खाते में चले जाए, इसके लिए जिम्मेवार निजी टेलीफोन ऑपरेटर कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मुकद्मा दर्ज किया जाए ताकि उनको सबक मिले और वह ऐसा न कर सकें, यह एक धोखाधड़ी है। मैं यह मांग भारत सरकार से करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रमा देवी, श्रीमती वी. सत्यबामा, श्री शिवकुमार उदासि, श्री राकेश सिंह, श्री निशिकान्त दुबे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह, श्री सुशील कुमार सिंह और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam Speaker, I am supporting what has been said by Shri Sushil Kumar Singh... (*interruptions*)

HON. SPEAKER: You may associate with him.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर के अंतर्गत कौंच, भेड़, जालौन, हजरोकोठोन, ओरैया और दिवयापुर तक एक रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इस रेलवे लाइन पर अर्थ वर्क भी हुआ था। अर्थ वर्क होने के बाद कई बार सर्वे हुआ है लेकिन आज तक रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि अभी 2017-18 का जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें उसमें नई रेलवे लाइन जो उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आती है उसे लेने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसी वर्ष 2017 में कुछ माह पहले संचार विभाग द्वारा अमरेली जिले में दूरसंचार से संबंधित समस्याओं का सर्वे किया गया था, जिनमें से केवल 15 नए टॉवरों को लगाने की आवश्यकता पाई गई थी, जिनमें से केवल 15 नए टॉवरों को लगाने हेतु स्वीकृति मिली। इसके अतिरिक्त 63 पुराने टॉवरों का अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता पाई गई थी, जिनमें से 27 पुराने टॉवरों का अपग्रेडेशन की स्वीकृति मिली है।

महोदया, स्वीकृत टॉवरों की संख्या में कमी के कारण अमरेली जिले की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा। वर्तमान में अमरेली जिले में बीएसएनएल के मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति ठीक नहीं है। बीएसएनएल के मोबाइल बंद अवस्था में हैं, कई दिनों तक लैंडलाइन ठप्प पड़े रहते हैं। 3जी ब्रॉडबैंड की कोई सुविधा नहीं है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पब्लिक सुविधाओं को ऑनलाइन कर रही है, परंतु इंटरनेट की पूर्ण सुविधा नहीं मिलने के कारण इसका समुचित लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गरीबों को राशन लेने के लिए थम्ब इम्प्रेशन देना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट की गति बहुत ही धीमी होने के कारण गरीब राशन लेने से कई बार वंचित रह जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे अपने संज्ञान में लेकर स्वीकृत टॉवरों की संख्या में वृद्धि करके इसका पूर्ण रूप से समाधान करने का कष्ट करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का " डिजिटल इंडिया " का सपना साकार हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश प्राचीन, समृद्ध पारिवारिक व सामाजिक संस्कृति वाला देश है। यहां एक-दूसरे का सम्मान व अधिकारों का संरक्षण करने की परंपरा रही है। विशेषकर उम्र दराज लोगों के सम्मान व उनके साथ व्यवहार की भारत में शानदार परंपरा रही है। अब विकासशील देशों में विशेषकर आर्थिक उपलब्धियों और आगे बढ़ने की प्रतियोगिता के कारण उम्र दराज लोगों से बुरे बर्ताव की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2015 में बजुर्गों के साथ बुरे बर्ताव को लेकर एक अध्ययन किया गया जिसमें 96 देशों की जारी सूची में भारत 71वें स्थान पर है। बजुर्गों को ज्यादातर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही

मिली, ऐसा इस अध्ययन में कहा गया है। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की केयरिंग अलर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण ज्यादा आर्थिक व सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 भारत में पारित किया गया था। परंतु इसका विशेष लाभ पीड़ित लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण नहीं मिल पा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बजुर्गों के सम्मानित, सुरक्षित व स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक व्यावहारिक कानून भारत सरकार लाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Madam Speaker, I would like to raise a very important issue regarding the high rate of pollution in the city of Delhi.

The capital city of Delhi has earned the dubious distinction of being one of the world's most polluted cities. The alarming rate at which atmospheric pollution is increasing in the capital city of Delhi must be addressed on a war-footing. Its effects are enormous than any other natural or man-made disaster. It is terrifying to know that the scale of pollution has necessitated closure of schools and offices and is forcing people to go about with masks.

Deepawali days were horrible for people could not come out from their homes as smoke and sound pollution had reached its peak. On the Christmas day, the situation is reported to have deteriorated.

Health is the most precious asset of any nation and the health of the people should not be put at risk in the name of haphazard projects and unscientific development activities.

I urge upon the Union Government and through you, the Delhi Administration to take stringent steps to ban fireworks, to prohibit burning of stubbles as also to prevent vehicular pollution.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shrimati V. Sathyabama are permitted to associate with the issue raised by Shri Mullappally Ramachandran.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में अभी सबसे बड़ी समस्या बैंकों के एनपीए की है। एनपीए का लैवल यूपीए सरकार की गलतियों के कारण बढ़ा है, लगभग आज की स्थिति में आठ लाख करोड़ से दस लाख करोड़ के आसपास है। इसमें इन्होंने जो फंड दिया, किस तरह से दिया, कारपोरेट को दिया, यह अलग विषय है, लेकिन मैं अभी दो विषयों के ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) बेसेल नॉर्म्स है।... (व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि पहले पूरी बात सुन लीजिए। “अधजल गगरी छलकत जाए”, आप लोगों की ऐसी हालत हो गई है।... (व्यवधान)

यूपीए सरकार ने दो इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए, एक बेसेल और दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम। इस तरह से दो एग्रीमेंट्स साइन किए, बासेल-I, बासेल-II, दुनिया में इम्प्लीमेंट हो गया, भारत में भी हो गया। अब बासेल-III चल रहा है। आपको पता है कि बासिल-I और II के रहते पूरी दुनिया में वर्ष 2007-08 में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन भारत किसी तरह से अपने आपको उसमें से बचा पाया। अब यह बासिल-III है, इसमें जो स्थितियां हैं, उसमें फाइनेंशियल एडीक्वेसी होनी चाहिए। एक तरफ एनपीए बढ़ रहा है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल एडीक्वेसी होनी चाहिए, इसके लिए भारत सरकार ने 2,11,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है जबकि 2,41,000 करोड़ रुपए चाहिए। आरबीआई ने महापात्रा कमेटी बनाई और बनाने के बाद कहा कि भारत की स्थिति दुनिया में कम्पीट करने की नहीं है। यूएस, यूके, यूरोप या डैवलपड देशों में बैंकिंग सिस्टम बड़ा है, हमसे बड़े बैंक हैं, अभी हम डैवलपिंग देश हैं।

इस कारण महापात्रा ने कहा कि जो सिचुएशन आने वाली है, उसमें कास्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने वाली है। इस कारण बैंक के ऊपर ज्यादा स्ट्रैस आने वाला है।

दूसरा, इसका नतीजा यह हुआ कि अभी जो बासेल-III हुआ, उसमें 9 परसेंट कैपिटल कास्ट सीधी साढ़े 11 परसेंट हो गयी। यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम जो 1 अप्रैल, 2018 से इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसमें एसएलआर और जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी एलसीआर, इन दोनों की कास्ट बढ़ने वाली है। इसके अलावा ग्लोबल सिनरियो में हमने फटका साइन कर लिया है। पूरी दुनिया वोलकर रिपोर्ट लागू करने वाली है। यू.के. ब्राइबरी एक्ट और रीडफोर्समेंट ऑफ यू.एस.एफसीपीएस आदि सब लागू हो जाने के बाद हम जो क्रेडिट, लेंडिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, गांव, गरीब, किसान का विकास करना चाहते हैं, तो उसमें बैंक किसी भी आधार पर 1 अप्रैल, 2018 के बाद क्रेडिट और लेंडिंग देने की स्थिति में नहीं होंगे। इससे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर समस्या आयेगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अपने आपको बासेल-III और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए या इसे डैफर कर देना चाहिए, नहीं तो देश का विकास नहीं हो पायेगा। जयहिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शिवकुमार उदासि और श्री शरद त्रिपाठी को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के यमुनापार क्षेत्र में चार विधान सभा क्षेत्र हैं। इस सत्र में वर्षा न होने के कारण खेती/कृषि से फसलें ठीक नहीं हुई हैं। इसी क्षेत्र में स्थित नैनी के औद्योगिक क्षेत्र की प्राइवेट व पब्लिक सैक्टर की इकाइयां भी बंद होने के कगार पर हैं, जिससे इस क्षेत्र में वर्तमान में खेती, रोजगार के समाप्त होने के कारण किसानों, मजदूरों व अन्य नागरिकों का जीवन निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो गया है। बारिश की कमी से किसानों की दशा दयनीय हो गयी है, जिसे देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाये तथा किसानों को उनकी फसलों हेतु क्षतिपूर्ति की जाये तथा उनके सभी प्रकार के ऋण माफ किये जाये। यह भी आवश्यक है कि इस समस्या से निपटने के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त साधन, जैसे नलकूप का निर्माण, नहरों में पानी का प्रबंध किया जाये, जिससे दीर्घकालिक लाभ हो सके। नैनी क्षेत्र की बंद हो चुकी इकाइयों व बंद होने के कगार पर बीपीसीएल नैनी व आईटीआई नैनी को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा ठोस प्रयास किया जाये। इस संबंध में मैंने कई पत्र माननीय मंत्रीगण को लिखकर समस्या से अवगत कराया है। बुन्देलखंड में सिंचाई हेतु नलकूपों को लगाने का काम किया गया है। बुन्देलखंड से हमारे यमुनापार की सिंचाई सुविधा अधिक दयनीय है। पूर्व में मैंने उक्त यमुनापार क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने के लिए 500 नलकूप लगाने के संबंध में निवेदन किया था, किन्तु खेदजनक है कि मेरी उपरोक्त मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके कारण इस क्षेत्र के किसान सूखे का सामना कर रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में बहुत लंबा-चौड़ा भाषण नहीं दिया जाता है।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है। यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इस संभाग के अंतर्गत छः जिले आते हैं, जिनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद हैं। इस संभाग में 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति की है। यह भारत सरकार का शैड्यूल फिफ्थ एरिया घोषित है। यहां गरीब आदिवासियों को अपने न्याय एवं हक के लिए जोधपुर हाईकोर्ट जाना पड़ता है।

महोदया, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच, उदयपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है। उदयपुर से जोधपुर जाने के लिए सीधी रेल सेवाएं नहीं हैं और गरीब आदिवासी, सरकारी कर्मचारी और आम जनता को अपने न्याय के लिए जोधपुर तक जाने में समय और धन अत्याधिक खर्च करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गरीब आदिवासियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाई कोर्ट बेंच स्थापित की जाये।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity.

Madam, we all respect doctors and medical profession like any other society. But while on the one side, the doctors in the Government Hospitals are over-worked, under-paid and under a lot of pressure, on the other side, the doctors in the private sector, - not all of them, but a whole lot of them – practice profession as business and because of that a lot of financial irregularities are happening in the hospitals across the country and this needs to be corrected. मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जैसे किसी ने ट्राय बनाया, टैरिफ रेगुलेट्री बॉडी, उस तरीके की कोई मेडिकल प्रैक्टिस रेगुलेट्री बॉडी बनाई जाए जिसके अनुसार अस्पतालों के बीच में काम किया जाए क्योंकि एक तरफ स्टंट के दाम सरकार ने कम किये हैं परंतु प्रोसीजर के दाम उतने ही रहे, बल्कि बढ़ गये क्योंकि जो पैसा वहां से बचना था, उस तरीके से बिलिंग में उसको एड कर दिया गया। कोई रेगुलेट्री बॉडी जो कि डॉयगनासिस के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, अस्पताल के रख-रखाव के लिए एक स्टैंडर्ड रेट्स फिक्स कर दें। एक तक्षशिला इंस्टीट्यूट है, उसका यह भी मानना है कि प्रोटैक्शन ऑफ पेशेंट्स सर्विसेज, यानी जो रोगी आते हैं, उनके लिए सर्विस बनाई जाए और 1300-1500 बैड्स के जो अस्पताल हैं, वहां पर किसी एक अफसर या किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करें कि वहां पर सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं और पारदर्शी मैथेडॉलोजी के तहत जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उनको मान-सम्मान मिले और सात ही जो बिजनैस कर रहे हैं, वे बिजनैस के तरीके से कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और डॉ. कुलमणि सामल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ एसोशिएट किया जाता है।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam Speaker, violence against women has become a prominent topic of discussion in India in recent years. India has been witnessing a rising trend in crime against women such as murder, rape, molestation and dowry deaths since 2006 of which, rape is the fastest growing crime in the country and as many as 18 women are assaulted in some form or the other every hour across the country. However, rape is one of the most common crimes against women in India and a woman is raped every 29 minutes in our country. Over the past few months, the case of rape and assault on children and their kidnapping and murder have increased drastically across the country despite the fact that the Government has taken several measures to prevent such incidents. But those measures are not capable enough to curb the cases of crime against women and children in the country. The 2012 Delhi gang rape brought a lot of international attention to the issue of gang rape in India. On 16th December, 2012, in Munirka, New Delhi, a 23-year old was beaten and gang raped in a private bus and she died 13 days later.

There are very disturbing incidents that are happening throughout the country. So, I request the hon. Prime Minister as well as the Government to take prompt and immediate action in this matter so that these things are controlled and such cases are dealt with drastically.

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री अर्जुन चरण सेठी जी द्वारा उठाये गये विषय से एसोशिएट किया जाता है।

Shri P.K. Biju - Not present

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Hon. Madam Speaker, I would like to raise a very important and long pending issue for the pension of employees of Regional Rural Banks.

Regional Rural Banks were established in order to cater to the needs of Rural Development by providing banking facilities to farmers and rural workers. The Regional Rural Banks which are owned by the Government of India, Sponsor Banks and State Governments are in the ratio of 50:35:15. The Government of India is holding 85 per cent shares of 56 RRBs spread in 29 States, 627 Districts with 31,017 branches and 86,555 staff members. The retired staff are now over 35,000.

The National Industrial Tribunal, which was constituted under the direction of the Supreme Court, gave its award in favour of the RRBs for equal pay with NCBs, which was binding for the Government of India. The Government of India allowed equal pay for equal job, but denied pension. The employees of the RRBs approached different High Courts, who pronounced judgments in favour of the RRBs to pay pension at par. But then, one SLP was filed in the Supreme Court against a High Court judgment. Now, the case is pending for disposal in the Supreme Court for the last five years.

Madam, in this course of time, over 3,000 retirees have already died; and the death toll is on the rise everyday due to lack of financial assistance in the form of pension. They are being denied the respectable living in the society.

Hence, I would request the Government of India to take some serious measures to provide the retirees of the Regional Rural Banks with the minimum basic needs to protect their lives. I also demand the immediate withdrawal of unjust and non-maintainable SLP, and pave the way for implementation of unconditional pension parity with the public sector banks, and uphold the dignity, décor and respect of senior citizens of employees of the Regional Rural Banks and save their souls and provide justice to them. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bheemrao B. Patil.

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): I will speak for two minutes. Madam Speaker, this is an important subject relating to safety matches industry. Please allow me.

After the implementation of GST almost all the safety match industries in Tamil Nadu have been badly affected. During the regime of Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, a tax rebate was provided for the safety matches industry, even if electric machines are used in other processes except box filling, *vide* Central Excise Notification No 12/2014 dated 11.07.2014. We are aware of the fact that the semi-mechanized units outnumber the fully mechanized units in the country. As this is the case, uniform levy of GST at the rate of 18 per cent will adversely affect the safety matches industry and the workers dependent on this industry. The rate of GST should be brought down to 12 percent. In my Krishnagiri Parliamentary constituency and the neighbouring Dharmapuri district, safety matches are not manufactured by using small sticks of wood but by a special method of using recycled paper-wax match sticks. We have less than 100 safety match industries in our country, out of which 30 industries are in our area which are registered and functioning as micro and small scale industries.

Instead of using wood from trees, these industries use the recycled paper for making match sticks thereby giving employment to rural men and women of this area. As the safety matches industries are less than 100 in number in our country, and they function only on a small scale, this sector should be protected by the Government. It is also important as it protects environment besides giving employment to rural people. I therefore urge upon the Union Government that even though the manufacturers of Wax Coated Paper safety matches use mechanized way of production except box filling, GST should be levied at only 5 percent instead of 18 per cent. This is my humble submission. Thank you Madam Speaker.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri K. Ashok Kumar.

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Hon. Speaker, I would like to raise a very important issue. It is with regard to extending the railway local services of the Central Railways from Kasara to Nashik.

Before also, the Central Railway Mumbai Suburban Section has been extended up to Kasara on the north-east side and up to Karjat on the south side. There was an extension afterwards up to Pune. Now, Lonawala and Pune local services are making the commuting easier for the passengers.

Madam, Nashik and Pune are at about the same distance from Mumbai. But till now, the North East side remains undeveloped due to non-extension after Kasara. The reason given is the Ghat section. A retired railway expert, Shri W.M. Sangale has suggested to the Railway Board as to how to run the local railway service in Ghat Section without bankers. Advanced technologies are also coming. Nashik is a rapidly developing city. There is also a tremendous increase in passengers travelling from Nashik to Mumbai.

Therefore, I would like to request the Railway Ministry through you, Madam Speaker, to work out and resolve the Ghat Section issue by using advanced technology and suggestions given by the railway expert Shri Sangale. It is also requested to extend the local railway service from Kasara to Nashik, so that commuting to Mumbai becomes easier for the passengers from Nashik. This will develop faster and will generate more employment opportunities.

HON. SPEAKER: Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Shewale, Dr. Shrikant Eknath Shinde, Shri Adhalrao Patil Shivajirao, Shrimati Bhavana Pundalikrao Gawali and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Hemant Tukaram Godse.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to raise a very urgent matter of public importance.

I would like to bring the attention of the hon. Finance Minister through you, Madam, towards the matter where SBI has denied to give certificates and other documents to those students who have availed education loans from State Bank of Travancore. Now, SBT has been merged with SBI. All the documents of the students have been transferred from SBT to SBI. But SBI has been irresponsibly behaving with poor students in Kerala.

Madam, recently the Government of Kerala has decided to give financial assistance to those poor students who have availed education loan from SBI or SBT and failed to repay it. But all the documents are with SBI. They are not returning the documents to the students. As a result, students are not getting any help from the State Government.

Therefore, I would like to request the hon. Finance Minister to intervene in this matter so that they can get back their certificates immediately.

Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, दूध उत्पादन में हमारा देश दुनिया में पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में दुनिया के अंदर यदि भारत का शेयर देखा जाए, तो वह 70 परसेंट है। 177 मिल्लक यूनियन, 15 मिल्लक मार्केटिंग फ़ैड्रेशन्स और डेढ़ लाख दूध संस्थाएं हैं, जो दूध के संकलन और बिक्री का काम करते हैं। अगले साल दूध उत्पादन और ज्यादा बढ़ने का चांस है। दूध बढ़ोतरी में 4.18 परसेंट का अनुमान अगले साल के लिए है। इस व्यवसाय से तकरीबन सात करोड़ परिवार जुड़े हैं और दो करोड़ से ज्यादा लोग इस व्यवसाय से रोजगार कमाते हैं। विशेषकर महिलाएं इस उद्योग से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। यह बहुत बड़ा व्यवसाय है, लेकिन घाटे में चल रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में गाय, भैंसों की जो ब्रीड है जैसे एचएफ भैंस, मुर्गा, जाफराबादी आदि हैं, इनका फोडर जिसे हम पशु खाद कहते हैं, इनकी दवाइयां, टॉनिक और मैनेटेनेंस कॉस्ट एफोर्डेबल नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम सभी को पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर 50

परसेंट मुनाफा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में बहुत बड़ा मोर्चा इस विषय में निकला था।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि दूध में प्रति लीटर पांच रुपये की सब्सिडी दी जाए और जो लोग दूध पाउडर बनाते हैं, उन्हें सात रुपये की सब्सिडी दी जाए। सरकार को सभी के लिए पोषण आहार में दूध पाउडर देना चाहिए। इससे बच्चों को भी फायदा होगा और दूध उत्पादकों को भी फायदा होगा। सरकारी वेयर हाउसेस में जो धान मानव के खाने लायक नहीं है, उसे पशु खाद बनाने के लिए कम्पनियों को देना चाहिए, ताकि फोडर सस्ता हो जाए और सस्ते दामों पर सरकार को इसे उपलब्ध कराना चाहिए। देश में किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जा रही हैं, यह उसका बहुत अच्छा आल्टरनेटिव दूध के माध्यम से सिद्ध हो सकता है।

HON. SPEAKER: Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Shewale, Dr. Shrikant Eknath Shinde, Shri Hemant Tukaram Godse, Shri Adhalrao Patil Shivajirao, Shrimati Bhavana Pundalikrao Gawali and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Dhananjay Mahadik.

13.00 hrs

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : स्पीकर मैडम, धन्यवाद।

मैं आज विलुप्त हो रही लोक कला - फोक आर्ट के विषय पर बोलना चाह रही हूँ, जिसके कारण मैं बहुत ही चिंतित हूँ। किसी भी देश की संस्कृति उस देश में निवास करने वाले सामान्य जन के रहन-सहन, आचार-विचार, वस्त्र-आभूषण और नृत्य-संगीत आदि संस्कारों से निर्मित होती है।

जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी लोक कलाएँ हैं, जिससे उनकी पहचान है। जब हम लोक कला की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सब से पहले लोक नृत्य, गीत और संगीत आता है। लोक चित्र कला भी हमारे दिमाग में आती है। लोक नृत्य में फोक डांस और म्यूज़िक सब से ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान का घूमर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप शॉर्ट में बोलिए।

श्रीमती हेमामालिनी: जी मैडम, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। मेरा यही कहना है कि यह कला आज विलुप्त हो रही है। इसे फॉरेन में भी काफी मान्यता दी गई है। ये कलाकार सिर्फ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नृत्य

करते हुए दिखाई देते हैं। इन कलाकारों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए मैं संस्कृति मंत्रालय से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्रीमती वी. सत्यबामा को श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, हमारे अर्द्धसैनिक बलों अर्थात् पैरामिलेट्री फोर्सिज़ के रिटायर्ड पर्सनल के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। हमारे अर्द्धसैनिक बल देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी राज्यों, बंदरगाहों या एयरपोर्ट्स पर यदि देश में कोई भी समस्या आती है, तो उनमें अर्द्धसैनिक बलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

मैं यहाँ इनसे जुड़ी कुछ माँगें रखना चाहता हूँ। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय पहले इन अर्द्धसैनिक बलों को अपनी माँगें रखने के लिए राजघाट पर धरना देना पड़ा था। इनकी पहली माँग यह है कि इनका नाम बदला जाना चाहिए। इनका नाम पैरामिलेट्री फोर्सिज़ नहीं होना चाहिए। इनका किसी से कम आकलन नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इनका नाम इंटरनल सिक्वोरिटी फोर्सिज़ के रूप में रखा जाए।

दूसरी माँग वन रैंक, वन पेंशन के संबंध में है। वन रैंक, वन पेंशन के संबंध में जिस प्रकार भारतीय सेना के लिए कदम उठाए गए हैं, ऐसे ही अर्द्धसैनिक बलों के लिए भी वन रैंक, वन पेंशन की शुरूआत होनी चाहिए। 1 जनवरी, 2004 को अर्द्धसैनिक बलों के लिए नई पेंशन योजना आई थी। इसकी जगह पुरानी पेंशन योजना को ही लागू किया जाना चाहिए।

सेना की सी.एस.डी. कैंटीन में जी.एस.टी. की छूट दी गई है। वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अर्द्धसैनिक बलों की जो सी.ए.पी.एफ. (सैंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सिज़) कैंटीन है, उसमें सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. आदि बलों के जवान जाते हैं। इन कैंटींस में भी जी.एस.टी. की छूट दी जानी चाहिए। अर्द्धसैनिक बलों के लिए मेडिकल फैंसिलिटीज़ भी बढ़ाई जाएं।

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी माँगें रख दी हैं। अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, मैं इनकी तरफ से बस एक आखिरी माँग रखना चाहता हूँ।

अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों को भी भारतीय सेना के शहीदों के समान दर्जा मिलना चाहिए। हम शहीदों में फर्क नहीं कर सकते हैं। हमारी पैरामिलेट्री फोर्सिज़ के जवान सीमा पर नक्सलवादियों से लड़ते हुए अपने जान देते हैं। इस कारण उन्हें शहीद का दर्जा और अन्य सुविधाएँ बराबरी से मिलनी चाहिए।

मैं यह माँग करता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी एक्स पैरामिलेट्री फोर्सेज़ के एक डैलिगेशन से मिलें, ताकि उनकी समस्याओं का तुरंत निवारण किया जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.03 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2017**

AND

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL, 2017

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Items 20 and 21 together. There will be no lunch break.

Shri N.K. Premchandran *ji*.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:

“That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 7 of 2017) promulgated by the President on 23 November, 2017.”

13.03 ½ hrs

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:

“That the Bill to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration.”

The Bill was passed by this House and the Rajya Sabha. It was notified as a law and the provisions came into effect on the 1st of December, 2016. So, effectively for almost a little more than a year, this has been in operation. Since this is for the first time in India that a law of this kind was being put into operation, this was necessary. It is because, those who cannot run businesses and have literally made the businesses insolvent, an exit had to be found for them. In order to save the

employment and save the enterprises itself, an effort has to be made, in the first instance, to have a resolution under which those enterprises themselves could be saved. If a resolution is not possible, it is only then that in extreme cases one goes to the extent of dissolution.

The functioning has revealed that certain improvements etc. and changes were necessary. If we look at the language of the Bill itself, I think there was some clarity which was required with regard to the definition of the word 'resolution applicant' as to who can apply for a resolution itself. And, that clarification has been brought in clause 3 of the amended Bill which came in the form of an Ordinance itself. Clause 4 itself deals with the eligibility criteria that can be fixed. The core and the sole of this new Ordinance is really clause 5 which is Section 29A of the original Bill.

I may just explain that once a company goes into the resolution process, then applications would be invited with regard to the potential resolution proposals as far as the company is concerned or the enterprise is concerned. Now a number of ineligibility clauses were not there in the original Act, and, therefore, 29A introduces those who are not eligible to apply. For instance, there is a clause with regard to an undischarged insolvent who is not eligible to apply; a person who has been disqualified under the Companies Act to act as a Director cannot apply; and a person who is prohibited under the SEBI Act cannot apply. So these are statutory disqualifications. And, there is also a disqualification in clause (c) with regard to those who are corporate debtors and who, as on the date of the applicant making a bid, do not operationalise the account by paying the interest itself. That is, you cannot say that I have an NPA. I am not making the account operational. The accounts will continue to be NPAs and yet I am going to apply for this. Effectively, this clause will mean that those, who are in management and on account of whom this insolvent or the non-performing asset has arisen, will now try and say, I do not discharge any of the outstanding debts in terms of making the accounts operational, and yet I would like to

apply and get the same enterprise back at a discounted value, for this is not the object of this particular Act itself. So clause 5 has been brought in with that purpose in mind.

And, clause 6, which is the other important clause, brings in that the Committee of Creditors, which by 75 per cent majority has to approve a resolution process, will see in terms of clause 6 the feasibility and the viability of the proposal which has been made for the resolution itself. It is not bound to accept any or every proposal that comes up before itself. It must see that it must be a proposal which itself is feasible and viable, which inspires confidence and it is only then that the Committee of Creditors will approve that.

Now these are improvements. Since I said that this is for the first time India has entered into this jurisprudence, it is a learning experience for us also. One year after operationalising it, all the concerned stakeholders have been consulted and these amendments have been brought in. The reason why the Ordinance was brought in because a large number of cases are already pending resolution mechanism itself, and, therefore, if we had not immediately brought in, then even the ineligible persons, who are sought to be made ineligible under this, would have started applying for the resolutions itself. Therefore, in order to give it an immediate effect, an Ordinance to this effect was necessary and that is the reason why the Ordinance was brought in.

With these few words, I commend this Bill to the hon. House for acceptance.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, several times in this House I have made the point on the Constitutional position of article 123 regarding the promulgation of Ordinance. I am not going to repeat all those issues because since this Ordinance is exclusively or it is an independent legislation brought by the Executive. This can be issued only on extraordinary circumstances or compelling circumstances under which article 123 can be invoked.

Sir, kindly see, in this case whether article 123 is a fit case for promulgation of this Ordinance because I do accept the argument of the hon. Finance Minister that several times we are forced or the circumstances may compel us to promulgating an Ordinance. I do accept that. Even the GST compensation to the States Amendment Ordinance was also promulgated like this.

Yes, I do fully agree that it was right time to have an Ordinance so as to protect the interest of the country as a whole. That is why we have all supported the GST (Compensation to States) Amendment Bill at that time. Unfortunately, I could not speak on that subject because of the turmoil in the House.

Sir, let us analyse whether this Ordinance has come within the purview of Article 123. This Ordinance has been promulgated on 23rd of November, 2017. As every one of us knows that normally the Winter Session of Parliament is summoned in the third week of November. Unfortunately, this time due to the Gujarat elections, the House was postponed to be summoned on 15th December, 2017. It means that from 23rd of November to 15th December only three weeks remaining. Why did the Government not wait for three weeks so as to bring a fresh Bill in the House instead of promulgating an Ordinance? That is the main objection, which I would like to make regarding the promulgation of the Ordinance.

Sir, let us also look at as to what were the exigencies in promulgating this Ordinance. The Ordinance seeks to amend the Insolvency and Bankruptcy Code as the hon. Finance Minister has just now narrated it clause by clause. The first amendment is -

- (a) to facilitate the phased implementation of the Code to corporate persons, individuals and partners which fall under Section 2 of the Code. So, the definition clause in Section 2 is proposed to be amended.
- (b) to provide clarity so as to the persons who can submit a resolution plan in response to an invitation made by the resolution professionals.
- (c) enable the resolution professionals to specify the eligibility conditions of prospective resolution professionals while inviting resolution plans from the applicant.
- (d) provide for certain persons ineligible for being a resolution applicants, as rightly pointed out by the hon. Minister, in discharging insolvency resolution, a person who has already been disqualified as a company's director or a board member from the company and he provides that the committee of creditors shall approve the resolution plan by vote of not less than 75 per cent of the voting share of the financial creditors. The proposed amendment is after verifying or convincing with the viability and feasibility of this proposal and that too as per the direction of the board. This is the amendment which is being proposed.
- (e) disallow the sale of the property to a person who is ineligible to be a resolution applicant in case of liquidation; and finally,
- (f) providing the penal provisions.

I would like to know from the hon. Minister as to what the urgency was in bringing these seven amendments that are to be sought in the Bill. We could have waited for three weeks and would come to the House with a fresh Bill and avoid such promulgation of an Ordinance. So, my point is that promulgation of this Ordinance is *ultra vires* to Article 123 and hence this has to be disapproved. There was no urgency, exigency or contingency or compelling extraordinary circumstance so as to attract Article 123 of the Constitution.

Sir, coming to the Bill I would like to say that when the original Bill was brought in, there were a lot of apprehensions. I do agree and appreciate that this is a new jurisprudence which have come into existence. It is well known that this Insolvency and bankruptcy Code, 2016 is the consolidation of laws relating to the reorganisation of insolvency resolution of the corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner. It was enacted as an effective legal framework for timely resolution of insolvency and bankruptcy. The ultimate purpose of the original Bill, which was enacted in the year 2016, was to provide the benefit of ease of doing business.

The National Company Law Tribunal and the Debt Recovery Tribunal are designated as the adjudicating authorities for resolution of insolvency, liquidation and bankruptcy.

The two other very important features in the original Bill are – an Insolvency and Bankruptcy Fund of India has been constituted and an Insolvency and Bankruptcy Board of India is also constituted. These are the special features of the Bill.

When the original Bill was presented in the House, there was a big campaign and a disproportionate hope was being given to the industry that this Code was going to resolve all the problems being faced by the industry and the business in India. A widespread campaign was there. My point of view is that this Bankruptcy and Insolvency Code is not only expeditious but also it results in gross abuse, massive corruption, favouritism and nepotism and it may help to generate black money also. I can give you a certain reasons for it.

The reason number one is that the minority interest dominates over the majority interest. This is the first defect or disadvantage of this Bill. Even a minor default will lead to the company being placed in the hands of insolvency experts and it will be dissolved unless 75 per cent of the creditors agree to continue the operations of the company. It may be noted that the SICA of 1985 deals with only limited type of companies, that is, industrial companies. Under SICA, the rehabilitation of a company

has to be approved by 75 per cent of the secured creditors and BIFR is the nodal agency to implement it. The BIFR must be supported by 75 per cent of the secured creditors and any statutory authority. In this way, the interest of the secured creditors and the Government revenue are protected. Even the recovery proceedings under the Securitisation Act are not affected by the BIFR proceedings. So, the banks will be protected. The most protected institutions will be the banks.

Here, in this case, 26 per cent of the creditors can move for an insolvency resolution and thereby, go for liquidation proceedings. That means 26 per cent of the unsecured creditors can hold the interest of the 74 per cent of the secured creditors. That means, winding up of a company is automatic unless 75 per cent of the creditors oppose the winding up. This means that 26 per cent creditors, who may represent two to five per cent of the capital of the company, may hold the company to ransom.

Further, the National Company Law Tribunal has no jurisdiction to look into the larger interest of the majority shareholders or the creditors, the government revenue and workmen. That will be determined by the minority creditors. The point is that the companies may suffer financial crisis for so many reasons which may be temporary and need not be permanent. There may be a downturn in the market conditions, change in the overall scenario, strikes and labour problem, non-payment or payment not being made in proper time and change in government policies and decisions.

As soon as a petition of insolvency resolution is admitted, the company is handed over to the insolvency professional and thereby generate an automatic stay on all the assets of the company. It means that if any default has happened due to the above circumstances which I have mentioned, the company will be subjected to insolvency resolution and thereby liquidation. So, this is not meant for the revival of the company but for the insolvency resolution, the final result of which will be liquidation.

Sir, an amendment has been brought to the IBC. At the time of introduction of the Bill also, we had raised an issue. Who is an insolvency professional? Clause 319 speaks about the insolvency professional, but nowhere are mentioned the qualifications of an insolvency professional. The experience of the insolvency professional, the expertise and the managerial capacity of the insolvency professional is not well established in the original Act. Instead of establishing it, there is a provision that the qualifications of the insolvency professional will be decided by the insolvency professional agency. The point which I would like to make is that now the hon. Minister is coming with a new amendment, that is, Section 29A. That is a resolution plan. He has already read it. According to Section 29A, the proposed amendment in this Bill, a person shall not be eligible to submit a resolution plan if such person or any other person acting jointly or in concert with such person.... I am not going to read the whole of it.

Sir, Section 29A deals with qualifications or the eligibility criteria for a particular person to present a resolution plan. I would like to put a humble question to the hon. Minister. If a person who has to submit a resolution plan, he has to comply with the criteria which are being enunciated in the Amendment Act. I fully agree with it and also support it, but my concern is that in the case of an insolvency professional, the qualifications and the eligibility criteria will be determined by an insolvency professional agency.

Then, what is the role of Parliament? When a person is submitting an insolvency plan before the Insolvency Authority or the Adjudicating Authority, then, the eligibility criteria and qualifications are well enunciated, well determined in the original Bill. Now it is in the amendment Bill. I too support it. It is also a good step. But in the case of Insolvency Professional, the qualification and eligibility criteria has to be made. How an Insolvency Professional, that is, a third party, can manage a company better than the existing management of the company? Insolvency Professional has no stake in the company. The result will be siphoning off of the

money and winding up of the company rather than the reviving of the company. That is why, I have said in my opening remarks that it should be for the revival proposal; it should be for the revival process of the company. Instead of reviving the company, the ultimate result will be that the third party, that is, the Insolvency Professional, whose qualification will be determined by the Insolvency Professional Agency, such agencies will be looking into the affairs of the company and the entire assets will be handed over to the Insolvency Professional and everything will be just like the Receiver being appointed by the court. We know when a Receiver or a Commissioner is appointed to take stock of the situation, what is happening in various places? We see siphoning off of the property by the Receiver. Our experience is that it is being experienced in a lot of cases.

Whether the Government has any role in determining as to who is the Insolvency Professional? That is the heart and soul of this Act, as rightly said by the hon. Minister. The Insolvency Professional has a vital role in the insolvency proceedings. Therefore, his qualification has to be determined. Hence, I suggest to the hon. Minister that instead of delegating this authority to the Insolvency Professional Agency, kindly bring an amendment, prescribe eligibility criteria of the insolvency professional in the main Act itself.

Even if there is a minor default also, operational creditors, or the financial creditors can move for insolvency. In this regard, I do accept the time limit – 180 plus 90 days – that is 270 days. There also, big companies would be protected. These big companies can very well swallow the smaller companies.

In regard to priority in realisation also, I would like to make a very important point. This is the time and opportunity when we can highlight the issue in respect of the Bill. Unsecured and secured creditors have been put on the same footing which will be a serious disadvantage to the public sector banks and secured creditors.

Sir, you may kindly see this. The priority of clearing the liability is workers, secured creditors, revenue, tax, etc. The last priority is being given to 'revenue' and

`tax' is being given the last priority. This will only assist minority, unsecured financial manipulators and will be against the economic interests of Indian business, Indian public sector banks and Indian workmen also.

Regarding workmen and staff, I would like to state here that workmen and staff will be dismissed immediately on the order of winding up of the company. There is no protection as far as workmen are concerned. This Bill gives a new message that destruction is liberalisation. There is no concept of revival of companies; if a person wants to create trouble, he can very well do it. So, the ramifications of the Bill have to be seriously considered and appropriate amendments are required in the original Act. It has become operational since the last one year. From the operational exercises, it has come to this conclusion and many amendments have been brought in. My suggestion and submission is, kindly have a relook into these provisions also; come up with new amendments so that Bill can be made more fruitful and protect the interests of the secured creditors and the public sector institutions.

With these words, I conclude my speech. Thank you very much, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motions moved:

“That this House disapproves of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 7 of 2017) promulgated by the President on 23 November, 2017.”

“That the Bill to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration.”

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, this Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 has been brought to replace the Ordinance which the Government has promulgated.

Now, the original Bill was brought in 2016 and the Government has got the experience of it after its implementation – there are various lacunae, there is no difference of opinion. This is the time when we have to look into the financial situation of the country.

This Government has been in power for the last forty-five months and after fifteen months, in the natural course, this Government has to face the people of this country. What was the promise made during the election and after the election? I do not want to repeat it because it has been expressed in this House and outside. The hon. Prime Minister, during the time of his election campaign, said that if you bring a new Government, a new face, the corruption will be removed and all the black money will be brought back. Now, when we analysed that after forty-five months, where are we?

This Government has brought some drastic measures. On 8th November, 2016, the demonetisation was brought and the hon. Prime Minister promised that, by the end of December, 2016, things will be normal. But is it normal after eight or nine months? This is now the end of 2017. This Government also brought the GST which was brought in such a hurry. We had warned the Government that it had to be discussed but it was brought in such a hurry that, now and then, we are bringing the amendments. My State and especially, our Finance Minister have welcomed the GST with an understanding that the State of Kerala will be benefited. But, now, our own Chief Minister and the Finance Minister of Kerala say that Kerala is on the receiving end. Our financial situation is so bad. We have not got any benefit by implementing the GST.

Now, Sir, look at the NPA. In 2015-16, when the NPAs of the banks were examined, at that time, in the public sector banks, the NPAs were to the tune of Rs. 5 lakh crore. Now, I understand that it is going at an alarming rate. The PSU banks are

writing off and the NPAs have gone up to Rs. 55,356 crore. In the first two quarters of the fiscal year 2017-18, the NPAs are about 54 per cent higher than it was last year. Yesterday, I was told that NPAs are going to be about Rs. 20 lakh crore. I do not know whether this is correct or not. Anyhow, it is more than Rs. 20 lakh crore. So, what is happening? How is the financial discipline brought in? I welcome this Insolvency and Bankruptcy Code, there is no difference of opinion. It is to bring the discipline but, is the discipline brought in?

You should understand that when this Government came to power, it was a big *mela* in the courtyards of Rashtrapati Bhawan, the money was spent, and it was said that a new Government is coming with a new hope, but where are we? The farmers are on agitation. In Tamil Nadu, the farmers are not getting the price they need to continue producing, for example, tomato; tomatoes are being thrown on the street. In Kerala, the rubber farmers are not getting the price they deserve. So, the whole farming community is on agitation. Look at the consumers, the price of all consumer items, starting from rice to edible oil, is spiralling. What is the Government going to do? Through what way are they going to control this price rise?

Now, the Food Security has been implemented. I compliment the Government on this. Almost, all the State Governments have implemented the Food Security Act. That has actually benefited the Government of India. The subsidy component on food items has come down. But where are we going? What is the policy of the Government to bring down the prices? The people of this country, the small farmers, and the traders are suffering.

My colleague Suresh has brought out the issue of bank loans given to students in Kerala. It was the SBT which gave adequate funding to the students of Kerala for higher studies. Now that has been merged with the SBI. After this merger, the SBI has to protect all the conditions in which bank loans were given to the students. But we find that SBI norms are more stringent and the students are on the streets.

Recently in Kerala, Tamil Nadu and Lakshadwip we had the Ockhi thunderstorm. After that thunderstorm, the hon. Prime Minister came to Trivandrum and Tamil Nadu. The Central Team was at Kochi and Trivandrum. They have come back. But what is the assistance given? It is a very meagre amount that has been announced. It is about Rs.300 crore. However, the loss is of more than Rs.7000 crore. In my Parliamentary Constituency Kochi, which is a coastal Constituency, thousands of houses were washed away from Chellanam which is one of the fishermen village in my parliamentary constituency to the other end of Munambar. About 700 fishermen are missing. Fishing boats and fishing nets have been damaged. What assistance is the Central Government giving to States like Tamil Nadu, Kerala, Lakshadwip, etc? It is a meagre amount as per the norms of natural calamity assistance. It will not be enough. That is why we told the Government that this should be declared as a national calamity, but the Government is keeping mum.

Similarly, for years the coastal people are asking for construction of protective walls at the seashore and also the wave breakers. It needs money. In 1984 when I came to this House, the assistance given for the protection of seawalls was 50:50 – 50 per cent by the Government of India and 50 per cent by the State Government. Now it is zero. No assistance is given. And States like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh find it very difficult. So, my suggestion to the Government is that it should help the poor people, the fishermen, the traders, and the students.

Looking at the NPAs, where have all the NPAs gone? NPAs have gone to major corporate houses. More than 80 per cent of NPAs are NPAs created by corporate houses. About 12 corporate houses have got the majority of NPAs. The clause in the Bill initiated by the hon. Minister which provides clarity as to the person who can submit their resolution plan in response to an invitation made by the Resolution Professional, is a good clause. That is because we find that when the NPAs are being examined, in many cases, we need clarity. For example, how can there be NPAs in jewellery manufacturing units? We can understand NPAs in national

highways, in coal and mining, in civil aviation because it is a policy matter of the Government. Why in jewellery industry? Is jewellery industry a policy matter of the Government? I think the Government has to be strict, the Government has to be disciplined. At the same time, false promises will not help people move ahead.

With these words I would request the Government to take positive steps and not negative steps.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेन्डमेंट बिल 2017 जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया ।

अभी यहाँ पर श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी नहीं है। अगर वह रहते तो मुझे बहुत खुशी होती। वह बार-बार बोलते हैं कि ऑर्डिनेन्स की क्या जरूरत थी। इस लोक सभा के सदस्यों में दो घंटे के टाइम का बराबर वितरण होता है। अगर यह कायदे से देखा जाए तो एक सांसद वाली पार्टी को 22 सेकेंड्स मिलने चाहिए लेकिन स्टेटुटरी रिजोल्यूशन के जरिए हर बार प्रेमचन्द्रन जी जितना चाहते हैं उतना बोलते हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: That is a different thing. It is not about a single-member party or a small party. He has moved the Resolution; it is not for the sake of his party.

Dr. SANJAY JAISWAL : Sir, I am coming to the topic. My point is that this thing does not happen in the Insolvency and Bankruptcy Code. That is why this Ordinance has been brought. He has opposed the Ordinance. But the reason for the Ordinance was that आप किसी चीज या सरकार के किसी नियम का फायदा उठाकर उस पर हावी न हो जाएं, इस परपज को रोकने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया है, इस आर्डिनेन्स को लाया गया है। प्रेमचन्द्रन जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर उन्होंने आर्डिनेंस लाने की जरूरत के बारे में पढ़ा होता तो बहुत अच्छा होता। हम लोगों ने देखा कि जब आईबीसी का कोड आया, मैं उसका पार्ट था, हम लोगों ने समझा कि हम बहुत ही अच्छा बिल ला रहे हैं लेकिन सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं माननीय मोदी जी और अरुण जेटली जी का आभारी हूँ कि वह कभी भी सुधारों से नहीं हिचकते। उसी का नतीजा है हमने जीएसटी में इतने सारे सुधार देखें। उसी तरह से आज सुधारों के बारे में बात हो रही है। यूएस में इस तरह के बिल आने के बाद 300 से ज्यादा सुधार हुए हैं। यह सुधार निरंतर प्रक्रिया है। जब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी कंपनियां बैंक डोर से आने का प्रयास कर रही हैं, जिन्होंने गलत किया था वही फिर से कंपनी को लेना चाहते हैं तो इसी को रोकने के लिए आर्डिनेंस लाया गया। इससे ब्लैक मनी और डिफॉल्टर्स को रोकने में हेल्प मिलेगी।

मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि जब कानून को कड़ा किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है जिन्होंने कंपनी को बैठाया, उन्होंने यह भी कहा कि इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं जो डॉयरेक्टर है। जिन डॉयरेक्टरों ने कंपनी का पूरा भट्ठा बैठा दिया, क्या उनको ही दुबारा मौका मिलना चाहिए। एक तरफ आपने कंपनी को डुबा दिया तभी आप रिजोल्यूशन में गए और रिजॉल्यूशन में जाने के बाद फिर वही

अगर रहेंगे तो फिर रिजॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो एक बार कंपनी को खत्म कर चुके हैं उसके बदले किसी को मौका देना यह सरकार की जरूरत है।

माननीय थॉमस जी बहुत सीनियर मंत्री रहे हैं। वर्ष 2005 में बैंक लोन 4.27 लाख करोड़ रुपये थे, ये उसी सरकार में सम्मानित मंत्री थे उसमें लोन्स बढ़ाकर 26 लाख करोड़ रुपये हो गया, जितने भी लोन्स हैं, जिसके लिए हम लोग कानून ला रहे हैं, यह एनडीए सरकार का उधार नहीं है। यह सारा उनके समय का उधार है। उनके समय को, उधार को ठीक करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी और अरुण जेटली जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने नियम बनाकर जो लोग पीछे से फिर से कंपनी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, उसको करने के लिए किया।

थॉमस जी, यही काम अपनी सरकार में किया होता तो आज यह नौबत ही न आती, आज एनपीए कितना है? अभी हम लोग आठ लाख करोड़ रुपये जानते हैं लेकिन उनका डाटा अलग है। यह सब आपकी देन है। हम लोगों का बिल्कुल साफ इरादा है। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट पर दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ हम ईज ऑफ बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि सरकार की पॉलिसी के चलते ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में हम 35वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। जो भी अच्छा काम करना चाहे वह आए और आकर काम करे। जो लोग जानबूझकर विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो पैसे को साइफनिंग करके दूसरे कामों में उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ हम कड़े कानून ला रहे हैं और यही सरकार का ध्येय है। हम लोगों ने देखा है कि जो नियम बना है, वह क्या है। जो उधार नहीं चुका सकते हैं उनको हम लोग दुबारा इन्सॉल्वेन्सी रिज्यूलेशन में नहीं जाने देंगे, जिनका एकाउंट एनपीए हो गया उनको नहीं जाने देंगे। जो डॉयरेक्टर के गारंटर बने थे वह दुबारा गारंटर खरीद लें इसलिए उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा डिफॉल्टर से कोई भी संबंध है उनको रोका जा रहा है। जो कानून बन रहा है वह कंपनी को रोकने के लिए दुबारा उन्ही गलत तत्वों के हाथ में हेयर कट करके न आ जाएं। इसके दो उदाहरण हम सभी ने देखें कि 950 करोड़ रुपये की कंपनी 40-45 करोड़ रुपये की हो गई और वही लोग फिर कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा डुबा दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने इमरजेंसी को समझा और इसके चलते अध्यादेश लाकर देश में गलत तत्वों के हाथ में कंपनियां न जाएं इसको रोकने के लिए कोशिश की। इस बिल का बहुत बड़ा पार्ट है जो अच्छे से एक्सपलेन नहीं था, किसी भी कंपनी में बहुत से बैंक्स इन्वाल्व होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, आल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, अगर उनको नई कंपनियों के साथ नहीं आने देंगे तो कोई कंपनी टेकओवर कर ही नहीं पाएगी और इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन का प्रॉसेस हो ही नहीं पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि इन सब चीजों को अलग रखा है और जो कानून बनाया है, बहुत ही अच्छा है।

इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि नए उधार लेने वालों के मन में डर पैदा हो गया है। अगर हम उधार लेंगे, फैंक्ट्री ठीक से नहीं चलाएंगे और जितना लोन चाहिए अगर उससे ज्यादा ले लेंगे तो कल को बर्बाद हो जाएंगे। यह एनडीए सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय अरुण जेटली जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब प्रमोटर्स 100 प्रतिशत सोचते हैं कि कम से कम पैसा लें क्योंकि अंत में इंटरस्ट उनको चुकाना पड़ेगा इसलिए वे किसी तरह का फ्रॉडिज्म न करें, मनी का डाइवर्जन न करें। फ्रॉड और डाइवर्ट करने की अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। इन नियमों के कारण नए इन्वेस्टर्स आएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारा कैपिटल फ्लो बढ़ेगा, नहीं तो जो कंपनियां पहले थीं, वही फिर आ जाती थीं। इसमें नई कंपनियों को मौका मिल रहा है, अगर पिछले डायरेक्टर फेल किए हैं, तभी तो वह कंपनी इस रिजॉल्युशन में गई है। उस रिजॉल्युशन में आएँ, नए बिल का यही मोटिव है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन सब कारणों से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नए लोग आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो लोग वाकई कंपनी चलाना चाहते हैं, वही आएंगे और जो प्रोफेशनल्स आएंगे, वह सोच-समझकर आएंगे कि मुझे अच्छे से चलाना होगा, नहीं तो पर्सनल एसेट्स भी दिक्कत में पड़ जाएगी।

इसमें बहुत से बैण्ड्स को डिस्क्रीशन से लिमिट किया गया है, क्योंकि उनका एनपीए 12 परसेंट हो चुका है, 10 परसेंट हो चुका है। ये बैण्ड्स दोबारा किसी तरह से पूरे प्रॉसेस में घालमेल न करे, इसलिए यह बिल लाया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि जो अच्छी तरह से और ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, उन्हें हर तरह का एनकरेजमेंट दें ताकि नई इंडस्ट्री आएँ और जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए यह बिल इतना बड़ा डेटरेंट है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। गरीबों और शेरधारकों का पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि जो शेयर्स फ्लोट कर देते थे, डूब जाते थे और डायरेक्टर्स ऑफ प्रमोटर्स लेकर अलग हो जाते थे। अमीर ईमानदारी से काम करें, हम पैसा बढ़ाएंगे और वह पैसा गरीबों के कल्याण के लिए लगाएंगे, यही इस सरकार का उद्देश्य है। भारत की यह पहली सरकार है जिसने सारी योजनाओं को केवल अमीर और गरीब के नजरिए से देखा है जिनमें 60 से ज्यादा योजनाएं केवल गरीबों की भलाई के लिए हैं, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक एम्प्लायमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक यह पैसा गरीबों को देना संभव नहीं हो सकेगा।

मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर इन्टरवीन किया और इन्टरवीन करके संशोधन बिल लाए। मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे भारत इंडस्ट्री के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करेगा।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Thank you, hon. Deputy Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (amendment) Bill, 2017.

On the 23rd November, 2017, the Government promulgated an Ordinance amending the Insolvency and Bankruptcy Code or IBC 2016. The Bill which the Government has introduced today essentially replaces the Ordinance issued last month.

I am not sure whether the Bill has brought in some more changes to the Code apart from the changes made by the Ordinance because the Bill has been introduced at a very short notice in the Parliament for consideration and passage.

The provisions relating to the corporate insolvency resolution process of the Code were made effective from 1st December, 2016. Before commenting upon specific provisions of the Bill I would like to know from the hon. Minister the need for amending the IBC within one year of its operationalisation. Further, I would like to know from the Minister whether the Bill amends the Code prospectively or retrospectively and if it is the latter case, which in principle is bad law making, the reasons for amending the Code retrospectively.

Clause 5 of the Bill prohibits certain persons from submitting a resolution plan to resolve a defaulting company. These persons *inter alia* include wilful defaulters, disqualified directors, promoters or management of the defaulting company, persons who have given a guarantee on a liability of a defaulting company, persons who have indulged in preferential or under-valued transactions, NPA accounts classified as such for more than one year, persons connected to any aforesaid persons. I would like to mention here that the list of people barred from the resolution process is too broad and encompassing. Having such a broad category of persons disqualified from the resolution process would hamper the competitive bidding process while attempting to resolve the company.

When the IBC was passed last year by the Parliament, the objective was to provide an enabling structured legal framework for the resolution of insolvent firms. However, the proposed amendment may push more insolvent firms to liquidation as it effectively reduces the number of applicants who may try to resolve the insolvent firm and thus the chances to revive the firm to that extent is diminished. I would like to know whether during the last six months the Government has noticed any instances where the Code has been misused by the existing management of twelve large NPA accounts, which were referred to the Bankruptcy Code by the RBI this year, to short circuit the insolvency resolution processes prescribed under the IBC. If this is the case, then I am of the opinion that this Bill is more of a knee jerk reaction from the Government to stop the existing management of these twelve large defaulting companies to get back their assets at a steep discount. I would like to mention that in the Synergies Dooray debt recast, which was the first resolution case approved by the National Company Law Tribunal, the financial institutions had to take a hair cut of more than 80 per cent in the final resolution of the company.

Now, the larger question here is that while the proposed amendment will hurt and should hurt some persons or entities who are gaming the corporate insolvency process, it also puts the resolution process of small companies in jeopardy as it effectively reduces the universe of prospective applicants who can bid for the company.

There may be numerous suitors for large insolvent firms which have been referred to bankruptcy courts but what would happen to small textile units say in Tiruppur, Tamil Nadu if in future they are referred to insolvency resolution. I think there would be not many takers for such small and medium enterprises who will be the most hurt by such reduction in the number of applicants to the resolution process.

Some of the exclusions in clause 5 are very hard to comprehend. For example, a person who is disqualified to act as a Director under the Companies Act is also excluded from submitting a Resolution Plan. It seems to me very ironical that if a

person is disqualified, as a Director under the Companies Act, for say, non-filing of returns of Company-A which may be due to lack of oversight, he stands to be disqualified from the resolution process of an entirely unconnected Company-B. Another inexplicable disqualification is with respect to persons who have given a guarantee on a liability of a defaulting company. If a resolution process is triggered in a company on account of some default, what sense does it make to debar the guarantor of such an insolvent company who has no connection with the default which has triggered the insolvency process? Keeping out such a person from the resolution process under the IBC makes no sense, as such a person is in a better position to give a fair valuation of the company's assets and viable turn-around plan on account of his knowledge of the relevant industry in general and the insolvent company's interest in particular.

The Bill also debars every person connected to the list of disqualified person given in clause 5 of the Bill from submitting a resolution plan. By virtue of this clause, say, if a company goes down under, every promoter, related to every party and associate of that company can never participate in any resolution proposed for any other insolvent company under the IBC. This is a very sweeping exclusion as it cuts down a large number of prospective applicants who may submit good resolution plans to revive an insolvent company.

With these reservations, I support this Bill.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017 which is there to replace the Ordinance which was promulgated on 23rd November, 2017.

This Bill seeks to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Now this Insolvency and Bankruptcy Code was brought in this House in 2015, then referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament and then the Report was submitted and finally the Bill was passed. It had the support of all parties since it came through a Joint Committee of Parliament. It beats me as to why within one year it has become necessary to bring an amendment to this Act.

Sir, what I want to say is that this Ordinance is a desperate step by a desperate Government. The problem of the Government is serious. According to the hon. Minister the gross Non-Performing Assets of scheduled commercial banks were Rs. 8,50, 178 crore as on 30.9.2017. Now, under the Insolvency and Bankruptcy Code, the Reserve Bank of India has sent 12 companies which had fund-based outstanding amount greater than Rs. 5 crore, with 60 per cent or more classified as non-performing, to initiate insolvency process under the IBC. Already some action has been taken and the companies, who are big defaulters which include companies like Essar Steel, Bhusan Steel, LANCO, Alok Industries, ABG Shipyard and Jaypee Infratech. Already actions have been initiated under IBC. Twelve companies have been referred to the NCLT under this. Now, what is this Insolvency and Bankruptcy Code? When a company is going to be insolvent, then an insolvency professional will be appointed. The insolvency professional will ask for applications so that the resolution process can be initiated. The new National Company Law Tribunal has been formulated under this.

Now, what does the amendment brought by Shri Jaitley say? It has certain restrictions. Let us look at the ineligibility to be a resolution applicant. A person will be ineligible to submit a plan if he is an undischarged insolvent, he is a wilful defaulter identified by the RBI, his account has been identified as NPA for more than

a year, he has been convicted of an offence, he has been disqualified as a Director under the Companies Act, or he has been prohibited from trading in securities. These are the people who will be ineligible to apply for resolution of a company.

This resolution plan says that it has to be approved by 75 per cent of the majority of the Creditors Committee. It is subject to any condition specified by the Insolvency and Bankruptcy Board. The Ordinance prohibits the Committee of Creditors from approving a resolution plan submitted before the promulgation of this Ordinance, where the plan has been submitted by a person ineligible to be a resolution applicant. This means that you are limiting the number of resolution applicants by putting certain conditions.

Now, there is also a penalty which says that any person contravening provisions of the Code will be punishable with a fine ranging between one lakh rupees and two crore rupees.

To me, this Bill, appears to be an overkill. IBC was all right. Now they have broadened the people ineligible. I will tell you what will happen because of this. The category of people barred is too broad and risks the very objectives of the original code. It is germane to remember here that the IBC is not intended to serve as a mere instrument of liquidation. That is not to close down factories, it is to revive factories. It is to provide an enabling legal framework for the reorganisation and insolvency resolution of corporate persons in a time bound manner for maximisation of value of assets of such persons.

The amendment risks of becoming an instrument of blunt force that hurts more than it helps. It has been pointed out that not all bad loans are a result of *mala fide* intent on the borrower's part. Specifically, cases where companies have ended up struggling to service debt as a result of unpredictable external factors that adversely impacted their operations and financials barring the promoters of such firms from a chance to restructure and turnaround the business merely because the loans have turned sour are unfair to both the entrepreneur and the enterprise itself.

For instance, steel companies were among the worst hit in the wake of global downturn in commodity prices and depressed demand. Some of the steelmakers were considering participating in bids to restructure the debt and businesses hoping to run them again. By widening the scope, it considers ineligible to participate in the resolution process and worse, making the amendments retrospective to cover even those cases already referred to the NCLT, the Centre may have ended up by throwing the baby out with the bathwater,.

The Government has done too much. It has barred too many people and it will hamper the resolution process under IBC.

14.00 hrs

The current Ordinance is a dangerous shortcut. It relieves the banks from judging the promoters and guides them towards a faster resolution – even if financially less attractive – in many cases.

In terms of policy objectives, the Government of India has moved towards minimising a wilful defaulter from entering the fray. But this move would have been justified if the virtue of keeping the defaulter at bay was far higher than the genuine ‘sin’ of driving away a defaulting but genuine promoter.

This Ordinance, as I said, will throw out the baby with the bathwater. You are actually not improving the situation in a case where the economy is already in doldrums. This morning the Minister said that the economy is in a serious condition. The rate of growth had fallen to 5.7 per cent.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, you are from a rural area. The agricultural growth in the last two quarters has been 2.3 per cent and 1.7 per cent respectively. The farm loans have totalled to Rs. 8.5 lakh crore last year and Rs. 9.5 lakh crore this year. So, in spite of that the agriculture has not grown. So, it is in a difficult situation. I think the Minister needs to look at it afresh. He needs to have a fresh look at the Bill instead of making amendments to the original Bill so that they do not spoil the chances of recovery of these companies which are on the verge of closure.

The Government has brought another Bill called the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, which is before the Joint Committee. That is most dangerous because it has got a 'bail-in' provision. That 'bail-in' provision will jeopardise the deposits of small people. People are already protesting against the FRDI Bill. The problem with lawyers as Minister is that they think that the solution to every problem is enacting laws. I would request them to desist from enacting these unnecessary laws. Rather they should implement the laws that have been enacted already to solve this problem.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 was enacted to consolidate insolvency related laws and provide a time-bound process to resolve insolvency among companies and individuals.

‘Insolvency’ refers to a situation where a person is unable to pay or repay his debt. The Code is in its early stages of implementation, with the first case resolved in August, 2017. Institutions under the Code such as information utilities to handle financial information related to debtors are being set up and insolvency professionals are being trained.

Over the last two years, 300 cases have been registered under the Code, some of which have been challenged in courts. In November, 2017 a Committee was set up to review the Code – I think the hon. Minister is aware of it – to identify issues in its implementation and suggest changes. The Committee has been given two months’ time to submit its Report. The Ordinance was promulgated on 23rd November, 2017 to prohibit, specifically certain persons from submitting resolution plans to resolve defaulting companies. The Government stated that the Ordinance seeks to prevent these persons from misusing the Code. When we go through the Ordinance and the Bill that is before us for consideration, we find that there are marked changes. Perhaps it has dawned upon the Government later that the Ordinance is not going to give any relief to the promoters. That is the real reason though it is being said that they are restricting certain promoters to involve themselves in this process. I will come to those aspects a little later.

The Bill to replace the Ordinance amending the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 offers promoters of small and medium enterprises undergoing insolvency proceedings a month’s window to repay overdue loans and bid for their companies. This will be applicable where those promoters are sole bidders. This is a welcome step.

This Bill seeks to give some relief to promoters in general, by tweaking the definition of one year of Non-Performing Assets on the basis of which they are disqualified to bid for their companies. This also excludes Asset Reconstruction Companies, alternative investment funds and banks from the definition of 'connected persons', protecting these entities from becoming ineligible for bidding. The Bill also tweaks the language of the Ordinance to bar promoters or those in the management or control of companies with over a year of NPAs from bidding. It broadens the definition of those barred from bidding. As the previous speaker said, it restricts, but that is just the other way. Perhaps, he was referring to the Ordinance. But the Bill actually broadens the definition of those who can participate in the bidding process.

This proposes a 30-day grace period for promoters who had bid for companies undergoing insolvency proceedings before the Ordinance was promulgated on 23rd November, barring them from the bidding process, promoters of only SMEs had bid for their companies undergoing insolvency proceedings before the Ordinance took effect. With the Ordinance it was expected that 70 per cent of SMEs would be pushed into liquidation. While providing 30 days more, the Bill seeks to retain the period of insolvency up to 180 days, extendable by another 90 days.

The Bill proposes to relax the norm for disqualifying a promoter from bidding for a company undergoing insolvency resolution. The Ordinance barred promoters whose companies have had their loans declared NPAs by banks for over a year from bidding for these. The year is counted from declaration of a loan as an NPA till the invitation of bids. This Bill proposes to calculate this period of one year till an application of this insolvency is accepted by the National Company Law Tribunal. So, some of those promoters who were not able to bid for companies since the one year period was over could qualify as that period might not be complete when NCLT admitted the case. So, this is a welcome step which has been incorporated in the Bill.

Further, I would like to say that this Amendment Bill allows defaulting promoters to be a part of the debt resolution process of the companies. It has paved the

way for Asset Reconstruction Companies, alternative investment funds such as private equity funds and banks to participate in the bidding process. Many of these entities acquire distressed assets and the classification of these assets as Non-Performing Assets would have disqualified them from the bidding process.

Similarly, banks opting to convert their debt into equity under the RBI's scheme for Sustainable Restructuring of Stressed Assets would have inadvertently become promoters of these insolvent companies and thereby being barred from the resolution process. Through this Bill, it has been corrected. The Amendment aims to correct these anomalies.

This Bill seeks to strike a fine balance in the trade-off between punishing wilful defaulters and ensuring a more effective insolvency process.

The Bill also seeks to bring any individual who has in control of the NPA under the ambit of the Insolvency Code. It lays out that the individual insolvency law will be implemented in phases. It also allows guarantors of insolvent firms to bid for other firms under the insolvency process. This Bill has addressed concerns about some of the stringent provisions in the Ordinance that investors felt, could have made the resolution process a non-starter.

I believe, the dilution of the clauses may still not be enough for an effective resolution process. Perhaps after six month, hopefully, in the next Monsoon Session again, you would be coming back to this House with certain relevant amendments because it is in the making.

Those *bona fide* promoters, who were expecting to be ring-fenced and brand all acts of default as malfeasance have been crestfallen. This needs to be addressed.

What is the Insolvency Code all about? It was envisaged as a resolution tool, but now, it has become a loan recovery tool. The law does not recognise promoters, who may be facing genuine operational or financial difficulties because of external factors such as policy decision. The IBC was enacted in 2016 to find a time bound

resolution for ailing and sick firms either through closure or revival while protecting the interests of creditors.

A successful completion of the resolution process was expected to aid in reducing rising loans in the banking system. By September end this year, NPAs in the Indian Banking System would have made up 9.85 per cent of total advances according to CARE Rating. The position of promoters has largely remained unchanged except for certain clarifications offered by the Amendment Bill. This needs to be explained that after two years of implementation of the Code, why NPAs have not come down. This Bill seeks to make some provisions of the Ordinance effective retrospectively. It proposes that the Committee of Creditors must invite new bids if the promoters, who had bid for companies undergoing insolvency resolution, are disqualified by the Ordinance.

The situation, today, Sir is that the companies apart from 12 big ones that are undergoing insolvency resolution, have a cumulative debt of Rs. 150,000 crore. The big companies have cumulative debt of around Rs. 250,000 crore. A little over 300 companies are undergoing insolvency proceedings.

Sir, before I conclude, I should also mention that the Ordinance prohibits a person from submitting a resolution plan if he has given a guarantee on a liability of the defaulting company undergoing resolution or liquidation; and this is a problem, which needs to be addressed. For example, 'A' lends Rs. 1000 to 'B' This amount is guaranteed by 'C' implying that if 'B' is unable to repay this amount, then 'C' will repay it on 'B's' behalf. There may be a case for prohibiting 'C' from submitting a resolution plan if he does not honour the guarantee. However there may be instances where 'C' honours the guarantee but the resolution process is triggered by default on other debt of 'B'.

The question is whether a guarantor, who honours his guarantee should be barred from submitting a resolution plan for the company. That question remains unanswered. Thank you, Sir.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir, for giving this opportunity to speak on the Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Bill, 2017.

Sir, I would like to congratulate the hon. Finance Minister for the very important and far-reaching legislation of the Insolvency and Bankruptcy Code, the original Code that was passed.

This Act was one of the important factors for India improving its ranking in Ease of Doing Business from 142 to the Top 100; and I look forward to more reforms coming in so that India can move up to Top 50 and then thereafter, to move up to Top 10 in the world. .

Along with GST, it was also an important factor in India's credit rating improvement as well. I am very happy to see that the Government is moving quickly to act after finding loopholes and weaknesses in such important legislation. This Bill ensures weeding out of those unscrupulous individuals who are undischarged insolvents, wilful defaulters, whose accounts have been id'd as NPA for more than a year and few others who have not repaid.

This Bill aims to change the older order under which men who presided over the debacle of a company by not paying bankers do not get a second chance. It means, the amendment looking for buyers who could turn the business around and not to give it to same men who brought it down in the first place. So, I welcome this.

Sir, we all know that before the Ordinance, most of the bankers would have been willing to enter into deals and accept haircut on loans as long as such promoters were not perceived corrupt or categorized as wilful defaulters. It means, if there is no forensic audit which shows that they had diverted funds to other group of companies or personal accounts, they are allowed to be a contender to get his company back. But here, I wish to make a point. My point is relating to insertion of proposed sub-section (c) of Section 29A. Here, you are saying that if one's account is classified as NPA and a period of one year or more has been lapsed from the date of such classification and

who has failed to make such payment of all overdue amounts with interest, he is not eligible to submit his resolution plan. I feel that the period of one year is too short a period. Many industry segments run in business cycles and in these business cycles if you have a downturn and at the low point of that business cycle, it may take more than a year – generally, it takes about two to three years – for this business cycle to turn around. So, I request the hon. Minister to consider revising it for, at least, three-year period, so that genuine persons can get an opportunity. There are good apples and bad apples and, I think, this will ensure that the good apples are given a chance.

Sir, with respect to barring certain persons from the liquidation process as opposed to the Resolution process, I personally feel that the banking sector may be the loser since the Bill is reducing the number of bidders and thus minimizing the scope for finding the right price for stressed assets. A liquidated company ceases to exist, so the background of persons bidding for its assets may be irrelevant in my opinion. I am saying this because recently SEBI has classified three lakh entities as shell companies and the promoters, directors and relatives of these companies will not be allowed to bid for stressed assets. And this move hurts small and mid-size SMEs.

Thirdly, I wish to give an example since I am also an entrepreneur. To consider a case where an entrepreneur ropes in other investors and funds most of the fixed assets with equity. He then takes bank loans only as a means of working capital. If there is no charge or mortgage created on fixed assets in favour of the banks, and if the company defaults due to some unpredictable external factors, how can such undertaking be allowed to be taken over by a person proposing insolvency resolution without working out the enterprise value and compensating shareholders?

With these few words, I thank you once again for giving me this opportunity.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Thank you, Sir. I rise to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017.

This Bill has been brought to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. As mentioned by the hon. Minister, the Ordinance was issued on 23rd November, 2017. The reasons mentioned were that prior to the Ordinance of 2017, there was no bar on who could submit a resolution plan or participate in the acquisition of assets of a company at the stage of liquidation. This meant that promoters who are willful defaulters could bid for the stressed assets and regain control over the company at the expense of the creditors. To prevent this malpractice, the Government has brought the Ordinance which is a welcome step. Now, it has been replaced by this Bill. The Bill provides as to who can submit a resolution plan in response to an invitation made by a resolution professional. It also empowers resolution professional with approval of committee of creditors to decide who can submit a resolution plan.

The committee of creditors can approve a resolution plan by a vote of minimum 75 per cent of the voting share of financial creditors. This also provides for punishment for contravention of provisions where no punishment is prescribed.

As per clause 5 of the Bill, a person shall not be eligible to submit a resolution plan, if such person, or any other person acting jointly or in concert with such person is: (a) an undischarged insolvent, (b) a wilful defaulter according to the RBI guidelines, (c) an account holder or promoter of a non-performing company for over one year, (d) convicted for any offence punishable with imprisonment for two years or more, (e) disqualified to act as a director under the Companies Act, 2013 (f) prohibited by SEBI from trading in securities, (g) a promoter or in the management or control of a company in which fraud or extortion or undervalued transactions have taken place, (h) having a connected person not eligible under any of the above-mentioned items. This is mentioned in Clause 5 of the Bill.

There are some issues to be addressed. There are some apprehensions. Some experts say that by barring certain entities from bidding, the number of bids received will be even lower, thus depressing the prices of assets even further. This will lead to greater losses. This is one apprehension.

Others say, this move will go a long way in preventing promoters from using shell companies to regain control of their defaulting companies. But the question is this. If the criteria to label as wilful defaulter or fraudulent promoter remain the same, how effective will the Bill be in preventing such entities to bid for such stressed assets?

The big concern among resolution professionals is that the amendments will disrupt nearly all pending insolvency proceedings as on today. Besides this, the eligibility of all bidders will have to be ascertained before examining their bids. Earlier, the resolution plan had to qualify for consideration; now the bidder must also qualify. In cases where only the promoter has submitted a plan, and such promoter is found to be ineligible, fresh bids will need to be invited.

Identification of a wilful defaulter has been left to the banks but within the guidelines of the RBI. This might lead to arbitrariness and such punitive or restrictive measures should be enshrined in the law, rather than being left to an interested party such as a lender or a bank.

A promoter may challenge his identification as a wilful defaulter in court and seek a stay on the insolvency proceedings till the challenge is decided. It may further cause delay and losses to the already stressed assets.

Sir, these are the apprehensions which are seen in the Press and media. I would like to bring them to the notice of the hon. Minister who is very much available in the House. However, our Party is supporting this Bill as the aim of the Bill is not to avoid honest bidders. It only seeks to exclude dishonest entities and wilful defaulters who cause downfall of a company and later seek to recapture the same assets at a lower price. Sister concerns and shell companies are also prevented from regaining control

over stressed assets. Thus, the Bill closes the existing loopholes and rewards honest entities looking to restructure failing companies by tightening the insolvency rules. As such, our Party is supporting this Bill replacing the Ordinance.

Thank you, Sir.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to participate in the discussion on the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017. It is really an amendment to the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 which we have discussed last year. Within no time, the Government has come again to make an amendment to the Bill passed by the House.

The Bill was passed after a detailed discussion, as was said by the Finance Minister earlier. But, in practice, when it is implemented, it was found that there was a lacuna in the Bill. It has been explained by the Minister himself.

The Opposition always says that the Bills, either they are Finance Bills or other important Bills, can be sent to the Standing Committee. It does not mean that it minimizes the importance of the Parliament or the status of the Minister. No doubt, our Finance Minister and his colleagues are capable of tackling the issues but at the same time what we see is that even within six months, we have to go in for other amendments. It is because they are handling these issues not after an elaborate discussion. But when it goes to the Standing Committee, it is given much importance and other issues may come. So yesterday also we had taken up the same issue. But I do not think the Government is taking it in such a way that the importance of the Standing Committee has to be upheld.

Sir, the provision in the earlier Bill is for insolvency resolution and liquidation of a company or a corporate person in court. It does not restrict or bar any person from submitting a resolution plan or participating in the acquisition process. It is true. This was the provision included in the last Bill. It is correctly understood that many corporate companies or persons may misuse the situation. There may be undesirable persons. So the restriction as laid down in the Bill is essential but this was not seen by the Ministry earlier. So it has been decided to make the amendment to the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. In the Statement of Objects and Reasons, in paragraph five, there are about eight norms and conditions. I do not want to go into the details because other Members have made it clear.

Besides this amendment, I would like to talk about some other issues which are also touched by the other Members, especially the financial issues. Commending the Bill, our Finance Minister has rightly stated that the NPA has become the most important issue as far as our growing economy is concerned. The Government has taken a number of steps. The Finance Minister has said that there is no *status quo*. *Status quo* would not give any result. I would like to know whether there is any change as far as the NPA is concerned, though we have taken a number of steps. So what is the decision or the step that the Government is going to take?

Now-a-days, the Government is taking all the powers in their hands. It is recommended by the NITI Aayog. We know that the GST Council has got the highest power. Their power is really above the Parliament which we have. Now-a-days, besides the taxes, there is a trend because the States are really suffering much. When the Central Government is taking each and every step, the State has to bear the burden. There is a trend of increase in the cess and surcharges from the side of the Central Government. In 2013-14, the revenue share of the Central Government from cess and surcharge was only 6.7 per cent but in 2016-17, it rose to 10.8 per cent. In 2013-14, the surcharge was 2.5 per cent and it rose to 4.4 per cent. It is increasing. Now also it has increased. But you see, on the revenue of surcharges and cess there is no devolution to the States. It goes to the Central Government's account. The people have to pay and the Central Government may get the revenue but the State Governments are not getting any share out of these revenues.

On the other side, the Central Government has made a change in the funding pattern of almost all the Centrally-sponsored schemes. Earlier in the PMGSY, the share was 90:10 basis. Now it is 60:40 basis. In SSA, earlier it was 90:10 basis and now it is 60:40 basis. That is true in IAY and all that. It means that the State has to take the burden when the Centre is implementing the schemes. I do agree that these schemes are good for the States. It was on the assumption we asked in the last Session also why the Government has changed the funding pattern. Then it said, the GST is

coming; you may get much more money. It was assumed because our Finance Minister said it is a simplification of surcharges, VAT and many other taxes. Instead of them, there is only one tax. But what is the experience?

Wherever we go, we have to pay more. Even on the *masala dosa*, we have to pay more. There is an experience of my colleague, Mr. Premachandran. He is a good parliamentarian here. He said he has gone to the haircutting saloon in Delhi. Earlier he had given only Rs.300. Now it is Rs.400. He questioned that. The increase is because of GST. So, wherever we go, whether in Parliament or outside or to a tea shop, there is a price hike. It is also true that this amount is not going to the Government. Many people are exploiting it and demanding more money in the name of GST.

I would like to say that on one side, with this tax, the Central Government is getting more revenue, but on the other side, the States are getting nothing. When the GST came into force, the States have to get the tax on the commodities, which come from the other States. But these taxes are collected from the producer States. A State like Kerala has to get IGST to be collected from other States. But it will take time. Kerala has to get almost Rs.700 crore per month to be collected from the other States. But, it is not collected and it is still deposited in the Central Government's account. Till now, it is about Rs.4000 crore, which Kerala has to receive through IGST collection, but it is lying in the Central Government account. I believe this is also true in case of other States as well.

Sir, it is on the basis of 14 per cent growth that the Central Government is giving compensation to the States. It is being given twice in a month. This is also creating new problems for the States. Hence, I would like to request the hon. Finance Minister, if the Central Government gives grant to the States from the IGST Fund, which is deposited in the Central account, it can be compensated in the IGST settlement and there would not be any loss.

It is true that when the Government gives compensation to the States, they also include revenue from the VAT, which has been collected by the State. But I would

also request the Government to take into consideration the last year's arrear which might have been there on account of revenue on the VAT because the collection of this arrear is also a kind of revenue for the State.

After introduction of the GST, the Government of Kerala has been actively collecting the tax. We expected to collect around 25 per cent of revenue but our experience is that we could get only 14 per cent.

Prof. Thomas has already mentioned the issue of Ockhi Cyclone, which has caused a big burden on the State. So, the Central Government should give due importance to the issue of welfare through the Centrally Sponsored schemes. We have initially asked for an amount of Rs.433 crore for the State of Kerala. But the Central Government is giving only Rs.133 crore.

So, I conclude with a request to the Government that they should also consider these issues besides other legislative issues. Thank you, Sir.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you very much, Sir. I admire the hon. Finance Minister for his steadfast approach in trying to bring down the NPAs and streamlining the process of loaning. Our party, the YSR Congress congratulates him.

We all know that the insolvency and bankruptcy laws and processes are extremely complicated. There is a lot of ambiguity in this process. The Insolvency and Bankruptcy Code was introduced in 2016. It also adds an element of ambiguity. I am sure that it needs more time to get streamlined.

Sir, the NPAs are taking alarming proportions in our country. The NPAs are taking away 10 per cent of the advances. They also form 10 per cent of the GDP of our country. It is only the 50 top corporates which are literally forming 80 per cent part of the total NPAs. So, this issue is extremely important which needs to be re-looked.

The RBI, in consultation with other banks, has identified 12 big corporate companies, which literally form more than 25 per cent of the NPAs with an aggregate bad loan of Rs.3.5 lakh crore.

When we compare it with the global situation, the NPAs in India form 10 per cent of the advances whereas in other advanced countries like USA and UK it forms only less than 2 per cent of the advances. Even in case of China, it is less than 2 per cent.

So, it is high time that we pay attention to the issue of NPAs. I do not see any reason why the SEBI is now postponing the disclosure of list of defaulters. Two years back, the hon. Finance Minister had assured the House that the defaulters' list would be published as soon as possible so that they could be put to shame and others could learn lessons from it. But SEBI for one reason or the other is postponing the disclosure of the list of defaulters. That may be avoided.

Sir, this Ordinance is definitely required so that the bad elements, the defaulters do not find backdoor entry to claim again the ownership of a company and giving a

much bigger haircut to the bankers. At the same time, while defining the resolution applicant, more number of people have been debarred. The category is too broad. It may ultimately end up to be much more ambiguous than the previous one, the Code itself. It is essential to prevent the unscrupulous elements, but sometimes, without any *mala fide* intentions, people may come under it. Due to global downturn or the prices coming down or the demand-supply situation worsening, as we have been seeing in respect of steel companies in the last two to three years, they may come under it. By debarring these people, the resolution applicants, from participating again, perhaps you are not giving any chance to the people, who do not have any *mala fide* intentions, to participate again to restructure their loans and to get one more opportunity. Hon. Finance Minister may kindly re-look at this issue because the IBC is not merely an instrument of liquidation. It gives an opportunity and a framework for reorganisation as well as to restructure the enterprises and give an opportunity to the entrepreneur. So, it is not merely an instrument of liquidation. Hence, it needs to be little broader.

It is not fair to bar these resolution applicants, like the persons who have been convicted for two years. Tomorrow if he goes in for an appeal, where does he stand? Similarly, SEBI bars a particular person from accessing the security markets over a trivial or small issue. Can a big corporate company be debarred on the basis of smaller issues like this and can a person be disqualified to be a Director as per the Companies Act and all that? A resolution applicant should not be barred because of small issues like this. Definitely, there is a need to have a re-look at this issue.

There is no doubt that we are stressing a lot on the ease of doing business and every time, we are clapping a lot. In the comity of nations, India's ranking has come down from 140 to 100 or so in the list, but I am sure the more ease we create in doing business, might end up in more NPAs in future. As earlier speaker mentioned, the present Ordinance could end up in unintentionally throwing out the baby with the bathwater. This means that it might dilute the spirit of the original IBC of 2016.

Sir, I thank you very much for having given me this opportunity to speak on this Bill.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इन्सात्वेन्सी एंड बैंकक्रप्ट्सी कोड (संशोधन) बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, जब यह आई.बी.सी. कोड लागू हुआ तो इसका एक ही उद्देश्य था कि कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में जाए या कोई भी दिवाला हो, उससे पहले अगर उसके क्रेडिटर या लेनदार यह सोचते हों कि यह कंपनी रिवाइव हो सकती है, लिक्विडेशन में न जाए और उस हिसाब से कोई एप्लिकेन्ट्स रेजोल्युशन का प्लान दें तथा क्रेडिटर उससे सैटिसफाई हो तो उसे लिक्विडेशन में जाने से बचा कर, उसको रेजोल्युशन प्रोफेशनल के हिसाब से वापिस रिवाइव करने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य से आईबीसी कोड लाया गया है। उस समय 1 दिसम्बर से लागू हुआ और उसमें कुछ प्रैक्टिकल दिक्कत आई। कुछ कंपनियों में यह दिक्कत आई कि रेजोल्युशन एप्लिकेन्ट वही हो गए, जिनके कारण वह कंपनी पहले डूबी और नॉन-परफार्म की। उनको रोकने के लिए यह अमेन्डमेंट बिल लाया गया है। इस बिल के क्लॉज पाँच में एक नया सेक्शन जोड़ कर 29ए लाया गया है।

महोदय, इसके साथ-साथ उनको भी लिया जो कंपनी पहले डिफॉल्टर हो चुकी हैं या उस कंपनी के प्रमोटर या उससे रिलेटेड लोग, जिनकी कंपनी का अकाउंट पहले ही एक साल से ज्यादा एनपीए हो गया है। जो पहले ही किसी कंपनी को डूबो चुके हैं, वे दूसरी कंपनी को कैसे चलाएंगे। इस कारण उनको डिसक्वालिफाई किया गया।

महोदय, मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। बहुत जगहों पर रेजोल्युशन प्रोसेस चालू करने के लिए खुद कारपोरेटर्स ने शुरू कर दिया और फिर दूसरे तरीके से उस कंपनी पर वापिस कब्जा करने के लिए कोशिश करने लगे। उनके प्रयासों को रोकने के लिए यह अमेन्डमेंट बिल लाया गया है। इसमें जो रेजोल्युशन एप्लिकेन्ट्स हैं, उनमें कौन-कौन एलिजिबल होगा, कौन-कौन डिसक्वालिफाई होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है।

इसके अलावा, आईबीसी कोड पार्ट-एक, दो तथा तीन है, जो पर्सनल और पार्टनरशिप फर्मों के लिए भी लागू नहीं किया गया और उसमें जो पुराने नियम हैं, वही अभी चल रहे हैं। पर्सनल तथा पार्टनरशिप फर्मों में काफी प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले, जिन व्यक्तिगत कंपनियों के डायरेक्टर, जिनकी व्यक्तिगत गारंटी उस लोन में है, जो कंपनी रेजोल्युशन प्रोसेस में जा रही है और उनके खिलाफ लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो, उसको डिफाइन करके लागू करने की शुरुआत इसके बाद से की जाएगी।

महोदय, इसके साथ-साथ मेरा कहना है कि मान लीजिए कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और और उसके असेस्ट्स बिक रहे हैं, तो उन असेस्ट्स को खरीदने में जो डिसक्वालिफाइड व्यक्ति है, वह उसको

खरीद नहीं सकता है। यह प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें बिडर की कमी हो जाएगी, बिडर कम हो जाएंगे और बिडर में जो वैल्यू ज्यादा आ सकती थी, वह नहीं आएगी। ये जितने भी डिफाल्टर हैं, उनकी मेन्टेलिटी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिड करके ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत लगा कर वापिस कब्जा कर लिया जाए। वास्तव में जो इनवेस्टर होता है, उसका पैसा डूब जाता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और इस बिल का सपोर्ट करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इनसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज एक अलग कदम इस पूरे बैंकरप्सी कोड के अन्दर उठा रहे हैं, जहां तीन ऐसे इंपोर्टेंट लोग जो कहीं न कहीं अपने एकाउंट्स को एनपीए डिक्लेयर करके बचने का प्रयास कर रहे थे, आज उन लोगों को इस बिल के माध्यम से कानूनी दायरे में लाने का काम किया।

मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। एक खराब सेब सौ सेबों को खराब कर सकता है। कहीं न कहीं जो एक साल का टेन्चोर सरकार द्वारा इस बिल के माध्यम से लाया जा रहा है, सरकार उस पर जरूर गहन चिन्तन करे। उसको बढ़ाकर हम तीन साल करें, क्योंकि कोई भी व्यवसाय होता है, तो उसका बैड साइकिल भी बिजनेस का आता है। छोटा दुकानदार जिसकी आज ये हालत है कि सरकार जीएसटी रिफंड भी टाइमली नहीं दे पा रही है, उस कारण भी उसका बिजनेस साइकिल डाउनफाल के दायरे में आया है तो कहीं न कहीं उसकी रिकवरी के लिए जो टेन्चोर है, उसे बढ़ाने का प्रयास करे। अगर वह बढ़ेगा, तो जरूर आप देखेंगे कि जो गुड एपल्स थे, वे कहीं न कहीं इस कानून के दायरे से बाहर अपने आप हो जाएंगे।

14.16 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

एक और चीज मैं कहना चाहूंगा। बैंकरप्सी कोड हम लेकर आए और आपका एफडीआरआई बिल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आ रहा है। आज सबसे ज्यादा एनपीए एग्रीकल्चर सेक्टर का है, किसानों का है। सरकार जरूर उनके लिए भी कोई ऐसा प्रोविजन क्रिएट करे या ऐसा लेजिस्लेचर लेकर आए, जिसके माध्यम से चाहे कोआपरेटिव सेक्टर में हो या नेशनलाइज्ड बैंक्स में हो, जो किसान आज कहीं न कहीं एक डिस्ट्रेस झेल रहे हैं, आर्थिक कमजोरी झेल रहे हैं, उनको भी इस तरह के स्ट्रक्चर के कारण हम मदद दे पाएं। मैं यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था। मैं आपके बिल का समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAJESH PANDEY (KUSHINAGAR): Madam Speaker, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Congratulating our hon. Finance Minister and rousing the thoughts of Shri Sanjay Jaiswalji and Shri Subhashji, I want to say further that the need to bring this Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Bill, 2017 arose because the similar persons who, with their misconduct, contributed to the defaults of the companies or are otherwise undesirable may misuse this situation due to lack of prohibition or restrictions to participate in the resolution or liquidation process, and gains or regains control of the corporate debtor. This may undermine the process laid down in the court as unscrupulous person would be seen to be rewarded at the expense of the creditors.

I really find it strange as to why the previous Government did not process the perils of the old Insolvency and Bankruptcy Code. What exactly do we want to achieve by this? We want to provide clarity to the persons who can submit resolution plans in response to an invitation made by the resolution professionals.

Secondly, it is also to provide for making certain persons ineligible for being resolution applicants. This is also a matter of concern that if a person who is responsible for the downfall of any enterprise and wants to take advantage of that situation or if he becomes ineligible for any reason for that matter, should not be permitted.

It has been, after worth consideration, provided that the Committee of creditors shall approve the resolution plan by a vote of not less than 75 per cent of voting share of the financial creditors after considering the feasibility and viability of the resolution plan.

It is not that we are giving a very open opportunity that anybody could misuse this Bill. So, at least, 75 per cent of the votes should be in his favour so that he can apply for a Resolution.

This Bill is also to disallow the sale of property to a person who is ineligible to be a Resolution applicant in the case of liquidation of the corporate. Madam, earlier, if a company defaulted, there were, at least, four different legal routes available to the debtors and the creditors. This could lead to multiple negotiations and multiple penalties etc. for the debtor compounding his plight. Moreover, such parallel proceedings had also given rise to numerous instances of conflict between the laws. Four different agencies – the High Courts, the Company Law Board, the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) and the Debt Recovery Tribunals (DRTs) – have overlapping jurisdictions giving rise to the potential of systematic delays and complexities in the process. This new Bill addresses all these issues by bringing a new uniform Code. I am thankful to the hon. Finance Minister for the same.

Madam, current insolvency proceedings take months, if not years and the average time is four years. This delay can acutely devalue the assets involved, thus, making the insolvency negotiations redundant. The current disposition involves the institution of official liquidator which is prone to red tapism, chronic corruption and nepotism. The new Code seeks to keep the role of adjudicator to the minimum. Currently, only 25 per cent of the asset value is recovered by the creditors even after the liquidation process. That is the matter of great concern.

Now, I am coming to how to deal with it. Our public sector banks, which are compounded to the pitiable position, find themselves in rising NPAs and mounting stressed assets have also eroded their profits, as the recent SBI reports point out. The easing of liquidation process can help the banks recover a lot of bad debts.

Madam, formerly, in our country, any change in the legal system was hard to enforce which is the reality but, now, with the changed attitude of our Government and under the able guidance of our hon. Finance Minister, this Code has proposed massive laws, procedures and infrastructure. There is no doubt that once the Code is fully implemented, it is going to be one of the best initiatives by the legislature and a boon to the economy in the broader sense. I offer my sincere gratitude to our hon.

Prime Minister and the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley ji for bringing this Bill and I fully support it.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam Speaker, this Bill comes to replace an Ordinance which was promulgated by the President of India on 23rd November and we are now discussing this Bill within Parliament. But we must keep in mind that if the Parliament was convened normally, as it is by the third week of November, then there would have not been an Ordinance, this Bill would have been discussed within Parliament. It is quite ironical that, while a political party which talks about simultaneous elections of assembly and Lok Sabha, and about improving the efficiency of this Government, the recent two months were examples of gross inefficiency. Only two States went to elections. While the elections were supposed to have been convened at the same time, the dates were not overlapping and dates were postponed. Important Bills have been introduced in Parliament during this Session and passed in a hurry, be it the GST compensation, this ordinance or the reform of the Medical Council of India. All this process is going in a hurry and the deliberation that might have normally occurred is not taking place.

So, it is ironical that while you talk of simultaneous Assembly and Lok Sabha elections, when two States had to go to elections, you did not do it. And if you remember, earlier this year when elections were held in West Bengal and Uttar Pradesh we had Parliament going on then. So, we could have convened Parliament to discuss and deliberate at length.

Madam Speaker, just on this larger point - because many people look towards us, our constituents look towards us to discuss important matters – Parliament now only sits on an average for 70 to 75 days, as you would know while in the First Session Parliament used to sit for 150 to 180 days.

HON. SPEAKER: No.

SHRI GAURAV GOGOI : It would cross 100, Madam, it was 120 to 130 days.

Madam, while the Constitution has only a provision that no two sittings of the session should be convened if there is a distance of more than six months, I hope that through you, Madam, we can bring about an amendment where we put in a minimum

number of sittings, a minimum number of days, and a regular schedule, so that we know that Parliament will sit and come elections or any other thing, Parliament is scheduled because we are accountable to the people of India.

Madam, this Bill deals largely with the Insolvency and Bankruptcy Code. The Insolvency and Bankruptcy Code largely deals with the crisis of NPAs. What is the extent of this crisis? The extent is that total exposure of banks to bad loans is around Rs.8,00,000 crore, roughly translating to five per cent of our GDP. That is more than what we need, that is more than the budget that we have for our education, more than the budget that we have for any other important social welfare sector. There were around 300 cases in the National Company Law Tribunal.

Madam, unfortunately there is a misconception amongst the ruling party, they think that debt recovery and recovery of bad loans has only started post-2014, after the Prime Minister has taken over. Let me remind them that there have always been steps initiated by the Government of India to recover bad loans. There were multiple Acts. We used to have Lok Adalats, we used to have Debt Recovery Tribunals and they were functioning for many years. What the Insolvency and Bankruptcy Code has done is to implement the recommendations of the Bankruptcy Law Reforms Committee and codify these existing laws.

आप लोग कहते हैं कि पहले संज्ञान में क्यों नहीं लिया। यह आपका वहम है, यह पहले संज्ञान में था, विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की गई थी, विभिन्न प्रकार के नियम थे। मैं कुछ आंकड़े पढ़ना चाहूंगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, Bank non-performing loans to total gross loans percentage का एक टेबल बनाया गया है, मतलब एक साल में भारत में जितने बैंक्स ने लोन दिए हैं, उसमें से कितने लोन नॉन-परफार्मिंग बन चुके हैं।

में अभी भारत का आंकड़ा दे रहा हूँ, वर्ना 2011 में the percentage of nonperforming loans to gross loans was 2.7. In 2012, it was 3.4. In 2013, it was 4.0. यहां तक यूपीए के समय के आंकड़े खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपकी सरकार की समय के आंकड़े पढ़ता हूँ। ... (व्यवधान) आप सुन लीजिए, यह बिल किसलिए लाए हैं, बाद में वह भी बोलूंगा कि किसकी मदद करने के लिए लाए हैं।... (व्यवधान) In 2014, out of total gross loans the percentage of nonperforming loans was 4.3. In 2015, it was 5.9. And in 2016, it is 9.2. So, the issue of NPAs was of concern and it had been addressed through various laws during UPA, the Finance Ministry used to convene meetings of the Directors of public sector banks and we used to tell them in meetings in 2012-13 आप ध्यान दीजिए कि कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पब्लिक सैक्टर से लोन लेकर वापस नहीं दिया है।

15.00 hrs

ये संज्ञान में थे। बैंक डायरेक्टर्स की मीटिंग हमारी सरकार के वित्त मंत्रालय बुलाते थे। लेकिन आपकी सरकार के दौरान, चूंकि आपकी आंख भटक गयी, एनपीए का मसला, From a concern, it became a crisis of epic proportions under your Government. You must take into account that in whose tenure it has worsened. In 2011, it was two per cent; in 2013 it was around four per cent and by now it is around 9.2 per cent and growing even further. I appreciate that there is an Insolvency and Bankruptcy Code which allows us a certain sense of predictability, which allows a certain sense of stability and gives a legislative clarity to promoters. But how does the Government intend to measure the success of the Insolvency and Bankruptcy Code?

आप जो कानून लाये हैं, वह सफल हुआ है या नहीं, इसका आप आकलन कैसे करेंगे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आपका आकलन है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, बैड डैट्स हैं, उन्हें आप रिकवर करेंगे। जो क्रेडिटर्स हैं, जिनका पैसा नहीं मिल रहा था, उन्हें इस आईबीसी के द्वारा पैसा मिलेगा। मैं उसके एक केस का उदाहरण देना चाहता हूँ, जो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एनसीएलटी में निकला, जिसमें लैंडर, क्रेडिटर को 94 परसेंट हेयरकट लेना पड़ा। मतलब उस केस में जो क्रेडिटर था, जिस पर जजमेंट आ चुका है, क्रेडिटर ने 972 करोड़ रुपये का लोन दिया था, जिसमें से रिकवरी केवल 54 करोड़ रुपये की हुई। इसका मतलब है कि एक क्रेडिटर ने यदि सौ रुपये दिये हैं, तो उसमें से केवल छः रुपये वापस मिलेंगे। अगर

इस प्रकार के जजमेंट्स आते रहेंगे कि क्रेडिटर ने जितना पैसा दिया है, वह इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टर्सी द्वारा नहीं मिलेगा, पब्लिक सैक्टर बैंक्स को अपना पैसा नहीं मिलेगा। आज क्रेडिट सप्लाई की बात है, आज पब्लिक सैक्टर बैंक्स इंडस्ट्रीज को क्रेडिट नहीं दे रही, तो वह समस्या रहेगी, क्योंकि बैंक ने अपने बैलेंसशीट में यह प्रोविजन बना रखा है कि जो बैड डेट है, जो नॉन परफोर्मिंग लोन है, आईबीसी के दौरान इससे मुझे काफी रिकवरी हो जायेगी। मैं इस रिकवरी के बाद और कम्पनियों को लोन दे पाऊंगा। वे कम्पनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी और नौकरियां बनेंगी। लेकिन वह नहीं हो रहा और एनपीए बढ़ता जा रहा है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, I want only two minutes. आपका एनपीए बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि यह कितना फायदा कर रहा है। क्रिसल की रिपोर्ट आती है कि जो 50 टॉप डिफॉल्टर्स हैं, if they owe Rs. four akh crores, out of this Rs. four lakh crores, it is realistic that only Rs. 1.6 crores will come back. इंडीपेंडेंट एजेंसीज भी बोल रही हैं कि इससे ज्यादा आपकी रिकवरी नहीं होने वाली है। क्रेडिट ऑफटेक, क्रेडिट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉब्लम रहेगी। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि आज रिकवरी रेट क्या है? आप वर्ल्ड बैंक, ईज़ ऑफ ड्रूंग बिजनेस की बात करते हैं। उस ईज़ ऑफ ड्रूंग बिजनेस में ही लिखा है कि विभिन्न देशों में रिकवरी रेट कितना है। On one dollar, how many cents a country is able to recover. इंडिया की रिकवरी रेट 26, चाइना की रिकवरी रेट 36, Malaysia's rate of recovery on one dollar is 81 cents. थाइलैंड की रिकवरी रेट 67.7 सेंट्स है। आप इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टर्सी द्वारा सोच रहे हैं कि यह होगा, तो यह नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी पीठ थपथपाने की जगह आप इस बिल को दोबारा देखिये कि क्या इससे रिकवरी रेट बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि यह क्रेडिट से लिक्ड है। क्रेडिट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लिक्ड है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जॉब्स से लिक्ड है। मैं जॉब्स के मामले में आपका वर्ष 2014 का चुनावी मुद्दा याद दिला दूँ कि प्रति वर्ष दो करोड़ जॉब्स, जबकि आपकी असलियत यह है कि आप प्रति वर्ष दो करोड़ की जगह डेढ़ लाख जॉब्स दे रहे हैं।

आप ईज़ ऑफ ड्रूंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन कभी आप इज ऑफ फार्मिंग की भी बात कीजिए। आप जो आईबीसी बिल, बड़े बैंक्स लाये हैं या टॉप 12, डर्टी डर्जन्स, आरबीआई बोलती है कि डर्टी डर्जन्स को हैल्प करने के लिए है।

आप ईज़ ऑफ फार्मिंग की बात भी कीजिए। यूपीए सरकार के टाइम में 80,000 करोड़ रुपये का लोन वेवर था, लेकिन दुख होता है कि जब आज किसान पिट रहा है, तब केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय से यह बात

आती है कि केन्द्र सरकार फार्म लोन वेवर नहीं करेगी। हेयरकट के द्वारा बड़ी कंपनीज को रिलीफ मिलेगी, लेकिन किसानों को रिलीफ नहीं मिलती है। इसलिए मुझे दुख होता है कि ईज़ ऑफ ड्रूंग बिजनेस, जो सिर्फ दिल्ली और मुंबई की बड़ी-बड़ी कंपनीज पर ध्यान देता है, केन्द्र सरकार सिर्फ उस ईज़ ऑफ ड्रूंग बिजनेस की बात करती है, लेकिन ईज़ ऑफ फार्मिंग की बात नहीं करती है। आज इकोनोमी की असली पिक्चर क्या है? आपकी पार्टी के राज्य सभा के एक वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि फिच और मूडी जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भारत सरकार डरा रही है, धमका रही है, उनकी आर्म टिव्स्ट कर रही है और रेटिंग्स फिक्स हो रही हैं। उनका एक आर्टिकल आया है कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गनाइजेशन पर केन्द्र सरकार के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि असली जीडीपी नम्बर्स को एयरब्रश करके, फोटोशॉप करके ज्यादा अच्छा दिखाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग्स में हमारे देश का वजूद ऊंचा हो, हम भी चाहते हैं कि भारत की इकोनोमी और जीडीपी असली हो, लेकिन हम अपनी केन्द्र सरकार से 'झूठ' नहीं सुनना चाहते हैं। असली जीडीपी क्या है? वर्ष 2014 से पहले इसका जो फार्मूला था ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, this is my last point.

वर्ष 2014 से पहले जीडीपी का क्या फार्मूला था, आज आप बताइए। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बोलते थे कि 2014 में ग्लोबल हेडविंड्स हैं, ग्लोबल हेडविंड्स के द्वारा भारत की इकोनोमी जिस प्रकार से आगे जानी चाहिए, वह नहीं जा रही है। आपने देखा होगा, इस साल की शुरुआत में रुचिर शर्मा का आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जहां आज पूरी दुनिया की इकोनोमी वर्ष 2007 और 2008 की ग्लोबल क्राइसिस से रिकवर हो गई है, वहीं भारत की इकोनोमी वापस पीछे जा रही है। 5.7 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत पर अटकी हुई है और अगर इस पर आपने वर्ष 2014 से पहले वाला फार्मूला लगा दिया तो यह 6.3 प्रतिशत घटकर 4 प्रतिशत हो सकता है और 5.7 प्रतिशत घटकर 3 प्रतिशत हो सकता है। हम आपसे चाहते हैं आप असलियत दिखाएं। Do not photoshop the figures; do not airbrush the figures. Do not 'lie' to the people of India; they deserve transparency.

HON. SPEAKER: Please conclude.

SHRI GAURAV GOGOI : I am concluding.

प्लीज, आप इस बिल पर पुनर्विचार कीजिए। आज हम हैरान हैं कि यह ऑर्डिनेंस 22 नवम्बर को आया था। इस ऑर्डिनेंस में जो बातें शामिल की गई हैं, 9 नवम्बर को एक पब्लिक सभा में एक बड़े स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला था कि इस प्रकार का एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, जो प्रॉविजन्स ड्युबियस प्रमोटर्स को

सपोर्ट करते हैं, उनको हटाने के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। मैं काफी हैरान हूँ कि जो बात एक इंडस्ट्रियलिस्ट 9 नवम्बर को एक पब्लिक फंक्शन में कहता है, उसकी इच्छानुसार वैसा ही एक ऑर्डिनेंस 22 नवम्बर को आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई नेक्सस तो नहीं है। जिस डील के लिए यह आईबीसी आ रहा है, कहीं उसे आप फायदा तो नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वह भूषण स्टील की जो डील है, उसे पार्लियामेंट में लाकर उसके संज्ञान में लाइए, ताकि आप दिखा पाएं कि यह आईबीसी सही काम कर रहा है। यही कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, प्रेमचन्द्रन जी एवं अन्य सदस्यों के प्रति मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इस बिल पर अपने विचार विस्तृत रूप से रखे हैं।

जितने भी विषय उठाए गए, उनमें इस आर्डिनेंस के संबंध में दो-तीन प्रमुख विषय हैं, क्योंकि आर्डिनेंस में बहुत छोटा विषय है, मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा।

सबसे पहले, अन्तिम वक्ता गोगोई जी ने जो विषय रखा, उसे स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि मुझे इस बात का खेद है कि समस्या क्या है, उनको अभी भी उसका संज्ञान नहीं है। एनपीएज की समस्या इतने बड़े पैमाने पर कैसे पैदा हुई। गोगोई जी दुनिया के अच्छे शैक्षिक संस्थानों में पढ़े हैं और कई बार उन्होंने एक कहावत सुनी होगी कि **there are three types of 'lies': 'lies', damned 'lies', and statistics.** आज वह इस तीसरे वाली बात के स्वयं विक्टिम बन गए। एनपीए की समस्या इसलिए पैदा हुई और उन्होंने जो दोनों उदाहरण दिए, अगर उनको समझ लें तो उनकी सरकार के जमाने में क्या-क्या पाप हुए, उनको स्पष्ट हो जाएगा।

बैंक्स जितने भी आई.बी.सी. में अभी तक लोन्स इवॉल्व्ड हैं, ये सारे वे हैं जो पुराने समय में दिये गये हैं और अगर मैं कहूँ कि उस वक्त शायद उनको लगता होगा कि वर्ष 2003 से 2008 तक विश्व में इकोनॉमिक बूम था, इसलिए बैंक अपना पैसा हरेक उद्योग को देते जाएं, उद्योग फलेगा-फूलेगा और देश का लाभ होगा तो शायद अच्छी नीयत से दिया होगा। बिना किसी सिक्योरिटी के दे देने से तो फिर नीयत पर भी प्रश्नचिन्ह आता है।

वर्ष 2014 तक वास्तविक स्थिति यह थी कि ये सारे लोन्स उसके पहले के हैं। यह प्रतिशत कैसे बढ़ा? जिस स्टैटिस्टिक्स का आप विक्टिम बन गये कि आप एन.पी.ए. को रीस्ट्रक्चर करते रहिए और उसको एन.पी.ए. घोषित मत कीजिए। इसको अंग्रेजी में विंडो-ड्रेसिंग कहते हैं। इसके लिए दूसरा शब्द है : **You keep evergreening the loan.** और देश और अपनी आँखों में धूल झोंकते रहिए कि यह एनपर्फ एनपीए नहीं है और फिर कहिए कि मेरे वक्त में ढाई प्रतिशत था, बाद में 4 प्रतिशत कैसे हो गया? वह 4 प्रतिशत ऐसे हो गया कि जिसको आपने कारपेट के नीचे छिपाया हुआ था, वह कारपेट के ऊपर आ गया। वह कारपेट से ऊपर लाने का काम 2015 में रिजर्व बैंक ने किया। जब रिजर्व बैंक ने कहा कि **Let us have an asset review. Let us have a review of the assets which these banks are having.** उसमें पता चला कि इस विंडो-ड्रेसिंग या एव्स-ग्रीनिंग से जिन लोन्स को आप परफार्मिंग दिखा रहे थे, वह वास्तविकता में नॉन-परफार्मिंग थे। रिजर्व बैंक ने कहा कि इनको आप नॉन-परफार्मिंग की कैटेगरी में डालिए। यह प्रतिशत इसलिए नहीं बढ़ा कि उस वक्त 26 मई को या 27 मई को मोदी जी की सरकार आ गई थी। यह इसलिए बढ़ा कि जो देश की आँखों में

धूल झोंकी जा रही थी कि नॉन-परफार्मिंग को परफार्मिंग दिखला देना, वह जो पर्दा डाला हुआ था, वह हट गया। इसलिए ये जितने आंकड़े आपने कोट किये कि कैसे बढ़ता गया, उसको अपने खाते में डाल लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि समस्या की मूल जड़ क्या है? फिर आपने उदाहरण दिया कि नेशनल कंपनी ऑफ ट्राईब्युनल का 970 करोड़ के एसैट हैं, उसके केवल 50 करोड़ मिले।

अब दो प्रकार के एंटरप्राइजेज हैं जिनको लोन दिये गये। मान लीजिए किसी स्टील मिल को दिया गया। उसकी जमीन भी है, प्लांट भी है, मशीनरी भी है, उसके एसैट्स भी हैं तो कल कोई खरीदेगा तो उसका कुछ न कुछ दाम तो मिलेगा। पर अगर आपने ट्रेडिंग कंपनी को दे दिया और सिक्योरिटी नहीं ली और ट्रेडिंग कंपनी के पास सिर्फ रिसीवेबल्स थे और आज वे रिसीवेबल्स नहीं हैं। इसलिए वह तो केवल एक कागज के ऊपर कंपनी है। किसी में 5 प्रतिशत, किसी में 10 प्रतिशत और किसी में 10 प्रतिशत है। इसलिए बैंक्स को या अन्य क्रेडिटर्स को केवल बैंक्स को नहीं, सभी क्रेडिटर्स को सैक्शन 53 में इसे वॉटर फॉल मैकेनिज्म कहते हैं। पहली बार संसद में जब इसे पारित किया गया तो पहला हक मजदूर का किया, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर का और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का किया। उसके बाद सरकार का था अन्यथा कंपनीज एक्ट में पहले सरकार के ड्यूज होते थे। सरकार को नीचे ले आए ताकि वर्कमैन, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले मिले। *The waterfall arrangement was changed in this Act.* इसलिए इसमें स्पष्ट रहिए कि दो प्रकार की कंपनीज हैं। वे कंपनीज भी हैं जो केवल ट्रेडिंग कंपनीज हैं जिसमें रिसीवेबल्स थे और अगर रिसीवेबल्स बैलेंस शीट पर नहीं हैं या नहीं वसूल हो पाते, तो फिर केवल खाली कागज है। *It is probably not even worth that paper.* अब आप इसमें आत्मनिरीक्षण कीजिए कि बैंक्स की फंशनिंग किस प्रकार से हो रही है? *For us it is a legacy problem which we are trying to resolve.*

दूसरा, इसमें मूल प्रश्न यह है कि ऑर्डिनैस की आवश्यकता क्यों पड़ी? *This is a question which Mr. Premachandran raised.* Now the Ordinance is necessary because this Act itself provides a 180 day time period in which a resolution is to be completed. There are 12 cases referred by the Reserve Bank. But there are cases which promoters themselves have gone and presented a resolution plan. There are cases where creditors have filed applications. So, there are numerous cases pending and law will apply to all of them. Now the time period is 180 days and these are resolution processes which are at a fairly advanced stage. Our one year experience shows that an ineligibility criterion

has to be introduced. Except one or two Members, most of the Members have spoken in support of ineligibility criterion.

Now what will happen to all these pending cases if we wait another couple of months and say that the Bill will come up in its usual course? Then what will happen to these hundreds of cases which are pending? You will have two kinds of insolvency applications. Ones which are pending to which the ineligibility criterion will not apply and secondly, anything that comes subsequently, the ineligibility criterion will apply. Therefore, there was an extreme case of urgency for which the Ordinance itself was required.

Lastly, the point is what was the need to bring in this insolvency criterion. I think several Members including Mr. Galla have put it very succinctly that there are promoters who have defaulted. Some promoters have been declared insolvent. Some promoters have been debarred by SEBI. Some promoters have been debarred under the Companies Act. Some are wilful defaulters. Now there is a difference between a commercial debtor and a wilful defaulter. A wilful defaulter is a person who misrepresented and took the money or diverted the money. उनके केसेज में उनका नाम डिसक्लोज करने में किसी को रुकावट नहीं है, बैंक्स डिसक्लोज करते हैं। What do you do with promoters who are themselves responsible for these NPAs, that is clause C. Therefore, clause C says that जिन्होंने खुद ही नॉन-परफॉर्मिंग एसेट बनाया है, कल क्या होगा, आप अपना उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई बड़ी मिल है, कपड़े या किसी अन्य चीज की है, ट्रेडिंग कंपनीज में बहुत कम एसेट होंगे। उसके एसेट्स हैं, नया प्रमोटर आएगा, खरीदेगा और विश्व भर का अनुभव यह है कि जो क्रेडिटर्स हैं, वे हेयर कट्स लेते हैं, ताकि जितना बच सकता है, बचे। After all water fall mechanism is a process by which every creditor takes his haircut and there is an equitable distribution in the case of dissolution. In the case of resolution also, they may take some haircut. So, what will happen? The creditors will take a haircut. The banks will take a haircut. The unsecured creditors will take a haircut. The workmen will take a haircut and the man who created the insolvency pays a fraction of the

amount and comes back into management. So, nothing changes in the company. The same man manages the company except that the creditors become a little poorer. Should we allow that to continue?

Now various arguments are being given that if you declare this creditor ineligible, then bidders would not come up. If the bid is not adequate, the Committee of Creditors will reject the bid. They have the power. That is the amendment we are introducing.

There are countries in the world which allow defaulting creditor also to bid. But we have to take a conscious decision. We are not saying that you are debarred for ever. We are not saying that you pay the entire amount. If he owes Rs. 10,000 crore and the interest is Rs. 2000 crore, if he pays the interest part and makes the account operationable. यदि वह केवल ब्याज दे दे, तो बिड कर सकता है। So, we are not debarring him. We are saying that you at least pay the interest and make it an operational account. If a man says that I made this account non-performing; I have not paid the principal; I will not even pay the interest but at a fraction of the price I want to come back into management. Should this Parliament then have a law that this man is allowed to do so or not? The overwhelming view, as expressed by the Members, is that he should not be allowed. This was a gap which was there in the original Bill and by bringing in 29(a) we have tried to fill in that gap. That is the objective. In order that this provision must apply to all existing cases of resolution which are pending, that is the case for urgency. If we had not done this, then all such defaulters would have rejoiced because they would have merrily walked back into these companies by paying only a fraction of these amounts. That is something which besides being commercially imprudent would also be morally unacceptable. That is the real rationale behind this particular Bill.

Madam Speaker. I commend this Bill to this hon. House for approval.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. The clarification of the hon. Finance Minister regarding the issuance of the Ordinance is still not clear. It is because the ineligibility criterion for insolvency applicants will be there. There will be two classes of insolvency applicants because even the Ordinance was promulgated on 23rd November, 2017 and so prior to 23rd November, 2017 there was a class of insolvency applicants, may be ineligible for being an insolvency applicant. So, such a classification is there. Even after the promulgation of the Ordinance on 23rd November also those two classes of insolvency applicants will be there. So, we are posing this question because in the month of November the Session was not convened and that is not because of the fault of the Members of this House...*(interruptions)* This is retrospective only from 23rd November, 2017 because that is the date on which the Ordinance to this effect was promulgated and the provisions of this Act will also come into force from that date only.

The second point that I would like to make is about the pending proceedings. The hon. Minister rightly mentioned that according to clause 25(a) all the pending applications will become retrospectively become applicable. Applicants who come under the ineligibility criteria cannot be further proceeded against as per the amended provisions. That is why my case is this. Even if the argument of the hon. Minister for promulgation of the Ordinance were to be accepted for the sake of argument, even then the position is not clear. It is because these two aspects are still there – one is about the new amendment according to which all the proceedings, though pending before the adjudicating authority and if the person belongs to non-ineligibility criteria applicant, then he cannot be further proceeded against and so he will not be able to get the benefit. Two, it is applicable only from 23rd November, 2017.

Madam, I do agree on the issue of the GST. Though I gave a Resolution for disapproval of that Ordinance, we were in support of the GST (Compensation) Bill. Here, I would like to seek the protection of the Chair.

Another Ordinance had come up regarding bamboo. Madam, you were not there at that time. The definition of 'bamboo' was taken away from the definition of 'tree' for which also an Ordinance was promulgated. At least, it can be substantiated with reasoning. In order to remove the term 'bamboo' from the definition of 'tree' an Ordinance was promulgated. What is the justification and what is the emergency? Nothing could be substantiated for this.

Even the President of India, even the hon. Prime Minister and all the Ministers are always talking about debate, discussion and dissent.

HON. SPEAKER: So, are you moving it?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am concluding. My point is, kindly avoid promulgation of Ordinances and it is better to come before the House with a fresh Bill. Since the hon. Minister has given a satisfactory reply, I am not moving my Resolution.

HON. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri N.K. Premachandran be withdrawn?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 10 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

15.29 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House that, as decided by the Business Advisory Committee in their meeting held today, there would be no sitting of the House on Monday, the 1st January, 2018.

15.30 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

HON. SPEAKER: The House will now take up Private Members' Business.

**(i) Payment of Subsistence Allowance to Farmers and
Agricultural Labourers Bill, 2016***

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the payment of subsistence allowance to farmers and agricultural labourers in order to provide social security to them and their family members and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.31 hrs

(ii)Victims of Natural Calamities (Rehabilitation and Financial Assistance) Bill, 2016*

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and financial assistance to the victims of natural calamities and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.31 ½ hrs

(iii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017*
(Substitution of new sections for section 272 and 273)

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

The motion was adopted.

श्री महेश गिरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.32 hrs

(iv) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 39)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. ”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.32 ½ hrs

(v) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 102)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : I introduce the Bill.

15.33 hrs

(vi) Indian Veterinary Council (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of Sections 2 and 15)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Veterinary Council Act, 1984.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Veterinary Council Act, 1984.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.33 ½ hrs

(vii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 366)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: I introduce the Bill.

15.34 hrs

(viii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 22)

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.34 ½ hrs**(ix) Constitution (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of article 323B)

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. ”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

15.35 hrs**(x) Constitution (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of article 51A)

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. ”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.35 ½ hrs

(xi) Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 46, etc.)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. ”

The motion was adopted.

SHRI JAYADEV GALLA: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.36 hrs**(xii) Special Financial Assistance to the State of Rajasthan Bill, 2017***

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ और इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित प्रयोग के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ और इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित प्रयोग के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.36 ½ hrs

(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of new article 21B)

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.37 hrs

(xiv) Armed Forces (One Rank One Pension) Bill, 2017*

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of uniform pension to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of uniform pension to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.37 ½ hrs**(xv) Academy of Scientific and Innovative Research (Amendment) Bill, 2017***
(Insertion of new section 4J)

SHRI RAGHAV LAKHANPAL (SAHARANPUR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011.”

The motion was adopted.

SHRI RAGHAV LAKHANPAL: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.38 hrs**(xvi) Water Conservation Authority of India Bill, 2017 ***

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि तालाबों, कुओं, नहरों, खाइयों आदि परंपरागत साधनों के माध्यम से और जलाशयों, पुश्तों और रोक बांधों का निर्माण कर, सूखी नदियों को पुनरुज्जीवित कर, नदी तालों में काइयों का निर्माण कर, पुनर्भरण शाफ्ट का निर्माण कर, नहरों और तालाबों को गहरा और चौड़ा कर, स्थायी जल संरक्षण संरचना का निर्माण कर, भूजल स्तर को ऊपर लाने हेतु वर्षा जल संचयन द्वारा नदियों के जल, भूजल और वर्षा जल के संरक्षण वाले तथा बड़े पैमाने पर लोगों को जल संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Water Conservation Authority for the conservation of water of the rivers, ground and rainwater through traditional means of ponds, wells, canals, trenches, etc., and by building reservoirs, bunds and check dams, reviving dried rivers, making trenches in riverbeds, building, recharge shafts, deepening and widening canals and ponds, building permanent water conservation structure by means of rainwater harvesting to recharge the groundwater, encouraging people to participate in water conservation movement and plantation of trees in a big way and for matters connected therewith or incidental thereto..”

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.38 ½ hrs**(xvii) High Courts (Use of Official Languages) Bill, 2017***

डॉ. मनोज राजोरिया (करोली-धौलपुर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the use of official language in the proceedings of High Courts and for matters connected therewith or incidental thereto..”

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.39 hrs

**(xviii) Prevention of Extravagance and Unlimited Expenditure
on Marriages Bill, 2017***

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention and prohibition of sheer extravagance and unlimited expenditure being incurred on marriages and related ceremonies in various parts of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention and prohibition of sheer extravagance and unlimited expenditure being incurred on marriages and related ceremonies in various parts of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.39 ½ hrs

(xix) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 324)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.40 hrs

(xx) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 125)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of
“Criminal Procedure, 1973.”

The motion was adopted.

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.40 ½ hrs**(xxi) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017***
(Substitution of new section for section 497)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

The motion was adopted.

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.41 hrs**(xxii) Electricity (Priority Supply to Metropolitan Areas) Bill, 2017***

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory supply of electricity to metropolitan areas and for matters connected therewith.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory supply of electricity to metropolitan areas and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.41 ½ hrs**(xxiii) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
(Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 2, etc.)**

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. ”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.42 hrs**(xxiv) Autism Spectrum Disorders (Recognition and Treatment) Bill, 2017***

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to recognize the rights of person suffering from autism spectrum disorders and making the treatment accessible and affordable and for matters connected therewith.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to recognize the rights of person suffering from autism spectrum disorders and making the treatment accessible and affordable and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.42 ½ hrs**(xxv) Families of Farmers (Financial Assistance and Rehabilitation) Bill, 2017***

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for financial assistance to the widows and other dependent family members of farmers who have committed suicide in order to enable such families to earn sustainable livelihood and for matters connected therewith.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for financial assistance to the widows and other dependent family members of farmers who have committed suicide in order to enable such families to earn sustainable livelihood and for matters connected therewith. ”

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.43 hrs**(xxvi) Universal Health Coverage (Medical and Financial Assistance) Bill, 2017***

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide health insurance and health care services to all citizens of the country and for matters connected therewith.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide health insurance and health care services to all citizens of the country and for matters connected therewith. ”

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.43 ½ hrs**(xxvii) Breast Cancer (Awareness and Free Treatment) Bill, 2017***

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to create awareness among masses to prevent breast cancer among females, provide free screening and medical treatment for those diagnosed with breast cancer and for maters connected therewith.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to create awareness among masses to prevent breast cancer among females, provide free screening and medical treatment for those diagnosed with breast cancer and for maters connected therewith. ”

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.44 hrs

(xxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 32, etc.)

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

KUMARI SUSHMITA DEV: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.44 ½ hrs

(xxix) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of new Chapter 11A and 11B)

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.”

The motion was adopted.

KUMARI SUSHMITA DEV: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.45 hrs**(xxx) Compulsory Establishment of Government Women College Bill, 2017***

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ब्लाक स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना अनिवार्य रूप से करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory establishment of Government Women college at block level and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.45 ½ hrs

(xxx) Computer Training Centres (Regulation) Bill, 2017*

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the functioning of computer training centres and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to regulate the functioning of computer training centres and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI VISHNU DAYAL RAM: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.46 hrs**(xxxii) Persons Living Below Poverty Line (Reservation of Vacancies in Posts and Services) Bill, 2017***

SHRI VISHNU DAYAL RAM (PALAMU): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation of vacancies in posts and services in establishments for persons living below poverty line and for matters connected therewith.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation of vacancies in posts and services in establishments for persons living below poverty line and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI VISHNU DAYAL RAM: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.46 ½ hrs**(xxxiii) Arsenic Contamination (Prevention) Bill, 2017***

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों के समग्र कल्याण, देखभाल और संरक्षण के लिए देश में भूजल में आर्सेनिक के स्तर का प्रभावी विनियमन, आर्सेनिक संदूषण के जोखिम भरे क्षेत्रों की पहचान और खाद्य पदार्थ एवं पेयजल में आर्सेनिक संदूषण को कम करने और रोकने हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार करने तथा संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for effective regulation of the level of arsenic in ground water and identification of the risk areas of arsenic contamination, formulation of a national policy for mitigating and preventing arsenic contamination in food and drinking water in the country for the overall welfare, care and protection of the citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.47 hrs

(xxxiv) Voluntary Organisation (Regulation) Bill, 2017*

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने और उनके विनियमन तथा उससे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for recognition and regulation of voluntary organizations and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.47 ½ hrs

(xxxv) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 83, etc.)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.48 hrs**(xxxvi) Youth (Eradication of Unemployment and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017***

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रत्येक पात्र युवक को काम का अधिकार प्रदान करके युवाओं में बेरोजगारी के उन्मूलन और बेरोजगारी अवधि के दौरान बेरोजगारी भत्ते का संदाय और सरकारी नियोजन के सभी संस्वीकृत पदों को अव्यपगम्य और समापन-मुक्त बनाने और बेरोजगारी भत्ते के निधियन के लिए काम का अधिकार निधि की स्थापना और तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for eradication of unemployment amongst the youth by granting right to work to every eligible youth and for payment of unemployment allowance during the period of unemployment and for making all the sanctioned posts in Government employment non-lapsable and free from abolition and establishment of right to work fund for funding unemployment allowance and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.48 ½ hrs

(xxxvii) Prevention of Damage to Public Property (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 2)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984.”

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.49 hrs

(xxxviii) Right to Protection of Crop Produce Bill, 2017*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किसानों को अधिशेष फसल उत्पाद के संरक्षण और लाभकारी कीमतों पर विक्रय के अधिकार और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for right to farmers for protection and sale of surplus crop produce at remunerative prices and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.49 ½ hrs**(xxxix) Compulsory Military Training in Schools and Colleges Bill, 2017***

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में विद्यालयों और महाविद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory military training to all the students in schools and colleges in the country.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.50 hrs

(xl) Sportspersons (Welfare) Bill, 2017*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधि करने वाले खिलाड़ियों के कल्याण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of sportspersons who have represented India in Olympic Games, Asian Games, Commonwealth or in any other International Sports Events and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.50 ½ hrs

(xli) Compulsory Voting Bill, 2017*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.51 hrs**(xlii) Cotton Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2017***

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कपास उत्पादकों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य, कपास का निःशुल्क, बीमा और उनके समग्र कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the remunerative price for the produce of the cotton growers, insurance of cotton crop free of cost and for their overall welfare and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.51 ½ hrs**(xliii) Banana Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2017***

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केला उत्पादकों का संरक्षण, कल्याण और उन्हें लाभकारी मूल्य का संदाय तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection, welfare and payment of remunerative price to banana growers and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.52 hrs

(xliv) Special Financial Assistance to the State of Maharashtra Bill, 2017*

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में लगातार कम वर्षा के कारण बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण पर रोक लगाने और सूखे की स्थिति पर झीलों, तालाबों, कुंओं के रूप में पारंपरिक जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और ग्रामीणों और उनकी पंचायतों को शामिल करते हुए वनीकरण के माध्यम से रोक लगाने और आवास, पेयजल, सड़कें, स्वच्छता, अनाज और चारा भंडार सृजित करने, मेघबीजन, समोच्च रेखित बांधकरण राज्य के इन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों और गरीब लोगों के लिए कौशल विकास और कल्याणकारी योजनाओं जैसे विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Maharashtra for the purpose of sustainable and balanced development of growth-oriented infrastructure such as housing, drinking water, roads, sanitation, creation of grain and fodder banks, skill development, cloud seeding bunding and welfare schemes for the women, children, senior citizens and people living below poverty line in the State along with combating desertification and drought problem in Marathwada and Vidarbha regions caused by consistent deficit rainfall and drought conditions by encouraging traditional water conservation through lakes, ponds wells, rainwater harvesting and afforestation and for matter connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.52 ½ hrs

(xlv) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 172)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.53 hrs

(xlvii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of New Article 47A)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.53 ½ hrs

(xlvii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of articles 48A and 51A)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

HON. SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan – not present.

15.54 hrs

**(xlvi) Compulsory Employment and Welfare Measures
for Disadvantaged Persons Bill, 2017***

KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL (HAMIRPUR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory employment and welfare measures for disadvantaged persons and for matters connected therewith.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory employment and welfare measures for disadvantaged persons and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President

15.54 ½ hrs

(xlix) Forest (Conservation) Amendment Bill, 2017*
(Insertion of new sections 3C and 3D)

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980.”

The motion was adopted.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.55 hrs

**(I) Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of Schedule II)**

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.”

The motion was adopted.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena – not present.

Shrimati Poonam Mahajan – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.55 ½ hrs

**(li) Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of section 22, etc.)

SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.”

The motion was adopted.

SHRI BALKA SUMAN : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.56 hrs

(lii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of new article 28A)

श्री ओम बिरला (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री ओम बिरला: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.56 ½ hrs

(liii) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of the Schedule)

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.”

The motion was adopted.

श्री विद्युत वरन महतो: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.57 hrs

(liv) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 84)

श्री ओम बिरला (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री ओम बिरला: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

15.58 hrs

(iv) Children with Specific Learning Disabilities (Identification and Support in Education) Bill, 2017*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शिक्षा संबंधी विशेष निःशक्तता से ग्रस्त बालकों की पहचान करने और उनकी सहायता और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to identify and support the children with learning disabilities in education and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.59 hrs

(Ivi) Compulsory Health Insurance for Senior Citizens, Mentally Retarded Children and Persons with Disabilities Bill, 2017*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों, मंदबुद्धि बालकों और निःशक्त व्यक्तियों वाले सरकारी निधियन द्वारा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा तथा निजी अस्पतालों और क्लीनिकों आदि सहित सभी अस्पतालों द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों के निःशुल्क उपचार तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory health insurance for the senior citizens, mentally retarded children and persons with disability to be funded by the Government and for free of cost treatment of insured persons by all hospitals including private hospitals and clinics, etc. and for matters connected therewith or incidental thereto”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

** Introduced with the recommendation of the President.

16.00 hrs(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)**(Ivii) The Right to Adequate Housing Bill, 2017***

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अथवा निम्न आय समूह के अंतर्गत आने वाले परिवारों हेतु निःशुल्क अथवा ऐसी उचित लागत पर एक निवास-गृह उपलब्ध करके तथा आवास खरीदने हेतु निम्न आय समूहों के परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके यथोचित निवास गृह का उपबंध करने तथा उसके आनुषंगिक विषयों के उपबंध वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the adequate dwelling house to the families living below poverty line or falling under low income group in the country for providing one free of cost or at such reasonable cost and providing interest free loans to families in low income group for purchase of house and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.01 hrs

(lviii) All India Services (Amendment) Bill, 2016*
(Insertion of new section 3A)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the All India Services Act, 1951.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.01 ½ hrs**(lix) Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of sections 17 and 19)

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Corruption Act, 1988.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.02 hrs

(ix) Agricultural Produce (Remunerative Support Prices and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज का वार्षिक और मौसमी आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य नियत करने हेतु एक कृषि उपज मूल्य नियतन बोर्ड की स्थापना करने और खुले बाजार में इन उपजों के मूल्यों में भारी कमी होने पर सरकार द्वारा समय पर मध्यक्षेप करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an Agricultural Produce Price Fixation Board to fix the remunerative support price of agricultural produce including fruits and vegetables on annual and seasonal basis and timely intervention by the Government at the time of steep fall in prices of such produce in the open market and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.02 ½ hrs**(lxi) Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of section 1, etc.).

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employees State Insurance Act, 1948.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Employees State Insurance Act, 1948.”

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.03 hrs

(Ixi) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 154)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.”

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.03 ½ hrs**(lxiii) Cashew Development Board Bill, 2017***

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ काजू की खेती, काजू प्रसंस्करण, विपणन और विकास के संवर्धन और इसके उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने हेतु एक बोर्ड का गठन करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Board for the development and promotion of cashew cultivation, cashew nut processing, marketing and research to improve its production and productivity and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.04 hrs

(lxiv) Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 39)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act, 2001.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act, 2001.”

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

16.04 ½ hrs**(lxv) Human Trafficking (Prevention) Bill, 2017***

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में मानव दुर्व्यापार का निवारण करने के लिए एक केन्द्रीय मानव दुर्व्यापार निवारण आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to establish a Central Human Trafficking Prevention Commission for prevention of human trafficking in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राहुल शेवाले: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.05 hrs

(Ixvi) Special Financial Assistance to Mumbai Bill, 2017*

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में मुंबई में रहने वाली महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों और गरीब लोगों के लिए विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to Mumbai in the State of Maharashtra for the purposes of implementation of development and welfare schemes for the women, children, senior citizens and poor people living in Mumbai and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राहुल शेवाले: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.06 hrs**(lxvii) Establishment of Schools upto Senior Secondary Level Bill, 2017***

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में सभी बालकों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to establish schools imparting education upto senior secondary level free of cost to all children in the country.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.07 hrs

**(Ixviii) Financial Assistance for Girl Child born to Parents
Living Below Poverty Line Bill, 2017***

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता-पिता की बालिकाओं को वित्तीय संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने और तत्संसक्त अथवा उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for financial protection and security to girl child born to parents living below poverty line and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.07 ½ hrs**(Ixi) Special Educational Facilities (for Children of Parents Living Below Poverty Line) Bill, 2017***

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special educational facilities to the children of parents living below poverty line and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for special educational facilities to the children of parents living below poverty line and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.08 hrs**(lxx) Uniform Insurance for Affected Pilgrims Bill, 2017***

श्री महेश गिरी (पूर्वो दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि घटनाओं / दुर्घटनाओं जिनमें आतंकी हमला शामिल है परंतु उस तक सीमित नहीं है, मैं प्रभावित सभी तीर्थयात्रियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को एक समान बीमा मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय तीर्थयात्री बीमा समिति का गठन करने और उसके आनुषंगिक अथवा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a Central Pilgrims Insurance Committee to provide uniform insurance to all the affected pilgrims in incidents/accidents including but not limited to terrorist attacks and to their dependent family members and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री महेश गिरी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.08 ½ hrs**(lxxi) Protection of Women from Unnecessary Caesarean Section Deliveries Bill, 2017***

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निजी और सरकारी अस्पतालों का विनियमन करके और उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन न देकर अनावश्यक और मनमाने सीजेरियन सेक्शन प्रसव से महिलाओं का संरक्षण करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to protect women from unnecessary and arbitrary caesarean section deliveries through the regulation and financial disincentivizing of private and public hospitals and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री महेश गिरी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

** Introduced with the recommendation of the President.

16.09 hrs

(lxxii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of New Section 16A)

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.10 hrs

(lxxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 10)

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.10 ½ hrs**(lxxiv) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of section 31)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.”

The motion was adopted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.11 hrs

(lxxv) Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 3)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.”

The motion was adopted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.11 ½ hrs

(lxxvi) Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of new section 10E)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council, 1956.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council, 1956.”

The motion is adopted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I introduce** the Bill.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.12 hrs**(lxxvii) Agricultural Produce (Remunerative Support Prices and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017***

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज मूल्य नियतन बोर्ड की स्थापना करने और खुले बाजार में इन उपजों के मूल्यों में भारी कमी होने पर सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an Agriculture Produce Price Fixation Board to fix the remunerative support price of agricultural produce including fruits and vegetables on annual and seasonal basis and timely intervention by the Government at the time of steep fall in prices of such produce in the open market and for matters connected therewith to incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.12 ½ hrs**(lxxviii) E-Commerce (Regulation) Bill, 2017***

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill for protection of rights of consumers against marketing of products and services through e-commerce/telephone/digital methods and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill for protection of rights of consumers against marketing of products and services through e-commerce/telephone/digital methods and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.13 hrs

**(lxxix) Agricultural and Other Unorganised Workers
(Protection and Welfare) Bill, 2017***

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection from exploitation and anti-labourers practices of the agricultural and other unorganized workers and for the welfare measures to be implemented by the Central and State Governments for such workers by way of establishing a Welfare Authority alongwith a Welfare Fund to ensure minimum wages, pension and provident facilities, compensation in case of accidents, maternity and crèche facilities and medical care to the women workers and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection from exploitation and anti-labourers practices of the agricultural and other unorganized workers and for the welfare measures to be implemented by the Central and State Governments for such workers by way of establishing a Welfare Authority alongwith a Welfare Fund to ensure minimum wages, pension and provident facilities, compensation in case of accidents, maternity and crèche facilities and medical care to the women workers and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.13 ½ hrs**(lxxx) Victims of Terrorism (Compensation and Miscellaneous Provisions) Bill, 2017***

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the financial compensation, relief and rehabilitation to the victims and their dependents affected by terrorist violence of naxalites, maoists and other terrorist outfits operating in various parts of the country including those supported, sponsored and financed from across the borders through employment and other means and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the financial compensation, relief and rehabilitation to the victims and their dependents affected by terrorist violence of naxalites, maoists and other terrorist outfits operating in various parts of the country including those supported, sponsored and financed from across the borders through employment and other means and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.14 hrs**(lxxxix) Management of Religious Institutions and Places of Worship Bill, 2017***

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for management, operation and control of all aspects of religious institutions and places of worship, which are in direct or indirect control of State and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for management, operation and control of all aspects of religious institutions and places of worship, which are in direct or indirect control of State and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.14 ½ hrs**(lxxxii) Employment Bill, 2017***

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide employment or means and resources for self-employment to, at least, one adult member of every family and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide employment or means and resources for self-employment to, at least, one adult member of every family and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.15 hrs

**(lxxxiii) Violent and Indecent Online Games (Prohibition
on Distribution, Sale and Advertisement) Bill, 2017***

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prohibition on distribution, sale and advertisement of online games showing violence and indecency in their operations in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition on distribution, sale and advertisement of online games showing violence and indecency in their operations in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.15 ½ hrs**(lxxxiv) Illegal Immigrants (Identification and Deportation) Bill, 2017***

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute a National Commission to identify and deport illegal immigrants in the country and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to constitute a National Commission to identify and deport illegal immigrants in the country and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.16 hrs**(lxxxv) Payment of Agricultural Inputs Grants Bill, 2017***

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of non-returnable grants to the farmers for meeting the input costs in agriculture with a view to promote increased agricultural output and decreased farmer credit and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of non-returnable grants to the farmers for meeting the input costs in agriculture with a view to promote increased agricultural output and decreased farmer credit and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI B. VINOD KUMAR: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.16 ½ hrs**(lxxxvi) Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services (Amendment) Bill, 2017***
(Insertion of new Section 33A)

KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL (HAMIRPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Amendment Act, 2016.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Amendment Act, 2016.”

The motion was adopted.

KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.17 hrs

(lxxxvii) Stray Cows (Protection and Control) Board Bill, 2017*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में छुट्टा गोवंश के संरक्षण और नियंत्रण और उससे संरक्षण विषयों के लिए एक बोर्ड का गठन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the protection and control of stray cows in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.17 ½ hrs

(lxxxviii) Bundelkhand Regiment Bill, 2017*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बुंदेलखंड रेजीमेंट नामक नई सैन्य रेजीमेंट का गठन और विनियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution and regulation of a new army regiment to be known as the Bundelkhand Regiment for safeguarding the borders of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.18 hrs

**(lxxxix) Compulsory Sports Education and Basic Infrastructure
Development in Schools Bill, 2017***

SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory sports education from primary to senior secondary level and provision of requisite basic infrastructure in all Government and Private schools and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory sports education from primary to senior secondary level and provision of requisite basic infrastructure in all Government and Private schools and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI DHANANJAY MAHADIK: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.18 ½ hrs

(xc) Railways (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 3)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Railways Act, 1989.”

The motion was adopted.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.19 hrs

(xci) Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 2, etc.)

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Human Rights Act, 1993.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Human Rights Act, 1993.”

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.20 hrs**(xcii) Removal of Homelessness Bill, 2017***

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to remove homelessness in the country by providing for framing of a housing scheme aimed at providing dwelling units with all basic facilities at an affordable cost to every homeless family.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to remove homelessness in the country by providing for framing of a housing scheme aimed at providing dwelling units with all basic facilities at an affordable cost to every homeless family.”

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.20 ½ hrs

(xciii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of the Seventh Schedule, etc.)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.21 hrs**(xciv) Gazetted Officers of the Central Government (Compulsory National Disaster Response Training) Bill, 2017***

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के समर्थ शरीर वाले सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय विपद अनुक्रिया प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory national disaster response training for all able-bodied gazetted officers of the Central Government and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.21 ½ hrs**(xcv) Bio-Degradable Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Bill, 2017***

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory use of bio-degradable packaging material in the supply and distribution of certain commodities with the aim to curb the usage of plastic and such other non-degradable material in packaging and in the interests of the environment.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory use of bio-degradable packaging material in the supply and distribution of certain commodities with the aim to curb the usage of plastic and such other non-degradable material in packaging and in the interests of the environment.”

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.22 hrs

(xcvi) Reorganization of Time Zones Bill, 2017*

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish and demarcate two separate Time Zones to provide for more systematic inclusive and progressive governance and administration of the country and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to establish and demarcate two separate Time Zones to provide for more systematic inclusive and progressive governance and administration of the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI GAURAV GOGOI: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.23 hrs

(xcvii) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of new article 24A)

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री राघव लखनपाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.24 hrs

(xcviii) Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of Section 2)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.”

The motion was adopted.

SHRI GAURAV GOGOI: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.12.2017.

16.25 hrs

**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION
(AMENDMENT) BILL, 2015 – Contd***

श्री हरिनारायण राजभर (घोसी): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर, आदिवासी जातियों के रहन-सहन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय सदस्य द्वारा छठी अनुसूची के बारे में लाए गए इस बिल पर बोलते हुए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है, जबकि वे आदिवासी हैं और एक तरह से भारत पर उनका पूर्ण अधिकार है। आज उनकी क्या दशा है? मेरी समझ से इस समय विकसित भारत में उनकी सबसे बुरी दशा है। गुलाम भारत में रहकर अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आज आजाद भारत में वे अपनी समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं।

16.25½ hrs

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

जंगलों में खूंखार जानवरों के बीच, बाघ, सिंह एवं अन्य विषैले जानवरों के बीच में उनका रहन-सहन है। हम उनकी माली हालत देखते हैं, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उनके रहन-सहन की क्या स्थिति है, उनके खाने-पीने की क्या स्थिति है। हमारा नारा है - 'सबका साथ, सबका विकास'। मगर उनका क्या विकास हो रहा है? मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया है। मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो भी आवश्यक संसाधन हैं, उनको दिए जाने चाहिए, उनके विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां स्कूल की व्यवस्था नहीं है, वहां दवा की व्यवस्था नहीं है और वहां ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसका उनको लाभ मिले। हमारे समाज ने उनको जंगलों में छोड़ा है, जबकि जंगलों में रोज-बरोज उनकी जमीन-जायदाद हड़पी जा रही है। हमारे आदिवासी आतंकवादियों का शिकार हो रहे हैं और रोज-रोज उनकी संख्या घटती जा रही है। सरकार की निगाह उस तरफ जानी चाहिए कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनके जीने और विकास करने की व्यवस्था हो, उनके पढ़ने-लिखने की व्यवस्था हो और हमारी सरकार की ओर से उनको इस तरह के अनुदान एवं सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे उनको विकास करने का अवसर मिले।

मान्यवर, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, तब से उनको एक ही दशा में देखा है। उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित आदिवासी समाज खत्म होता जा रहा है। मैं

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Vincent H. Pala on the 5th August, 2016.

सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये समाज के सबसे पिछड़ी कतार के लोग हैं, जो जंगलों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उनके लिए रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके घरों को देखिए कि वहां कैसे रहा जा सकता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सरकार द्वारा उस तरफ ध्यान दिया जाए और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करते हुए, समाज के हर स्तर पर समुचित विकास करने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराए। मैं सरकार से मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं तो उनके लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए, बाकी कमियों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद।

संविधान की छठी अनुसूची के संशोधन के संबंध में जो प्रस्ताव श्री विनसेंट पाला साहब ने प्रस्तुत किया है, वह एक विचार का विषय जरूर है लेकिन इसमें कई तथ्यों पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

पूर्वांचल भारत की एकात्मकता के लिए, भारत की एकता के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। भौगोलिक रूप से वहां की जो बनावट है और हिन्दुस्तान से जिस तरह से वह जुड़ा हुआ है, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, स्थल मार्ग से जुड़ने की बहुत सीमित भूमि रहने के बाद, जो पूर्वांचल की स्थिति बनी, एक समय में देश के सामने यह संकट उत्पन्न हुआ था कि आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद इस स्थिति का निर्माण हुआ कि क्या पूर्वांचल भारत के साथ एकजुट रह पाएगा? क्या उसके साथ एकात्मकता बनी रह पाएगी? उसे देश की जो मुख्यधारा के साथ कैसे जोड़कर रखा जाए? उनके अंदर राष्ट्र की जो अपनत्व की भावना है, उसको विकसित करने के लिए कैसे काम किया जाए? इसलिए यह कोशिश लगातार होती रही है कि पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं, हिमालय की पूरी तरह से गोद में बसा हुआ जो पूर्वांचल है, वनों से आच्छादित है, वहां प्राकृतिक रूप से पूरा क्षेत्र एक प्रकार से कहा जाए तो अभी भी यातायात के साधनों के मामले में भी एक साथ नहीं जुट पाया है। वहां अभी भी रेल मार्ग कई स्थानों पर नहीं बन पाए हैं। सड़कों का जो निर्माण होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की जो मुख्य कड़ी सड़क मार्ग है, उसका विकास भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें से कई विदेशी एजेंसियों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर पूर्वांचल में अपने-अपने तरीके से वहां के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। मैं यह नहीं कहता कि किसी पंथ और उपासना पद्धति के आधार पर किसी भावना का विकास लोगों में होता है लेकिन हमने इस भावना का एहसास कई बार किया है कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में जिस प्रकार से उग्रवादी आंदोलन होते रहे हैं, पृथकतावादी आंदोलन होते रहे हैं और उसको विदेशी शक्तियों से जिस प्रकार से संरक्षण मिलता रहा है, देश के सामने यह संकट उत्पन्न होता था कि उसको विकसित करके देश के साथ उसकी एकात्मकता को कैसे बनाए रखा जाए? इसीलिए विकास को ध्यान में रखकर, शैड्यूल 5 और 6 जैसे नियम बनाये गये।

महोदय, मैंने यह महसूस किया है क्योंकि मुझे याद है जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो अरुणाचल से, मेघालय से हम विद्यार्थी परिषद में एक कार्यक्रम चलाते थे- “भारत अपना घर”। वहां से भारत की एकता और एकात्मकता को समृद्ध करने के लिए, वहां के बच्चों को लाकर, कई परिवारों में रखकर अध्यापन का काम करते थे। हम भारत दर्शन का कार्यक्रम चलाते थे जिसमें पूर्वांचल के बच्चों को हिन्दुस्तान दिखाना और उनको यह बताना कि यह देश आपका है, हमारा है, और सम्पूर्ण देश के लिए हमें काम करना है और हमें उसमें विकसित होना है, उसको अपने साथ जोड़कर रखना है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य मंत्री गेगांग अपांग साहब रहे हैं, उन्होंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में कभी भारतीय दर्शन का कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के तहत किया था। इस देश के सामने यह संकट रहा कि पूर्वांचल का बाद में सात बहनों के रूप में विभाजन हो गया और उन राज्यों को हमने सेवेन सिस्टर्स कहा। वह नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो या सिक्किम हो, ये असम से कट कर बने हैं। आज भी आये दिन पृथक्तावादी आंदोलन वहां पर दिखाई देता है। अब हमने अपने-आपको काफी विकसित किया है। इस बार जब डोकलाम में चीन के प्रवेश की संभावनाएं बनीं तो जिस प्रकार से हम ने उन्हें कूटनीतिक रूप से पीछे जाने के लिए मजबूर किया, अब पूर्वांचल पर संकट के बादल छँट गए हैं, लेकिन पूर्वांचल में देश की एकात्मकता को बचाने के लिए जिस प्रकार से जनसंख्या को प्रशिक्षित करना चाहिए, जिस प्रकार वहां रहने वाले लोगों में राष्ट्र भावना को विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसका अभाव रहा है। यह सोच स्वाभाविक रूप से सरकार की आती है। वहां के लोग इस देश की आत्मीयता को तब समझेंगे, जब उन्हें विकास करने का विशेष मौका दिया जाए। वहां पर जिला परिषद का गठन किया गया और उसको विशेष अधिकार देने की बात आई। मुझे यह ध्यान में आता है कि कई बार भारत सरकार द्वारा यदि योजनाबद्ध तरीके से कोई विकास योजना चलाई जाए तो शायद जहां जरूरत होती है, वह उस स्थान को ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जिला परिषद को जो भी अधिकार दिए गए हैं, उसमें अपेक्षित विकास की संभावनाएं थीं, वह पूरी नहीं हुई। जिला परिषदों को विशेष अनुसूची क्षेत्र के तहत जो अधिकार दिए गए थे, उससे हम जो विकास की संभावना की उम्मीद करते थे, जो आशा करते थे, वह पूरी नहीं हुई। अब यह कहा जा रहा है और हम यह कहने की कोशिश करते हैं कि उन्हें और अधिकार दिया जाए क्योंकि चेक एंड बैलेंस चल रहा है। सच्चाई यही है कि पूर्वांचल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में आर्थिक संतुलन कायम रहे, विकास के कार्यों को हम चेक एंड बैलेंस के आधार पर आगे बढ़ाने का काम करें। भारत सरकार की निगाहें उस पर मजबूती से रहें, स्वायत्ता के प्रावधान इतने आगे न बढ़ जाएं कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे उससे पृथक्तावादी भावनाओं को और ज्यादा ताकत मिल जाए। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम संपूर्ण हिन्दुस्तान से संसाधन जुटाएंगे और अपने देश के ऐसे भाग जो पिछड़े हैं, जहां पर रहने वाला हमारा आदिवासी भाई या वहां के जो पिछड़े लोग हैं, जिस प्रकार से मुंबई,

दिल्ली, कोलकाता या गुवाहाटी, इन्होंने जो विकास की किरणें देखी हैं, उस प्रकार से जिन्होंने आधुनिकता और विकास की किरणें नहीं देखी हैं, उनको भी वे सुविधायें एवं अन्य चीजों की पूर्ति करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारे ध्यान में यह आया है कि जो जिला स्तर की ईकाइयां थीं, वे अपने दायित्व की पूर्ति करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकीं। कई मामलों में तो यह ध्यान में आया कि जो सरकारी बजट और संसाधन उपलब्ध कराया गया, उसको लागू करने में जो एकजुटता होनी चाहिए थी, उनके निर्णय में जो एकरूपता आनी चाहिए थी, वह नहीं आई। पैसे का जिस प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

भारत सरकार के दिए हुए संसाधनों का सही सदुपयोग नहीं हुआ और उन्हें वापस लेना पड़ा या वह पेंडिंग पड़ा रह गया। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत एक जन, एक संस्कृति, एक राष्ट्र है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यदि कोई भी व्यक्ति दुखी है तो उसे सुविधायुक्त जिंदगी देना हमारा राष्ट्रीय दायित्व बनता है। हमारा राष्ट्रीय फर्ज है कि हम यह देखें कि अभाव से ग्रस्त व्यक्ति के मन में यह भाव न आ जाए कि यह देश हमारे लिए क्या कर रहा है। कभी तूफान आता है, कभी सुनामी आती है, तो राष्ट्रीय फंड से वहां विशेष व्यवस्था की जाती है और पूरा हिंदुस्तान उसके लिए एकजुट रहता है। सरकार तो सरकार, समाज भी अलग से अपना योगदान देकर उस क्षेत्र के लोगों को अपना भाई-बहन मानकर मदद करता है। हम मानते हैं कि भारत माता की संतान भूमि के किसी भी कोने में है, हम भी भारत माता की संतान हैं और आपस में एक दूसरे को भाई-बहन मानते हैं। हम जिस संस्कृति से हैं, उसमें हमारी सोच तो यही है। आज उसी एकात्मकता के दर्शन को लेकर चलने वाली सरकार सौभाग्य से भारत में है, जो नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है।

महोदय, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई थी। इस योजना पर सरकार ने दिल्ली में बैठकर निर्णय लिया। मैं बहुत गर्व और चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जिस भी पंचायत में चले जाएं, जिस भी ब्लाक में चले जाएं, राज्य सरकार द्वारा बनी कोई सड़क मिले या न मिले आपको भारत सरकार के अनुदान से बनी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क जरूर मिलेगी और यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद दिलाता है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की। इस योजना का निर्णय दिल्ली में हुआ। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि आज सांसदों को इस योजना में गैस कनेक्शन बांटने के लिए एजेंसी वाले से समय मिलता है, इस स्थिति का देश में निर्माण हुआ है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि भारत की सरकार यह विचार कर ले कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में विकास की गंगा बहानी है, वहां की जनता को सुविधाएं देनी हैं, तो वह काम किया जा सकता है। चाहे कृषि से संबंधित क्षेत्र हो, बिजली की बात हो, यातायात की बात हो, रेलवे की बात हो, सड़क की बात हो, भारत सरकार यदि तय करे तो उस कार्य को वह पूरा कर सकती है। उदाहरण के लिए मैंने इन दोनों योजनाओं का जिक्र किया है। पिछले बजट में पूर्वांचल में लम्बी रेल लाइन स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रधान मंत्री जी ने

स्वीकृति दी। हिंदुस्तान का सबसे लम्बा पुल पूर्वांचल के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना और उसका उद्घाटन किया गया।

मैं यह नहीं कहता हूँ कि उस पुल का निर्माण हमारी सरकार के समय में हुआ, लेकिन उसका लोकार्पण प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का कोई भी स्थान हो, चाहे वह जितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, वहाँ पहुँचने में चाहे जितनी भी परेशानियाँ हों, लेकिन आज केन्द्र की सरकार इतनी सक्षम है कि हम राष्ट्र की भावना को, वहाँ के विकास के रूप में पहुँचाने का काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन और पूरा हिन्दुस्तान विकास के लिए किसी भी सरकार को नहीं रोकेगा।

पूर्वांचल का विकास हमारे लिए एक राष्ट्रीय चुनौती है। वहाँ के लोगों में यह भावना विकसित होनी चाहिए कि हम भारत के हैं, भारत हमारा है, भारत के बिना हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। मैं जानता हूँ, पूर्वांचल पर विदेशियों की नज़र इसलिए है क्योंकि उन्हें उपनिवेशवाद पर विश्वास है। भारत के वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय की गोद में बसने वाले क्षेत्र के लोगों में मानवता का दृष्टिकोण है, विदेशियों के उपनिवेशवाद का नज़रिया नहीं है। किन्तु, चाहे पूर्वांचल का दुर्गम स्थान हो, चाहे केरल का दुर्गम स्थान हो, वहाँ भारत के राष्ट्रवाद का दीप अनवरत जलता रहे, हम इसका प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए हम मौलिक रूप से यह नहीं कहना चाहते हैं कि सिक्स्थ शेड्यूल के जो अधिकार मांगे जा रहे हैं, बजट की अभी जो उपलब्धता है, उसको भी आप पास नहीं कर पा रहे हैं, मेम्बर्स को बढ़ाकर उसे अधिकारयुक्त करने की बात जब आएगी, तो मुझे नहीं लगता, आज की अवस्था में उसकी बहुत जरूरत है क्योंकि आज पूर्वांचल के विकास के लिए राशि उपलब्ध है, योजनाएँ हैं, सरकार की नीयत है, मंशा है। हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हिन्दुस्तान का कोई भी भाग, हिन्दुस्तान का कोई भी क्षेत्र ऐसा महसूस न करे कि हमारा देश हमारे लिए कुछ नहीं सोचता है।

हम जरूर चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का हरेक नागरिक, खास करके वह नागरिक जो वर्षों से उपेक्षित है, पिछड़ा है, दलित है, जिसने मानवीय जीवन की जरूरतों को अभी तक नहीं प्राप्त किया हो, जहाँ आधुनिकता के विकास की किरणें अभी तक सुगमता से नहीं पहुँची हों, उनके लिए यह सदन, हमारी सरकार पर्याप्त धन मुहैया कराए।

मुझे लगता है कि जो प्रयोग है, कुछ कमेटियाँ बनाकर, क्योंकि पूर्वांचल के अनेक राज्यों के साथ अनेक समझौते हुए। आप नागालैंड की बात ले लें, मेघालय की बात कर लें, लेकिन जो राजनीतिक कमेटियाँ हैं, निःसंदेह लोकतंत्र में राजनीतिक कमेटियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लोकतंत्र की वह आत्मा है, उनको अनदेखा करके हम नहीं चल सकते हैं। लेकिन, कुछ मामले में, मुझे ऐसा लगता है कि जब विशेष परिस्थिति हो, किसी

क्षेत्र में, यदि विशेष परिस्थिति में जकड़ा हुआ कोई क्षेत्र है, तो उसे भारत सरकार की ओर से एक कार्य-योजना को अलग से कार्य-रूप दिया जाना चाहिए ताकि वहाँ के विकास को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए।

सभापति महोदय, किसी भी कमेटी के माध्यम से इस प्रकार की भावना विकसित न हो, हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि इसमें इस प्रकार की किसी भावना के विकसित होने की संभावना है, लेकिन मैं सदन को सिर्फ इस ओर आगाह करना चाहता हूँ। पिछले 30-40 वर्षों में मैंने पूर्वांचल की घाटियों में जिस प्रकार भारत विरोधी नारे लगते हुए देखे हैं, उन्हें यह लगना चाहिए कि संपूर्ण भारतवर्ष सीधे पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, कुछ शक्तियाँ कश्मीर घाटी को देशद्रोहियों का अड्डा बनाने का प्रयास करती रही हैं। यह अलग बात है कि आज उनकी नाक से पसीना चू रहा है। उनकी हिम्मत टूट रही है। अब आने वाले दिनों में ये शक्तियाँ आत्म-समर्पण के लिए मजबूर की जाने वाली हैं। इसी प्रकार की कुछ कोशिशें पूर्वांचल में भी होती हुई देखने को मिलती हैं। पूर्वांचल में ऐसा पिछले दिनों होते हुए मिला है। ऐसी कोशिशों के प्रति हमें सावधान रहना पड़ेगा। राजनीतिक अधिकार के नाम पर लोगों में अलगाववाद की भावना न बदे, इस ओर भी हमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, हम पूर्वांचल के विकास के हिमायती हैं। पूर्वांचल के विकास हेतु पूरी धन-संपदा दी जानी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि भारत की एकात्मकता और राष्ट्रीय भावना को बचाने के लिए सामरिक दृष्टि से वह इसकी इजाज़त दे। भारत का महत्वपूर्ण पूर्वांचल राज्य हिमालय की तराई में अपनी सुंदरता बिखेर रहा है।

सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों पार्लियामेंट की कमेटी की ओर से वहाँ गया था। वहाँ जाकर मुझे लगा कि भारत माँ का आँचल तो पूर्वांचल ही है। क्या खूबसूरती है वहाँ की। लेकिन इस खूबसूरत भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के मन में विग्रह पैदा करने वाली ताकतें भी आज छिप-छिपकर घूम रही हैं। हमें उन ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है, ताकि भारत माँ के आँचल पर किसी तरह की आँच न आने पाए। मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण सदन इसकी एकात्मता पर विचार करे। यह जरूरी है कि भारत सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ वहाँ के विकास के लिए काम करे।

सभापति महोदय, आज मैं सदन के समक्ष एक बात जरूर कहना चाहूँगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के हर भाग के लिए विकास की योजनाएँ बनी हैं। पूर्वांचल के लिए विशेष योजनाएँ बनी हैं। हम आज विशेष रूप से पूर्वांचल के उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं, ताकि देश के जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वे भारत की भावना और भारत की सरकार के कार्यों से यह महसूस करें कि उन्हें भारत के अलावा कहीं कोई अतिरिक्त स्थान नहीं मिल सकता है, जहाँ उनके अस्तित्व की रक्षा हो सके।

सभापति महोदय, मैं झारखंड से आता हूँ। जहाँ तक हमारे आदिवासी भाइयों का सवाल है, मैंने देखा है कि हमारे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने भरी जवानी में विद्रोह किया। वे अपने धनुष-बाण से अंग्रेजों को जंगल-जंगल खदेड़ते रहे। उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर के जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। मैं फर्क से यह बात कहना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा और उनके लोगों ने कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। जिस प्रकार महाराणा प्रताप को गुलाम न बना पाने के कारण, अकबर तड़पते रह गए थे, वैसे ही झारखंड के आदिवासियों को गुलाम न बना पाने के कारण अंग्रेज भी तड़पते रह गए। अंग्रेज कभी उन्हें अपने अधीन नहीं ले पाए। सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव, जो कि सगे भाई थे, कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। एक माता-पिता के ही चार बेटे थे। पहले दो भाई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भगवा पहनकर निकले। वे सम्पन्न नहीं थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी। उनके साथ समाज था, समाज का प्यार था, समाज का भरोसा था। समाज के भरोसे और प्यार के साथ-साथ उनका स्वाभिमान था। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने के लिए, संथालों की रक्षा करने के लिए सिद्धू और कान्हू घर से निकले। अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। वे शहीद हो गए। दो भाई घर में ही थे, चाँद और भैरव। जब पता चला कि उनके दो भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए हैं तो चाँद और भैरव भी निकल पड़े। माता-पिता को कहा कि भाइयों ने कुर्बानी दे दी है, हम पीछे नहीं रह सकते हैं। चाँद-भैरव भी लड़ते हुए कुर्बान हो गए। संथाल परगना की धरती सिद्धू-कान्हू-चाँद-भैरव के नाम से अपने आपको गौरवान्वित महसूस करती है। वे हमारे पूर्वज थे और उन्होंने कभी भी विदेशी दासता को स्वीकार नहीं किया। विदेशियों को वे भारत की धरती पर देखना नहीं चाहते थे।

महोदय, आदिवासी वे हैं जो हिन्दुस्तान के वृक्ष से प्यार करते हैं। भारत के पत्थर से प्यार करते हैं, भारत की नदियों से प्यार करते हैं। पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, ये प्रकृति पूजक हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप की सेना जब कमजोर पड़ गयी तो उनका साथ भीलों ने दिया था। इतिहास गवाह है कि भारत के अस्तित्व की रक्षा के लिए...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The time allotted for this issue is already over. Is it the pleasure of the House to extend the time by another two hours?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time for this issue is extended by another two hours.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि शेड्यूल 6 आदिवासियों से जुड़ा हुआ विषय है। झारखण्ड में शेड्यूल 5 से प्रभावित क्षेत्र हैं। जब मैं झारखण्ड राज्य में खनिज मंत्री था तो मैंने शेड्यूल 5 और 6 को बहुत गहराई से देखने की कोशिश की और मुझे उसके बारे थोड़ा ज्ञान आया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके स्वाभिमान और अस्मिता को जब-जब भी ठेस पहुंची है, उनके सामने चुनौती आयी है, चाहे वह राजस्थान हो, पूर्वोत्तर हो या झारखण्ड हो, आदिवासी समाज ने इस देश के लिए संघर्ष किया है और कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मांगा बहुत कम है। बहुत से लोग और समाज संघर्ष करते आए हैं। आये दिन हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने संघर्ष किया है, हमें कुछ मिलना चाहिए। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें कुछ मिलना चाहिए। लेकिन आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है, जो गुलामी के खिलाफ देश के लिए लड़ता रहा है, विदेशी आक्रांताओं और विदेशी अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहा है। जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद भी वे लोग विदेशियों के सामने नतमस्तक नहीं हुए। उस समाज के विकास के लिए यदि किसी प्रकार की जरूरत पड़ी तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके लिए सब कुछ कुर्बान है।

17.00 hrs

आदिवासी भाईयो के जीवन में सुधार लाने के लिए आज भी विकास की जरूरत है। मैं झारखण्ड में देखता हूँ। जंगल में सबसे अधिक गरीबी में हमारी आदिवासी माताएं व बहनें रहती हैं। इस जाड़े में उनके पास पूरे वस्त्र नहीं हैं, उनके पास अपना घर नहीं है, उनके पास जंगल में रहने के कारण घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि आज यह विचार करने की जरूरत है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को फॉरेस्ट लैंड में रहने के लिए जमीन मिलनी चाहिए व अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि जंगल में या तो जानवर रहता है या शेर पुरुष के रूप में आदिवासी रहता है। उसमें इतनी हिम्मत है, ताकत है और प्रतिकार करने की क्षमता है। इस देश के संकट में और आज भी दूर जगहों पर हमारे आदिवासी भाई रह रहे हैं। उनके जीवन में सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो इसमें हमारी सहमति है और सदन को सहमति होनी चाहिए। उनको प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी सुख-सुविधा बाकी वासियों के लिए कुर्बान कर दी है। वे खुद संकट, दुख व विकट परिस्थितियों में रहकर देश की सेवा करते हैं। आज आप देखिए हिन्दुस्तान की फौज में आदिवासियों की इतनी बड़ी बटालियन एलबर्ट इक्का, जिनके नाम से आज हम गर्व करते हैं, उन्हें वीरता पुरस्कार मिला, परमवीर चक्र मिला। हमारे क्षेत्र में एक नहीं अनेकों ऐसे लोग हैं। कश्मीर घाटी में आज भी हमारे सेना के आदिवासी मारे गए। अभी भी उनका परिवार संकटमय स्थिति में है, तब भी भारत की रक्षा के लिए अपने आपको सेना के साथ जोड़कर रखने में गर्व महसूस करते हैं। जब कभी उनका शव जाता है तो उनके परिवार के लोगों की हालत व रहन-सहन देखकर लगता है कि वे किस अवस्था में रहते हैं।

महोदय, उन्होंने अभी भी कष्ट में रहकर देश की सेवा का व्रत अनवरत रखा है। उनके परिवार शहादत में जाते हैं, किंतु कभी उफ तक नहीं करते हैं। उनके परिवार को कुछ मिले इसकी चिंता हम करते हैं और सरकार भी करती है, लेकिन परिवार को उनका बेटा कोई वापस नहीं कर सकता। हम तो झारखण्ड में यह अवस्था देखते हैं कि आये दिन कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता, जिस महीने में कोई न कोई आदिवासी वीर का शव हिन्दुस्तान की सीमा पर शहीद होकर न आता हो। उसके शव को हम परिवारों में पहुंचाने का काम करते हैं। मन में दुख होता है, परंतु सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस आदिवासी समाज के लिए यदि कुछ करने की जरूरत पड़े तो किसी भी सरकार को व सदन को उफ नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके करने के तरीके पर वह कैसे ज्यादा प्रभावी हो, कैसे वह प्रभावित करने वाला हो। इस पर ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि हम हिंदुस्तान के आदिवासी भाइयों, जिनकी जनसंख्या पूरी जनसंख्या का लगभग 10 परसेंट के आसपास है, वह बहुत बड़ी संख्या है, जुझारू संख्या है। वह वीरों की संख्या है। उनके जीवन में सुधार हो, हम इसके पक्षधर हैं। उनको अधिक से अधिक संसाधन दिए जाएं, हम इसके पक्षधर हैं और उनको पूरे देश से सहयोग, सहायता, आत्मीयता और प्रेम मिले। आज जरूरत इस बात की है कि वहां के बच्चों को हिंदुस्तान के बड़े-बड़े और अच्छे इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स और कॉलेजेज़ में सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट रखकर अध्ययन-अध्यापन कराए।

हर राज्य से हर साल सैकड़ों की तादाद में बच्चों को लाकर देश के दूसरे भागों में रखा जाए, वह दिल्ली हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, जयपुर हो सकता है, रांची हो सकता है, उन्हें यहां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहिए। ताकि उन बच्चों और उनके परिवारों को महसूस हो कि हमें किसने पढ़ाया, उन्हें जब लगेगा कि हमें भारत ने पढ़ाया है, हिंदुस्तानवासियों ने पढ़ाया है तो हम देशवासियों का एहसान उनकी रग-रग में पैदा होगा, ऐसी योजना बनाई जाए। पूर्वांचल का एक भी बच्चा निश्चर नहीं रहे, उसे पढ़ने में असुविधा न हो। उसके लिए चाहे जितना बजट देना पड़े, देना चाहिए। क्योंकि जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे भाग का जवान पूर्वांचल की सीमा पर जाकर भारत माता का जयकारा करते हुए तिरंगा गाड़ेगा तो उसकी ताकत और नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम का नौजवान तिरंगा लेकर यदि सीमा पर भारत माता का जयकारा करेगा तो उसकी ताकत में बहुत फर्क पड़ेगा।

मेरी प्रार्थना है कि ऐसे नियम और समितियां बनें, जो राष्ट्रवाद की भावना को पूर्वांचल में आगे बढ़ाएं और विकास को भी आगे बढ़ाएं। भारत में ऐसी स्कीम्स चलें, जिसमें पूर्वांचल के लोगों के अंदर आत्मीयता का भाव हो, वहां के बच्चों में राष्ट्रीय संस्कार हों, सांस्कृतिक संस्कार हों, उनमें अपनापन का भाव पैदा हो। ताकि उन्हें लगे कि भारत हमारी मां हैं, हम भारत माता की संतान हैं। ऐसे दुरुह स्थानों पर रहने वाले आदिवासी भाइयों के जीवन में वही लड़का जब पढ़-लिखकर नौजवान बनेगा तो शायद नया परिवर्तन आएगा। आज इस छठी अनुसूची पर सदन में जो बहस चल रही है, उसकी धारा को, उसकी धार को, उसके विकास के विचार को उस भाग की ओर ले

जाने की कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल के विकास का जो हमारा सपना है, हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदीजी ने जो पूर्वांचल के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है, उसको सफल करने में हम जरूर सक्षम होंगे और आने वाले दिनों में भारत की जो जरूरत है कि उसके सीमावर्ती निवासी उसके लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ें, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी भाइयों के लिए हम विकास के हर द्वार खोलें और उदारता और प्यार के साथ उनके साथ पेश आएं, हमारी इस कार्य योजना पर विचार हो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। वंदे मातरम्।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय सभापति महोदय, संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन विधेयक, 2015, जो हमारे साथी श्री विनसेंट पाला द्वारा लाया गया है, मैं उस पर बोलने के खड़ा हुआ हूँ। इस पर बोलने से पूर्व कुछ बातें जो मुझे याद आईं, श्री विनसेंट पाला मेघालय से सांसद हैं और हम लोग चतरा, हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। हमारे सेंट कोलंबस कालेज के तत्कालीन प्राचार्य डा. सतीश चंद्र बनवार, जिन्होंने नार्थ-ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी में 1980 के दशक में कार्यभार संभाला था, उग्रवाद के जहरीले नाग ने उनको वहां डस लिया था और उनकी हत्या हो गई थी। विनसेंट पाला जी के इस विधेयक के माध्यम से मैं अपने पूर्ववर्ती गुरु, डा.सतीश चंद्र बनवार को रविन्द्र राय जी सहित श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि रविन्द्र राय जी भी उनके छात्र रहे हैं।

निश्चित रूप से इस संशोधन विधेयक पर हमारे ख्यालात अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन नॉर्थ-ईस्ट के मामले में इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से जो बातें हमारे सामने आनी चाहिए थीं, वे लाने का हम प्रयास करेंगे। खास कर यह संशोधन उस पुराने विधेयक में तीन संशोधनों को ले कर है, एक तो उन्होंने जिला परिषद के सदस्यों की संख्या तीस से बढ़ा कर चालीस करने की बात कही है। दूसरा खान और खनिजों से संबंधित आदिवासियों के परंपरागत जीविकाओं को जिला परिषद की विधायी क्षमता के अंतर्गत लाने के लिए और तीसरा, आदिवासियों की रूढ़िवादी पद्धतियों और हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से संशोधन का प्रस्ताव रखा है। निश्चित रूप से इन संशोधनों का विचार करते समय मुझे लगता है कि देखने में ये संशोधन बड़े छोटे नज़र आते हैं, लेकिन हम जब विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका एक ओर तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हिस्सा होगा, दूसरी ओर इसका इकोनॉमिक पहलू होगा और तीसरी ओर नॉर्थ-ईस्ट का जो सोशियो-कल्चरल वातावरण है या जो पृष्ठभूमि रही है, चूंकि इसकी चर्चा हुई है तो इन बातों की यहाँ हमको विशेष रूप से चर्चा करनी होगी और पहले भी अनुसूची के पहले जो इसमें अनेकों चीज़ों के अधिकार दिए गए थे तो ऐस वन का प्रबंध उसमें शामिल था, जो आरक्षित वन नहीं है। कृषि के प्रयोजन के लिए नहर या वॉटर चैनल बनाने की सुविधा झूम की खेती और उसके अनुसार पद्धतियों का भी विकास करने की सुविधा, ग्राम और नगर समितियों के अधिकार को भी दिया गया है। साथ ही साथ मुखिया और प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार था। विवाह विच्छेद का भी अधिकार था और सामाजिक रूढ़ियों के बारे में भी अधिकार था। लेकिन विसेंट पाला साहब ने यहां सामाजिक रूढ़ियों के साथ-साथ मुझे जो लगता है कि एक जो नया विषय जोड़ा है, रूढ़िवादी पद्धतियों और उसके हित का संरक्षण करना। इस दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक हो जाता है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। यह ठीक है कि हमारे संविधान ने अभी छठी अनुसूची के तहत मात्र दस जिला परिषदों का गठन किया है। जिसमें आसाम का कर्वी अंगलॉग, दूसरा उत्तरी कच्छर हिल्स, तीसरा बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद है। मेघालय में खासी हिल, जयंतिया हिल, गारो हिल, स्वायत्ताय जिला और त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र, मिज़ोरम में लाई, उसके अतिरिक्त मारा और चकमा, लेकिन इसके

अतिरिक्त भी ये चर्चा में इसलिए करूंगा कि जब हम नॉर्थ-ईस्ट के पूरे हित की चर्चा करें तो अनेक राज्य सरकारों ने भी वहां जो ऑटोनॉमस काउंसिल की मान्यता दे रखी है और जिन्होंने समय-समय पर यह आग्रह किया कि भारत सरकार भी इसमें संशोधन करे और उसकी मान्यता दे। किसी कारण उस पर चर्चा नहीं हुई तो उसमें मणीपुर का पहाड़ी क्षेत्र का जिला अधिनियम के तहत मणीपुर के भी छह जिले उसमें आते हैं और अनेक संगठनों ने इस पर छठी अनुसूची में बार-बार संशोधन की जो राय दी है तो इन सब चीजों को जब हम ध्यान में रखेंगे और फिर उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इस छठी अनुसूची की सार्थकता होगी और फिर इसके परिवर्तन पर और जो संशोधन आपने मांगा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले 24 सितंबर, 2014 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर बल दिया था।

एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिस पर उन्होंने भारत सरकार की ओर से साइन किया था। उसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार, मेघालय सरकार और 'अचिक नेशनल वॉलेंटियर्स काउंसिल' के बीच त्रिपक्षीय निर्धारित ज्ञापन पर आज माननीय केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह ज्ञापन मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद् की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए था। इसमें तेजी से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए विशेष पैकेज का भी प्रावधान है और गृह मंत्री ने कहा था कि आगामी वर्षों में इससे गारो हिल्स स्वायत्त परिषद् क्षेत्र में चहुंमुखी विकास आएगा। साथ ही साथ, गृह मंत्री जी ने यह भी कहा था कि मेघालय में शांति हो और वह एक विकसित राज्य बन जाए। उन्होंने समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए शांति के महत्व को समझने के लिए गारो हिल्स स्वायत्त परिषद् के क्षेत्र के लोगों सहित मेघालय की जनता को बधाई दी थी। सच्चाई तो यह है कि जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार आई है, उस ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया है। हमने लगातार वार्ताओं के माध्यम से, लोगों से बातचीत के माध्यम से और आपसी समझौतों के माध्यम से यह प्रयास किया है कि हमारा डायलॉग भी चले और हमने संवाद के साथ-साथ प्रवास (टुअर) का भी क्रम बढ़ाया है। मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नॉर्थ-ईस्ट को एक ऐसा सुदूर क्षेत्र मान लिया था, जहां लगता ही नहीं था कि वहां भारत की सरकार भी पहुंचती है। लेकिन, अब तो तीन सालों के अन्दर माननीय प्रधान मंत्री जी सहित हमारे मंत्रियों ने लगातार वहां के इतने दौरे किए हैं कि आज नॉर्थ-ईस्ट के लोगों में भी यह विश्वास होने लगा है कि भारत में सचमुच एक ऐसी सरकार आई है, जो नॉर्थ-ईस्ट को अपने ही हिस्से का अंग मानती है, अपना ही विभाग मानती है।

हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अलग-से जो ये परिषद् बनाए गए, इनके बैकग्राउण्ड में क्या था। खासकर, जब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय रॉबर्ट क्लाइव को वर्ष 1765 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने रेवेन्यू कलेक्शन के काम के लिए जब प्रेसिडेंसी

ऑफ बंगाल का अधिकार दिया तो उसके माध्यम से इन्होंने नॉर्थ-ईस्ट के हिस्से में अपना रेवेन्यू कलेक्शन का काम शुरू किया। फिर उसके बाद वर्ष 1822 का दसवां रेगुलेशन एक्ट आया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1853 और इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 आया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1870 और गारो हिल्स एक्ट, 1869 आया। लेकिन शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में पहली बार वर्ष 1874 में एक्ट आया। अब यह विचार करना चाहिए कि वर्ष 1874 का एक्ट भारत पर राज करने वाले ब्रिटिशों ने भारत की उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए लाया था या अपने शासन की सुविधा के लिए लाया था, यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि वहीं से हमारी जो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन-पद्धति थी, उस पर कुठाराघात होना शुरू हुआ। मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस वार्ता के क्रम में, इस संविधान संशोधन के क्रम में एक सवाल उठा था कि मणिपुर वह मणिपुर नहीं है, जिसका उल्लेख महाभारत में है। आज हम उसको चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हम यह कभी विचार नहीं करते कि कम से कम विद्रोह हो और रेवेन्यू का कलेक्शन आसानी से हो सके, इसके लिए अंग्रेजों ने दुनिया को दिखाने के लिए भारत को विभिन्न हिस्सों में बांटने का काम किया। यह सही हो सकता है कि आज़ादी के पूर्व भारत एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में अलग-अलग टुकड़ों का समूह था, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इस संसार की उत्पत्ति में भारतवर्ष, आर्यावर्त का कम से कम छः हजार, आठ हजार सौ साल पुराना हमारा इतिहास यह बताता है कि यह उस समय विद्यमान था और मुख्य रूप से एक-दूसरे को जोड़ने की धारा हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ थीं।

इसलिए, अंग्रेजों ने यह पहचाना कि भारत का वह क्षेत्र जो तत्कालीन समय में, हम यह कह सकते हैं कि हमारे निकटवर्ती देशों से नजदीक था, जो कभी भारत का अंग था, चाहे वह बर्मा हो, ब्रह्म देश हो, वहाँ से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा कहीं भी हम जा सकते हैं। उन्होंने एक पॉलिसी बनायी कि भारत पर रूल करना है तो इसके माध्यम से रूल करो। हमारी यह पद्धति खासकर उन क्षेत्रों के विकास होने का पुरातन इतिहास है। हाँ, यह जरूर है कि वर्ष 1974 के आजादी के बाद जो सरकारें बनीं, उन सरकारों ने उसको एक यूनिट के रूप में नहीं देखा और भारत की दृष्टि से उसकी उपयोगिता क्या है, इस दृष्टि से नहीं पहचाना। मैं कहूँगा कि पीछे की पंद्रह व बीस साल पुरानी सरकारों ने भी पहचान लिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती।

इसलिए, मैं कहता हूँ कि जब मैं दो-तीन बार अपने क्षेत्र के उस रास्ते से जाता हूँ जिसे जी.टी.रोड कहते हैं। मैं बार-बार देखता हूँ, हमारे दिमाग में वह एन.एच. 2 है, लेकिन मैं वहाँ यह लिखा हुआ देखता था कि वह ए.एच.1 है, जब मैंने उसकी छानबीन की तो पता चला कि यह ए.एच.1 है यानी यह एशियन हाइवे नंबर 1 है, जो जापान से तुर्की तक जाएगा, जो नॉर्थ-ईस्ट से होते हुए झारखंड के उस क्षेत्र से गुजरते हुए बाघा बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान जाएगा। इसकी एक परिकल्पना आज से 8 या 10 साल पहले बनी; लेकिन किसी भी सरकार ने भारत से नॉर्थ-ईस्ट की कनेक्टिविटी को व्यापक बनाने की चिंता नहीं की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी

जी की सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट तथा साउथ-वेस्ट कॉरिडोर के माध्यम जो देश को जोड़ने की व्यवस्था की थी, उस पर भी धीरे-धीरे काम बंद कर दिया गया। इस तरह से वर्ष 1874 में जाकर इसका विकास हुआ और फिर उसके बाद असम फ्रंटियर ट्रैक्ट रेग्यूलेशन 1880 आया, उसके बाद माउंट चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 आई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई और उसके माध्यम से पहली बार गारो-हिल्स डिस्ट्रिक्ट, खासी-जयन्तियाँ हिल्स, मिकिर हिल्स जो आज नौगाँव व शिवसागर का जिला है, फिर नॉर्थ कछार हिल्स, नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट, लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट, सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट, बालीपरा फ्रंटियर ट्रैक्ट, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक्ट आदि की स्थापना हुई। इसके बाद, अनेको संशोधन हुए व साइमन कमीशन के सामने वर्ष 1930 में इसकी चर्चा हुई।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इसकी चर्चा हुई और फिर वर्ष 1936 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया ऑर्डर, 1936 में इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। फिर, इंडियन प्रॉविज़नल ऑर्डर 1946 के माध्यम से इस पर चर्चा हुई, लेकिन सही मामले में भारत की आजादी को ध्यान में रख कर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो पहली बार गोपीनाथ बारदोली कमेटी बनायी गई। इस पर विचार करने के लिए जिसमें जे.जे.एम. निकोलसरॉय, रूपनाथ ब्रह्मा, ए.वी.ठक्कर और शुरु में मयांग नोक्काचा जिनको बाद में मिस्टर एलबिया एमटी ने रिप्लेस किया, ये लोग उसके सदस्य हुए और काउंसिल में इसकी चर्चा हुई।

इसके ड्रॉफ्ट कमेटी में अंबेडकर साहब स्वयं मौजूद थे और उन्होंने चर्चा की, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसके ड्रॉफ्ट और स्वरूप को लेकर चिंता की तथा उस पर व्यापक चर्चा की। ड्रॉफ्ट कमेटी ने इसमें कुछ संशोधन भी किया।

जब हम डिबेट की चर्चा करते हैं, जिसमें सिक्स्थ शेड्यूल को तय करने वाली बहस चली, अभी मैंने जो बातें कही हैं और जो खतरे वर्ष 1947 के बाद से नॉर्थ-ईस्ट झेल रहा है, यह खतरा कहीं न कहीं सामने आया। खासकर सिक्स्थ शेड्यूल को लेकर संविधान सभा की बारदोली कमेटी और बाकी जो चर्चा संविधान सभा में हुई, उसमें दो-तीन अलग-अलग ग्रुप नजर आए, जिनके अलग-अलग विचार थे। जहां एक ओर श्री बृजेश्वर प्रसाद का यह मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गवर्नर को कुछ नहीं करना चाहिए और सीधे-सीधे प्रेसीडेंट उसको देखें। उन लोगों ने कहा कि *Is it right, is it safe, is it desirable and is it militarily in the interests of the Government of India? Is it politically advisable that the administration of such vast tract of land should be left in the hands of provincial government, especially in the province where there is no element of political stability?* उन्होंने सीधे-सीधे प्रेसीडेंट को इसका अधिकार सौंपने की बात कही। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने इसलिए कहा कि वहां जिस तरह से कल्चरल इन्वेन्शंस हुए हैं, खासकर के जो घुसपैठ हुई, उन्होंने यह भी खतरा दिखाया कि *I will not jeopardise the interests of India at the altar of tribals. The principle of self-*

determination has worked havoc in Europe. It has led to vivisection in India. उन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति तक का उदाहरण दिया और यह कहा कि इनके हाथ में सरकार या शासन नहीं देना चाहिए। यह एक विषय के रूप में सामने आया। वहीं दूसरी ओर असम के सदस्य, खासकर कुलाधर चलिहा और रोहिणी कुमार चौधरी, इन्होंने अलग प्रकार के विचार इसमें दिए हैं। मैं उनको कोट करना चाहूंगा। Do you want an assimilation of the tribal and non-tribal people or do you want to keep them separate? If you want to keep them separate, they will never join with Tibet, they will join with Burma, they will never join with the rest of India. You will take it from me. असम जिसका वह पार्ट था, उसके सदस्य ने कहा। मैं यह चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम सभी की इससे मान्यता भिन्न है। मैं इनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे संविधान सभा ने किन-किन पहलुओं पर चर्चा की और उस चर्चा के बाद जो स्वरूप बनकर आया, उस स्वरूप को बनाने समय अगर हमने उन खतरों को पहचान कर सरकार की भूमिका को उस दिशा में लिया होता तो आज जो नार्थ-ईस्ट में समस्याएँ आई हैं, वे खड़ी नहीं होतीं और इसीलिए मैंने उसको कोट किया है।

गोपीनाथ बोरोदोलोई की निश्चित रूप से इसमें सहमति रही होगी और उनके साथ के जो सदस्य थे, उन्होंने यह कहा था कि इसको सिक्स्थ शेड्यूल के अन्दर रखना चाहिए और वे इस सब-कमेटी के चेयरमैन थे। उनका फिर निकोलस राय और बाकी लोगों ने साथ दिया। इस तरह से एक लम्बी बहस के बाद अम्बेडकर साहब ने भी जो असम से ट्राइबल पीपुल थे, डॉ. अम्बेडकर ने भी उनको काफी सहानुभूतिपूर्वक सुना और उनको निर्णय का अधिकार दिया। यह मेरे कहने का अर्थ है, लेकिन इसी के साथ-साथ जो चिंताएँ उत्पन्न हुईं, जो चर्चा संविधान सभा में उत्पन्न हुईं, मुझे लगता है कि आज फिर आवश्यकता है कि उसको बनाना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने खासकर जो बात चलिहा के बारे में कही थी कि- I think if Mr. Chalia had only read carefully the working of the Sixth Schedule he would have seen that in appointing the Commission, the Governor is not going to act in his discretion. There is no discretion left in the Governor. That being so, it is quite obvious that in constituting the Commission and defining the terms of reference, the Governor would be guided by the advice of the local Ministers. I do not think, therefore, there need be fears such as the one that he has expressed. अभी तो मैंने शुरू किया है। अगर इनके सभी पहलुओं पर प्राइवेट मेंबर बिल में नहीं बोलेंगे, अगर आप अनुमति नहीं देंगे, तो(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have already stated many things, and still you have many things to speak.

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैंने अभी तो शुरू किया है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल के सभी पहलुओं पर नहीं बोलेंगे, अगर आप अनुमति नहीं देंगे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरी अनुमति है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है, यही प्रोब्लम है।

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि संविधान संशोधन के पीछे जो भाव है, मैं निश्चित रूप से विनसेंट पाला जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस अमेंडमेंट के माध्यम से देश के सामने नार्थ ईस्ट की समस्या पर फिर से विचार करने का अवसर दिया। उनके संशोधन से सहमत हुआ जाए या न हुआ जाए लेकिन उन्होंने जो भाव लाया है। आज नार्थ ईस्ट की जनता भारत के पार्लियामेंट से उम्मीद रखती है। उस उम्मीद को पूरा करना है, मैंने इसी संदर्भ में क्वोट किया है, इसी तरह से वर्ष 1947 में, अगर आप कह रहे हैं तो संक्षेप में बोलूंगा।

HON. CHAIRPERSON : I am not questioning what you speak. But, there are other Members who want to speak.

SHRI SUNIL KUMAR SINGH : I have also been waiting for this opportunity for more than six months. इस तरह से छठी अनुसूची का प्रस्ताव आया और छठी अनुसूची में हमने लगातार संशोधन का भी प्रोविजन रखा, छठी अनुसूची में यह भी कहा गया, तीन प्रकार से जब हम चाहें संशोधन ला सकते हैं। (i) Constitution amendment by following the procedure laid down under Article 368 of the Constitution; (ii) by an ordinary parliamentary legislation as provided in paragraph 21 of the Sixth Schedule; (iii) by a notification issued by the Governor under paragraph 1(3) of the Sixth Schedule resulting in amendment to the table appended to the paragraph 20 of the Sixth Schedule. मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे तो छठी अनुसूची में संशोधन लाने के लिए संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर आकर संवैधानिक संशोधन करना होगा। सरकार को यह अधिकार है, मैं चाहता हूँ कि सरकार सभी पक्षों से विचार करे, माननीय मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं। इस संबंध में निर्णय लें, निर्णय इसलिए भी लेना चाहिए कि अब तक इसमें दस बार अमेंडमेंट हो चुका है। पहला 1962 में स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट, लगभग 10-11 से अधिक बार इसमें संशोधन हो चुका है। उस संशोधन के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि इसमें संशोधन को इसीलिए रखा गया है, तब के लोगों ने संशोधन को इसी हिसाब से रखा था कि हम इसको प्रभावी बनाने की

दिशा में जब भी चाहे इस्तेमाल कर सकें और उसी हिसाब से सरकार ने विस्तृत रूप से दस संशोधन के बाद एक *Recommendation of the National Commission to Review the Working of the Constitution* यह भी वर्ष 2000 में बना, इसके सारे प्रोविजन आ गए, उस प्रोविजन के हिसाब से हमें विचार करके चर्चा करनी चाहिए लेकिन कुछ बातें यहां उठी थीं, एक चर्चा यह आई थी कि मणिपुर और नागालैंड भारत के महाभारतकालीन समय से अपना कोई संयोग नहीं रखता है। हमारा कोई इतिहास नहीं है, ऐसा एक माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उनको वोट नहीं करना चाहूंगा। मैंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन भी जरूरी है क्योंकि अनेकों ऐसे करेक्टर और चरित्र रहे हैं मैं खासकर रानी गाइदिन्ल्यू का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। उसी के साथ साथ कुछ जगह गिनाना चाहूंगा जो तीर्थयात्रियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह नार्थ ईस्ट का वह भाग है जिसको आज आप अलग-अलग टुकड़ों में देखते हैं।

दुनिया के चश्मे से भारत को एक रूप में देखेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें कामाख्या में स्थित माता का मंदिर, असम का भुवनेश्वरी मंदिर, बिलेश्वर मंदिर, सूर्य पहाड़, अश्वकांता मंदिर, उग्रतारा मंदिर, अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, तवांग मोनेस्ट्री, आकाशगंगा मंदिर, बोमडिला मोनेस्ट्री, त्रिपुरा का ऊनाकोटी हिल मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, मणिपुर का श्री गोविंद जी मंदिर, सिक्किम की रूमटेक मोनेस्ट्री है। जब चर्चा होती है और पार्लियामेंट में लरनेड सदस्य बोल रहा होता है और कोई खड़ा होकर कहता है कि भारत का वह भाग भारत की प्राचीन संस्कृति से अलग है, तो कष्ट पहुंचता है। हमने सोशल फाइबर्स के रूप में हारमोनी को चुना है। समरसता सामाजिक जीवन के एक-एक धागे को मिलाकर वस्त्र बनाने से उत्पन्न होगा। हम इन तानों, धागों को अलग करना चाहेंगे तो हम सब नंगे नज़र आएंगे, हमारे कपड़े सूत में जब बंट जाएंगे तो हम अपना आवरण नहीं ढक सकते। जब हम भारत की चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं तो हमें अपने सांस्कृतिक इतिहास का भी ध्यान रखना चाहिए। हां, यह जरूर है कि संस्कृति का अर्थ कभी धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, संस्कृति का अर्थ पूजा पद्धति के साथ जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से विकृति उत्पन्न होने लगती है और हमारी सरकार संस्कृति को धर्म या पूजा पद्धति से नहीं जोड़ती है। मैं उस मायने में कह रहा हूँ कि धर्म की आज जो सामाजिक मान्यता रिलीजन के रूप में है, वरना भारतीय मनीषियों ने तो धर्म की अवधारणा ही अलग रखी है, जो व्यक्ति के जीवन में धारण करने योग्य है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी समारोह है और उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान की चिंता और चर्चा करते समय खासकर देश की चर्चा करते समय टुकड़ों में विचार नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर मैं उनकी पुस्तक एकात्म मानववाद को कोट करना चाहूंगा - “भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है

कि वह सम्पूर्ण जीवन का, सम्पूर्ण दृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी अर्थात् इंटीग्रेटेड है, टुकड़े-टुकड़े में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से ठीक हो सकता है परंतु व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। पश्चिम की समस्या का मुख्य कारण उनके जीवन के संबंध में टुकड़ों-टुकड़ों में विचार करना और फिर उसे एक साथ जोड़कर पैच के रूप में देखना, इसलिए हमने जीवन की विविधता में अंतर्भूत एकता का अविष्कार देखा है और इसलिए उसमें परस्पर अनुकूलता तथा परस्पर पूरकता है। बीज की एकता ही पेड़ के मूल तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल के विविध रूपों में प्रकट होती है। इन सबके रंग, रूप तथा कुछ न कुछ मात्रा में गुण में अंतर होता है फिर भी उनके बीज के साथ एक तत्व के संबंध को हम सहज ही पहचान सकते हैं।' मैं इसी रूप में कहना चाहता हूँ कि इसकी चर्चा और चिंता करनी चाहिए। खासकर जो बातें विनसेंट पाला जी ने कही हैं, वह संख्या अगर हम 30 से 40 कर दें, 60 कर दें, लेकिन जो व्यवस्था बनाई है, अगर उसके अनुरूप न चलें तो क्या होगा? विनसेंट पाला जी ने चर्चा की है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया है, एमएमडीआर एक्ट पुराना चल रहा था, उनकी चिंता है कि जिसके हाथ से माइनिंग निकलेगी उसकी भूमिका क्या होगी? निश्चित रूप से इस पर विशेष जोर देने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की रचना में अलग क्लॉज़ दिए गए हैं, उसका अध्ययन करके अपने जिले में जोर डालना होगा ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो।

अब यह विषय आता है कि उसमें सांसद की भूमिका क्या होगी? निश्चित रूप से उसमें सांसद की राय ली जाती है और सांसद द्वारा नॉमिनेट एक प्रतिनिधि भी उसमें है। लेकिन मैं पाला साहब के इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में निर्णय लेने के मामले में सांसदों की भूमिका बढ़ाई जाए। उन्हें इसमें फाइनल अथारिटी इसलिए बनाया जाये, क्योंकि मैंने अनेक राज्यों में यह देखा है कि ट्रस्ट की भावना को विलुपित कर दिया जाता है। भारत सरकार ने उसे ट्रस्ट बनाया है, लेकिन अनेकों ऐसी सरकारें हैं, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कौन चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी हैं। जब उसे भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया, तो जिला और स्थानीय स्तर पर जहां उसे बनाया गया है, वहां उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। लेकिन योजनाएं राज्य से बनकर आ रही हैं और जिलों को उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। इस दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि अनेकों बातें इस रूप में हैं।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीतियों के चलते भारत के आदिवासियों के समुचित विकास की किसी योजना का उदाहरण पूर्ववर्ती या परतंत्र भारत में नहीं मिला। अब यह कमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसका असर स्वतंत्र भारत के नेताओं पर

भी रहा। भारत के कर्ता-धर्ता, जिन्होंने वर्ष 1947 में देश की बागडोर संभाली, उन्हें देश की दशा, दिशा, स्थिति और लोगों का ज्ञान नहीं था। वे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग, जिनका विदेशों से कपड़ा धुलकर आता था, जिन्होंने अपने देश को कपड़ा धुलवाने लायक भी नहीं समझा, जब उनकी नीतियों पर कोई सरकार चलेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस स्वराज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गयी थी, हमारे मित्र पाला साहब को ज्यादा कठिनाई हो रही है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन मैं एक अच्छा नाम सुभाष चन्द्र बोस जी का लेना चाहता हूँ, जिन्होंने फाइव ईयर्स प्लान की पहली अवधारणा इंडियन नैशनल कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन या उससे पूर्व रखी थी। अगर कांग्रेस की वर्तमान सरकारें उन नीतियों का पालन करतीं, तो मुझे लगता है कि दुविधा उत्पन्न नहीं होती। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने विस्तृत रूप से फाइव ईयर प्लान दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उनके दल की रहनुमाई करने वाले लोगों को यह भी ध्यान में नहीं रहता कि 23 जनवरी को उनका जन्मदिन भी मना लें। कम से कम नार्थ ईस्ट के प्रति उनकी जो संवेदना थी, चूंकि यह नार्थ ईस्ट से संबंधित संशोधन है। इस क्षेत्र को वर्ष 1947 की आजादी से पूर्व भारत के एक महानायक ने स्वतंत्र कराया था, लेकिन हमारी सरकारों ने आज तक वहां स्वतंत्रता का कोई कार्यक्रम, आयोजन या समारोह नहीं किया। देश का एक और भूभाग अंडमान-निकोबार है। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने से पूर्व वह क्षेत्र आजाद हो गया। उसे नेताजी की फौज ने आजाद कराया। इसलिए मैंने कहा कि जब बात निकलेगी, तो दूर तक जायेगी। आज भी जब हम कोहिमा में जाते हैं, तो सैकिंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने वाले फौजियों के मकबरों पर हमें सिर नवाज़ने जाना पड़ता है, क्योंकि यह हमारे प्रोटोकाल में है। लेकिन आजाद हिंद फौज के लड़ने वाले वीर सिपाही बलिदान हो गये, उनके लिए हमने कोई उपाय नहीं किया।

कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा कि वहां हम उनकी इबादत में सिर झुका सकें। ये दो रंगी सरकारें चलती रहीं, इसलिए निश्चित रूप से उसके बाद जो पीढ़ी जन्म लेगी, वह जैसा शासन देखेगी और जिस रूप में शासन की विधा देखेगी और जिस रूप में शासन चला रहे हैं, जिस अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करके, मैकाले की शिक्षा प्रणाली को चला रहे हैं, उस स्थिति में निश्चित रूप से हमारे युवाओं के सामने भ्रम उत्पन्न होगा। इसलिए नॉर्थ-ईस्ट रीजन में उत्पन्न असंतोष या उग्रवाद के लिए मैं वहां के लोगों को कहीं भी दोष नहीं देता हूँ। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की तत्कालीन सरकारों की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार रहीं। जिन्होंने सीमा पर बसे हुए क्षेत्रों को पहला सोल्लियर नहीं माना।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please listen to me. The time has already been allotted for this particular Resolution. I was not the earliest person in the chair. Many hon. Members have already spoken and the hon. Member, who is speaking,

says that he wants to speak for some more time. I have told the hon. Members that the time has already been fixed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, the time can be extended.

HON. CHAIRPERSON: Other Members are sitting here and they also want to speak. They have requested me. Whenever this Resolution was admitted, the time was allotted by the House.

श्री सुनील कुमार सिंह: सभापति महोदय, आपकी जितनी देर अनुमति होगी, बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस ऐसा समय है, जब हम बोल सकते हैं। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

HON. CHAIRPERSON: If the House agrees, I am ready to give more time for discussion.

SEVERAL MEMBERS: We agree.

श्री सुनील कुमार सिंह: सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं एक बात की निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा कि भारत के पहले प्रधान मंत्री आदरणीय नेहरू जी ने ट्राइबल पंचशील की थ्योरी दी थी और अगर उस थ्योरी पर तत्कालीन सरकारें चलतीं तो निश्चित रूप से यह दुविधा नहीं आती। भारत के पहले प्रधान मंत्री श्रद्धेय जवाहर लाल नेहरू जी ने नॉर्थ-ईस्ट की समस्या को पहचानते हुए, जो पंचशील की थ्योरी दी थी, मैं आज उसे कोट करना चाहूंगा। उनकी पहली थ्योरी थी :

“People should develop along with the lines of their own genius and we should avoid imposing anything on them. We should try to encourage in every way their own traditional art and culture.”

यह पहली बात उन्होंने कही थी और तब की सरकारों ने अगर नेहरू जी का अनुपालन किया होता तो आज मुझे लगता है कि हमें अपनी सामाजिक रूढ़ियां और कल्चरल इथोज के पालन के लिए यह संशोधन

विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह नेहरू जी के ट्राइबल पंचशील का पहला सिद्धान्त था। दूसरी बात उन्होंने कही थी:

“Tribal rights in land and forest should be respected.”

नेहरू जी ने यह दूसरा सिद्धान्त बताया था। हम सभी को पता है कि आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में, सिक्सथ शिड्यूल एरियाज सहित, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ, मेरे लोक सभा क्षेत्र का एक पूरा जिला - लातेहार, फिफथ शिड्यूल का जिला है, वहां आज भी हमारे वनवासी भाई जंगल में अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि वर्तमान भारत सरकार ने इस संबंध में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हम जिसको कह सकते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट पर मल्टी-डायमेंशनल इफैक्ट पड़ेगा। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पहले की सरकारों ने क्यों नहीं पहचाना? अभी इसी सत्र में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है और उस संशोधन में हमने सिर्फ इतना किया है कि बांस को पौधे की श्रेणी से हटाकर घास में डाला है और बांस जिसको बैम्बू कहते हैं, यह पूरी बॉटनी में ग्रास की कैटेगरी में आता है, लेकिन 1927 में अंग्रेजों ने जो नियम बनाया था, उसको हम 70 साल तक ढोने के लिए अभिशप्त थे। सिर्फ उसको हमने बदल दिया तो आज कम से कम 5000 करोड़ का व्यवसाय बांस पर आधारित नॉर्थ-ईस्ट में आने वाले समय में होगा और वहां के किसानों को इसका अधिकार दिया है।

सिर्फ बांस की खेती से वहीं पर ही नहीं, बल्कि हम लोग जिस पिछड़े जिले से आते हैं, वहां भी जो आर्थिक रूप से प्रगति होगी, उसका भी मैं आकलन कर रहा हूँ कि इन्होंने नेहरू जी के पंचशील सिद्धान्त की दूसरी बात को भी मान लिया होता। फिर उन्होंने तीसरी बात कही कि

“We should try to train and build up a team of their own people to do work on administration and development. Some technical persons from our side will no doubt be needed, especially in the beginning but we should avoid introducing too many outsiders in the tribal territory.”

1947 की आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने किस तरह से काम किया। वहां के टेलेंट पर भरोसा नहीं किया। यह पहली सरकार माननीय मोदी जी की आई है जिसने नॉर्थ-ईस्ट के लिए अलग निदेशालय की स्थापना की और हमने उस पर विशेष ध्यान देते हुए वहां की लीडरशिप को उबारने का काम किया है, वहां की लीडरशिप को बढ़ाने का काम किया है। देश के ऐसे पिछड़े जिले जो 125 से अधिक थे, उनमें उन क्षेत्रों से संबंधित अधिकारी चाहे देश में जिन भी भाग में हों, लेकिन वे भारत सरकार में काम कर रहे हों तो उनको नीति आयोग के तहत एक-एक जिला एसाइन किया ताकि वो टीम बनाकर सरकार की इंडिजिनस प्रोसेस प्रारम्भ करें ताकि उसका हम जो लॉग टर्म गोल रखते हैं, उसको अचीव कर सकें। इस रूप में उनका तीसरा सिद्धान्त है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो नेहरू जी ने भी कहा, वह भी हम लोग ही फोलो कर रहे हैं। यह मैं पाला साहब को

कहना चाह रहा था और उन्होंने जो चौथी बात कही है और जो अच्छी बातें हैं, हमारी सरकार ने उनको हर जगह से अपनाने का संकल्प लिया है।

“We should never over-administer this area or overwhelm them with multiplicity of schemes. We should rather work through and not in rivalry to their social and cultural institutions.”

हमने ठीक इसके विपरीत किया है। हमने वहां के रीति-रिवाज, सिस्टम, वहां के कानून, वहां की परम्परा के ठीक विपरीत चीजें खड़ी कीं और हम कह सकते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी एक अच्छा विश्वविद्यालय है। इसके अलावा मणिपुर में भी विकसित हो रहा है। लेकिन हमने तो अच्छे विश्वविद्यालय भी वहां खड़े नहीं किये ताकि वहां से निकलने वाले नौजवान भारत की बागडोर को संभाल सकें। यह तो कुछ लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, जैसे हमारे किरेन रिजीजू जी बैठे हैं, आप सब लगातार मेहनत करके वहां से निकलकर आए हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे मुख्य मंत्री जिनका रवीन्द्र राय जी ने उदाहरण भी दिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो शील नाम का एक कार्यक्रम चलाती है, ... (व्यवधान)

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): General V.K. Singh was there for more than 30 years. ... (*Interruptions*)

श्री सुनील कुमार सिंह: जनरल साहब का एक्सपीरिएंस आज हम लोगों को काम आ रहा है और इसीलिए हम लोगों ने जनरल साहब की राय लेकर नॉर्थ-ईस्ट की विशेष चिन्ता की है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने पांचवा कहा कि

“Results should be judged not by statistics or the amount of money spent but by the human character that is evolved.”

आज हम देश को आंकड़ों के जाल में फंसाते हैं। आंकड़े सच्चाई नहीं कहते हैं। अगर हम आंकड़ों का दूसरा पक्ष सामने रखें तो बड़ा भयंकर पक्ष है। देश की जितनी आबादी आजादी के समय नहीं थी, आज उससे अधिक आबादी 67 साल के कार्यकाल में पिछली सरकारों ने छोड़ दी है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। हम नम्बर्स के हिसाब से परसेंटेज में बढ़ सकते हैं। यह चुनौती देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार की है कि 67 सालों की आजादी के बाद देश की किसी सरकार ने, जब गरीबी रेखा का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण नहीं किया तो हम देश के ऐसे पूर्ववर्ती क्षेत्र के हिस्से को विकसित करने की दृष्टि से कैसे तय कर पाते थे। इसलिए जो आदरणीय नेहरू जी ने ट्राइबल पंचशील का थ्योरी दी है, मैंने उसे इसलिए क्वोट किया कि हमारे मित्र उनको भी भूल गए हैं। उन्होंने जो अच्छी बातें कही हैं, सिर्फ नेहरू जी का कपड़ा बाहर धुलता था

इसलिए ये दौरे बाहर करते हैं, वही याद है। इसी के साथ-साथ पहले की सरकारों ने नॉर्थ-ईस्ट की बेहतरी के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी का पहला रिकमेंडेशन था -

“Like other blocks, Budget for development work in tribal areas should be for six years.”

हमने सरकारों के बनने और बिगड़ने के क्रम के साथ-साथ बजट को जोड़ दिया। हम ने यह तय कर दिया कि बजट किसी क्षेत्र में उसी हिसाब से देंगे, जितने दिनों के लिए हम चुन कर आए हैं और बाद की चिंता छोड़ दें। अगर हमारे सामने नॉर्थ-ईस्ट के बारे में लॉग टर्म गोल क्लीयर होता तो मुझे नहीं लगता है कि पाला साहब को यह संशोधन लेकर आने की जरूरत थी। इनके संशोधन से हमारी असहमति भी नहीं है, यह आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि आप ने इस संशोधन के माध्यम से देश का ध्यान नॉर्थ-ईस्ट की ओर खींचा है। क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट को जरूरत है और हमारी सरकार पहली बार नॉर्थ-ईस्ट के लिए कुछ कर रही है, हमने 'डोनर' का अलग से डायरेक्ट्रेट बनाया है। हमने लगातार रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया कनेक्टिविटी, यानी जितने भी तरह की कनेक्टिविटी हो सकती हैं, हमने लगातार प्रयास करके नॉर्थ-ईस्ट को भारत का अंग बनाया है। मैंने कहा है कि मैंने एशियन हाइवे नम्बर वन का सपना देखा है, जो जापान से नॉर्थ-ईस्ट होते हुए पूरे भारत को पार करके तुर्की तक जायेगी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'संकल्प से सिद्धि' तक की बात कही है, वह संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा हम वर्ष 2022 में करेंगे। उसी रूप में हमने नॉर्थ-ईस्ट की चुनौती को पहचाना है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नॉर्थ-ईस्ट में विद्वेष का बीज बोया ताकि वोटों की फसल काट सकें। हम विद्वेष के बीज के सौदागर नहीं हैं। हम नफरत की फसल नहीं बोना चाहते हैं। हम समरस भारत, शक्तिशाली भारत, सबल भारत और समृद्धिशाली भारत की जब बात करते हैं, चिंता करते हैं तो उसमें नॉर्थ-ईस्ट या भारत का कोई हिस्सा, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, कन्याकुमारी हो, लद्दाख हो या पूर्वोत्तर का कोई क्षेत्र हो, असम का क्षेत्र या कोई क्षेत्र हो, जब हम भारत की चर्चा करते हैं तो हिमालय ले कर नीचे समुद्र तक की चर्चा करते हैं। जब तक भारत इस रूप में विकसित नहीं होगा तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट नॉर्थ-ईस्ट की इन्हीं बेहतरी के लिए, सिक्सथ शेड्यूल एरिया के बेटरमेंट के लिए की गई, लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा यह कहा -

“The right type of personnel with sympathy and understanding of tribal people should be selected, preferably local people. ”

18.00 hrs

श्री नेहरू जी की पंचशील और बलवंत राय मेहता कमेटी, दोनों ने कुछ चीजें मानी हैं। लेकिन, वोट तो लिया गया, लगातार कहा गया कि देश से गरीबी हटा देंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। वोट के लिए हम आपकी चिन्ता करते हैं, लेकिन लोकल पीपुल के हाथ में प्रशासन देने की बात, 60 वर्षों तक पिछली सरकार रहने के बाद भी इसकी आवश्यकता न महसूस की, न ही उस दिशा में कभी विचार किया। इसलिए नेहरू जी और बलवंत राय मेहता की कमेटी भी, तत्कालीन सरकारों ने, खासकर कांग्रेस की सरकारें, जिसकी हुकूमत नॉर्थ-ईस्ट में लगातार बनी रही, अगर उन्होंने इसका भी पालन किया होता...

HON. SPEAKER: Hon. Member, you may continue your speech next time.

The House stands adjourned to meet on Tuesday, the 2nd January, 2018
at 11.00 am.

18.01 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, January 2, 2018/Pausha 12, 1939 (Saka).*
